खण्ड-105, अंक-4
गुरूवार, 2 श्रावण, शक संवत् 1874
(24 जुलाई, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 105 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २४ जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७२)

अंसमान सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह , श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलवीर सिंह श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद , श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मञ्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री

रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरष यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लूत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
विरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी महरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवसरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्यामसनोहर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मख्फी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिनानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती

सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थो, श्री
सूर्यवली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसामी, श्री
हबीवुर्रहमान आजजी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलालदास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पूर्वी जिलों में नहरों का निर्माण

*१--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पूर्वी जिलों में नहर के लिये कोई सर्वे (पर्यालोचन) हुई थी? यदि हां, तो उसमें कितना रुपया सरकार का खर्च हुआ ?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री राममूर्ति)--सन् १९४८-५० में यह जानने के लिये कि पूर्वी जिलों में घाघरा गंगा के बीच के क्षेत्र को सिंचाई के लिये विद्युत् पंप नहरें (pumped canals) बनाई जायं या ट्यूब वेल (tube wells) बनाए जायं, एक सर्वे हुई थी। इस सर्वे पर सरकार का १,५५,९३३ रुपया खर्च हुआ।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पूर्वी जिलों से उसका मतलब किन-किन जिलों से है?

श्री राममूर्ति--पूर्वी जिलों से मतलब है देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर, बनारस, गोंडा, बहराईच, सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ से। ये तमाम जिले पूर्वी जिलों में आते हैं।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गाजीपुर जिला भी उसमें शरीक है ?

श्री राममूर्ति--जी हां, गाजीपुर भी उसमें शामिल है।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि ये नहरें कहां से कहां तक जायंगी?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--आप गाजीपुर जिले के लिये पूछ रहे हैं कि यह नहर कहां तक जायंगी ?

श्री उमाशंकर--सब पूर्वी जिलों में कहां से कहां तक नहरें जायंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पूर्वी जिलों में गोरखपुर में नहर होगी, बस्ती में भी होगी, गोंडा, बहराईच के लिये भी विचार किया जा रहा है। गाजीपुर में भी कुछ नहर पहुंचेगी जो अहरौरा, चकुर और कर्मनाशा डाम से होते हुये गाजीपुर जायेगी और एक नहर शारदा से भी बनारस होते हुये गाजीपुर तक जायेगी। सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, इन जगहों में भी नहरों की व्यवस्था की जायगी। इलाहाबाद में भी नहर पहुंचेगी। इस तरह से इन तमाम जगहों में नहरें पहुंचेंगी।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों का कोई विभाजन स्वीकार किया है ? यदि किया हो तो उसका क्या आधार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––प्रान्त के पूर्वी अंचल में जो ज़िले हैं वे पूर्वी ज़िले कहे जाते हैं, पश्चिमी अंचल में जो ज़िले हैंवे पश्चिमी ज़िले कहे जाते है, दक्षिणी अंचल में जो ज़िले हैं वे दक्षिणी ज़िले कहे जाते हैं और जो उत्तरी अंचल में है वे पहाड़ी ज़िले कहे जाते हैं। सरकार कोई नया पाकिस्तान नहीं बना रही है ।

श्री भगवानदीन मिश्र (ज़िला बहराइच)––क्या पूर्वी जिलों में बहराइच और गोंडा के लिये नहर बनाने के लिये सर्वे किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––बहराइच और गोंडा के लिये पहले, जैसा कि उत्तर में ज़िक्र किया गया है कुछ सर्वे पम्प कैनाल के संबंध में हुआ था । इस बार बजट में सारे पूर्वी जिलों के लिये सर्वे की व्यवस्था की गयी है । उसमें गोंडा और बहराइच में भी नहर के लिये सर्वे होगा ।

*२––**श्री उमाशंकर**––क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि पूर्वी जिलों में नहर बनाने का कार्य कब शुरू होगा ?

श्री राममूर्ति––इस सर्वे (पर्यालोचन) के फलस्वरूप चीफ इंजीनियर ने घाघरा और त्रिवेणी पम्प नहरों की योजनाएं (Projects for Ghagara and Tribeni Pumped Canals) भी सरकार के सामने सन् १९५१ में पेश की थीं । ये योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं । इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहां स्प्रिंग लेविल बहुत ऊंचा है । नहरों से सिंचाई की व्यवस्था के संबंध में विशेष विचार इस कारण करना है कि स्प्रिंग लेविल ऊंची होने से तथा इस क्षेत्र में बहुत सी झीलों के होने के कारण बहुत सी नहरों की व्यवस्था करने से पानी का अवरोधन न हो जाय। क्योंकि उस हालत में इस क्षेत्र को अधिक क्षति पहुंच जाने का भय होगा । सरकार ने नल कूपों की योजना तो स्वीकार ही कर ली है ।

ट्यूब वेल के सिवा पूर्वी जिलों में रामगढ़ पम्प नहर तथा रोहिन और डांडा नहरों से सिंचाई हो रही है । इसके अतिरिक्त अन्य कई योजनाएं भी हैं । बान गंगा नहर का निर्माण तो बस्ती जिले में इस साल शुरू कर दिया गया है । और यह जानने के लिये कि शारदा की नहरों (Channels) का विस्तार हो सकता है या नहीं सरकार सर्वे करा रही है । इस सर्वे के फलस्वरूप यदि शारदा की नहरों का विस्तार सम्भव पाया गया तो उनका निर्माण कई पूर्वी जिलों में शीघ्र ही शुरू कर दिया जायगा । इसके अतिरिक्त पूर्वी जिलों में सिंचाई की छोटी छोटी अन्य कई योजनाओं के लिये भी सर्वे किया जायगा ।

गोरखपुर जिले में हरे वृक्षों का काटा जाना

*३––**श्री केशव पाण्डेय** (ज़िला गोरखपुर)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत अप्रैल से अब तक गोरखपुर ज़िले में सरकार द्वारा कितने हरे वृक्षों के कटने की अनुमति दी गयी है ?

वन-उपमन्त्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)––१५,५०३ ।

श्री केशव पाण्डेय––क्या सरकार यह बतालाने की कृपा करेगी कि विशनपुरा कोर्ट आफ वार्ड्स स्टेट से कितने पेड़ काटे गये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी––इतनी बारीक सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । अगर आप चाहें तो नोटिस दे सकते हैं ।

*४---श्री केशव पाण्डेय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन लोगों ने जून, सन् १९५२ में हरे वृक्ष बेच कर कटवाये हैं उन पर सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यदि निजी जंगल या बाग़ों में ऐसे वृक्ष जिनके काटने पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगा हुआ है उत्तर प्रदेशीय निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट के उपबन्धों के प्रतिकूल काटे गये हैं तो उस ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही स्थानीय अधिकारी करेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन लोगों ने पेड़ काटे हैं उनके खिलाफ वहां के अधिकारी कितने दिनों के अन्दर कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यदि उनके पास कोई भी रिपोर्ट इस प्रकार की आयेगी तो अवश्य करेंगे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई आदेश इस तरह का कोर्ट आफ़ वार्ड्स को दिया गया है कि जितने छिटपुट पेड़ हैं वे बेच डाले जायं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)---क्या यह ठीक है कि कोर्ट आफ़ वार्ड्स ने जो दरख्त कटवाएं हैं वे लैंड मैनेजमेंट की इजाजत से कटवाये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हाँ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की दृष्टि से हरएक बांस की गिनती पेड़ों में होती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---ऐसी कोई गिनती तो होती नहीं। मगर जरूरत के लिये ऐसा रेकार्ड तो रहता ही है।

श्री भगवानदीन मिश्र---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बागों के अन्दर जो हरे वृक्ष हैं उन्हीं को काटने के लिये अनुमति की आवश्यकता है या और फुटकर वृक्षों के लिये भी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---दोनों के लिये ।

तारांकित प्रश्न

*१---२---श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)---[७ अगस्त, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

हाथ से बुने हुये कपड़े की उन्नति के लिए योजनाएं

*३---श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)---क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि हाथ से बुने हुये कपड़े की उन्नति के लिये गृह उद्योग विभाग में दो योजनाएं क्यों चलायी जा रही हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--खादी तथा मिल के तागों से करघा द्वारा बने हुये कपड़ों के उत्पादन में बृद्धि करके लोगों को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से खादी तथा करघा योजनाएं चलायी जा रही हैं।

*४--**श्री मिहरबान सिंह**--क्या सरकार उन दोनों योजनाओं के नाम, उद्देश्य तथा कार्य पद्धति बताने की कृपा करेगी?

श्री हुकुम सिंह--करघा उद्योग योजना का उद्देश्य हाथ से बने कपड़े के उत्पादन को बढ़ा कर मिल के बने हुये कपड़े की कमी को पूरा करना, नये नये डिजाईन बनाकर स्थानीय, देशी तथा विदेशी, आवश्यकताओं को पूरा करना, भारत की प्राचीन कला और उद्योग की रक्षा करना तथा बुनकरों की जीविका का ध्यान रखना है।

उक्त योजना की कार्य पद्धित निम्नलिखित है--

१--राजकीय सेंट्रल वीविंग इंसटीट्यूट से संबंधित एक अनुसंधान शाला है जिसमें करघा उद्योग के विकासार्थ ऊनके नवीन तथा विचित्र नमूने तथा सस्ते एवं स्वत: संचालित यंत्रों का निर्माण किया जाता है।

२--राजकीय डिमान्स्ट्रेशन, डाइंग, एण्ड फिनिशिंग फैक्ट्री, मऊ में अनुसंधान-शाला द्वारा प्रस्तुत नमूने परिचालित किये जाते हैं तथा विविध आकर्षक और नये नमूने प्रस्तुत किये जाते हैं जो लोक प्रिय होने के साथसाथ नवीन उत्पादन के अंग बनते हैं। इस फैक्टरी में सूत तथा कपड़े की रंगाई होती है और वे फिनिश किये जाते हैं।

३--इस योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश में ९ उत्पादन केंद्र हैं जिनमें माल निर्धारित विवरण के अनुसार तैयार किया जाता है और क्वालिटी मार्केटिंग योजना द्वारा प्रमाणित हो जाने के उपरान्त गवर्नमेंट यू० पी० हैण्डीक्रैफ्ट्स द्वारा स्थानीय देशी तथा विदेशी जनता को बेचा जाता है।

४--इस योजना के अन्तर्गत करघा बुनकरों को कच्चे माल की पूर्ति की आवश्यक व्यवस्था की जाती है।

खादी विकास योजना का उद्देश्य योजना के कार्य-कर्ताओं, ग्राम कत्तिनों की तथा बुनकारों को खादी बुनाई में ट्रेनिंग देना, सूत तथा खादी का उत्पादन बढ़ाना, पुरानी तथा नई खादी संस्थाओं की सहायता करना और अनुसंधान तथा प्रयोग में सहायता देना है।

इस योजना की कार्य-पद्धति निम्नलिखित है।

१--प्रशिक्षण--इस समय विभिन्न खादी संस्थाओं के संरक्षण में ४४ खादी केन्द्र चल रहे हैं। इनके अतिरिक्त ६ खादी बुनाई शिक्षण केन्द्र भी हैं जिनमें ग्राम कत्तिनों और बुनकरों को ट्रेनिंग दी जाती है। कत्तिनों को ट्रेनिंग काल में रुई तथा चर्खा निःशुल्क दिया जाता है और ट्रेनिंग के पश्चात् चर्खे उन्हें दो तिहाई मूल्य पर बेच दिये जाते हैं।

२--उत्पादन--खादी केंद्रों पर ट्रेनिंग तथा उत्पादन दोनों कार्यों का आयोजन किया जाता है। इस समय ४४ ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र, ७ महिला शिक्षा केन्द्र और ५ शरणार्थी खादी केंद्र चल रहे हैं। खादी उत्पादन का कार्य मुख्यत: खादी संस्थाओं द्वारा ही होता है। विभाग द्वारा केवल एक खादी--उत्पत्ति केंद्र रुड़की में चलाया जा रहा है।

३--अनुसंधान--अनुसंधान तथा प्रयोग का कार्य अब खादी संस्थाओं द्वारा संचालित होता है। इन संस्थाओं को इसके लिये सहायता दी जाती है।

श्री केशव गुप्त (ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर)--हाथ के बुने कपड़े और मिल के बुने कपड़े इन दोनों में गवर्नमेंट की प्राथमिकता देने की नीति किसमें है ?

श्री हुकुम सिंह--अब तो मैं करघे के बने हुये कपड़ों को इम्पार्टेंस (महत्त्व) देना चाहता हूं।

श्री केशव गुप्त---क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि मिल के कपड़े की बढ़ोत्तरी और क्रय शक्ति कम होने के कारण हाथ के बुने कपड़ों के व्यवहार में कमी होती जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह---अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि हैंडलूम के बने कपड़ों के उत्पादन में कमी होती जा रही है।

श्री केशव गुप्त--उत्पादन की कमी मैंने नहीं पूछी, मैंने पूछा कि व्यवहार में कमी होती जा रही है।

श्री हुकुम सिंह---हैंडलूम के कपड़े के आर्डर हमको बाहर अमरीका, आस्ट्रेलिया और कनाडा तक से मिलते हैं और वहां हम सप्लाई करते हैं, तो मैं यह कैसे कहूं कि कमी हो रही है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दारुलशफ़ा के कमरों में भी करघों के बने हुये कपड़ों के पर्दे लगाये जायंगे ?

श्री हुकुम सिंह---हमारा इरादा तो अभी ऐसा ही है।

श्री नेक राम शर्मा (ज़िला अलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हिन्दुस्तान से बाहर हैंडलूम का कपड़ा जाता है ?

श्री हुकुम सिंह---जरूर जाता है।

*५---श्री शिवकुमार शर्मा (ज़िला बिजनौर)---[१४ अगस्त, १९५२ के लिये स्थगित किया गया]

सरकारी दफ्तरों में जनता के पत्रों का उत्तर न दिया जाना

*६---श्री शिव कुमार शर्मा---क्या सरकार को मालूम है कि लखनऊ के सेक्रेटेरियट के दफ्तरों को छोड़ कर नीचे के अन्य सरकारी दफ्तरों, जैसे कलेक्टरेट, कोआपरेटिव, आबपाशी इत्यादि में जनता और उनके प्रतिनिधियों के पत्रों के उत्तर न देने की कुप्रथा घर कर गयी है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---ऐसी कोई विशेष सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री शिव कुमार शर्मा---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या कोई आम सूचना सरकार को इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---सूचना तो मैंने कहा आयी नहीं है।

श्री बलवंत सिंह (जिला मुज़फ़्फ़र नगर)---क्या सरकारी अफ़सरों और दफ़्तरों को एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और एम० पी० के शासन संबंधी पत्रों का उत्तर देना अनिवार्य है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके तीन आदेश पत्र जा चुके हैं जिनमें इस पर जोर दिया गया है कि एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० ही नहीं, बल्कि जनता के जितने पत्र उनके पास आते हैं उनका उत्तर जरूर दिया जाय।

कुमायूं डिवीजन के जंगल

*७--श्री खुशी राम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुमायूं डिवीजन के अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल व टिहरी-गढ़वाल में प्रत्येक जिले के अन्दर कितने कितने वर्गमील या एकड़ जंगल हैं ?

*८--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितना जंगल दर्जा १ में स्थित है और कितना दर्जा २ में स्थित है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--एक विवरण पत्र मेज पर रखा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८१ पर)

श्री खुशी राम--क्या मान्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पहाड़ी इलाकों के पंचायती जंगल भी इसमें शामिल हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसमें तो दर्जा १ और दर्जा २ के ही जंगलों का विवरण दिया गया है।

श्री खुशी राम--क्या तराई भावर के स्पेशल फारेस्ट्स (विशेष वन) भी इसमें शामिल हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नहीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार उन जंगलों को जहां पर बिलकुल पेड़ नहीं हैं हरिजनों को देने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री जगहमोहन सिंह नेगी--जहां पर कुमायूं डिवीजन में दूसरे प्रकार के जंगल हैं, जो कि कमर्शियल (व्यापारिक) नहीं हैं, वहां पर तो उनको दिया गया है और उन लोगों ने अभी तक उनको इस्तेमाल भी नहीं किया। इसलिये फिर यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टेहरी गढ़वाल के जंगल विभाग के अधीन दर्जा १ व २ के अतिरिक्त स्वयं जंगल भी हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसका कुल रकबा तो टेहरी गढ़वाल में एक ही खाने के अन्दर दिखला दिया गया है। वहां पर इस प्रकार का विभाजन किस क्षेत्र का है। उसमें तो टोटल (योग) बतला दिया गया है जो प्रश्न के उत्तर में है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--ये १ और २ नम्बर के जंगल किस तरह के होते हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--वह तो मैनुअल में लिखा हुआ है लेकिन मैं जरा से में बता दूं कि १ उनको कहते हैं जिनमें राइट्स ज्यादा मिलते हैं और २ कमर्शियल हैं और उसी प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) से रखे जाते हैं।

कुमायूं डिवीजन के तराई भावर क्षेत्र में शेर व बाघों द्वारा पशुओं की हानि

*९—श्री खुशी राम—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं डिवीजन के अल्मोड़ा, नैनीताल व गढ़वाल के तराई भावर क्षेत्र में पूर्वी टनकपुर से पश्चिमी कोटद्वार क्षेत्र तक १ जनवरी, सन् १९५० ई० से माह मई, सन् १९५२ ई० तक किसान वर्ग की कितनी कितनी रास गाय, बैल, घोड़े व भैंसें, शेर व बाघों ने मार दिये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मांगी गई सूचना निम्नलिखित है—

गढ़वाल—

गायें—	...	...	३८६
बैल—	...	...	१५७
घोड़े—	...	...	३१
भैंसे—	...	...	७४
		योग—	६४८

नैनीताल—

कुल २०२६ जानवर मारे गये। विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।

अल्मोड़ा—

इस जिले में तराई भावर क्षेत्र नहीं आता।

श्री खुशी राम—२९ माह के अन्दर इतना नुक्सान हुआ है। क्या इससे पेश्तर भी इसी रफ्तार से जंगली शेर और बाघों ने नुक्सान किया होगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां हुआ होगा।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि आइंदा यह हत्यायें न हों इसके लिये कोई क़दम उठाना चाहिये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया है और फिर मैं आपको बतला दूं कि श्री इब्राहीम जो की एक अच्छे शिकारी हैं उनकी सेवायें सरकार ने उपलब्ध कर ली हैं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार मैन ईटर्स (नरभक्षक) और उन शेरों में जो केवल जानवरों को ही खाते हैं किसी प्रकार का भेदभाव रखेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जानवर भी उतनी ही प्यारी चीज है जितने कि इंसान।

इंडियन नेशनल शुगर वर्कर्स फेडरेशन के मंत्री श्री काशी नाथ पाण्डेय को बरवा जंगल में भूमि देना

*१०—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या इण्डियन नेशनल शुगर वर्कर्स फडरेशन के मंत्री श्री काशी नाथ पांडेय ने अपने और अपने भाई के नाम से ४९ एकड़ जमीन बरवा जंगल में बंदोबस्त में ली है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—बरवा जंगल में केवल २४ एकड़ जमीन श्री काशी नाथ पांडे और उनके भाई को कोर्ट आफ वार्डस ने काश्त के लिये दी है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बरवा जंगल में कुल कितने एकड़ जमीन है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि श्री काशीनाथ पांडेय को पोलिटिकल सफरर (राजनीतिक पीड़ित) होने के नाते गंगा खादर में ३० एकड़ जमीन दी गई है?

श्रीजगमोहन सिंह नेगी---इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, जो जमीन दी गई है उसका ज्ञान है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि श्री काशीनाथ पांडेय वही हैं जो आई० एन० टी० यू० सी० के जनरल सेक्रेटरी हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसका मुझे पता नहीं है, अर्जी में उन्होंने लखनऊ का पत दिया है। ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वह कौन हैं और क्या हैं।

श्री गेंदा सिंह---उसमें यह लिखा हुआ है कि आई० एन० टी० यु० सी० के लीडर श्री काशीनाथ पांडेय को जमीन दी गई?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह प्रश्न जो आपने पूछा वह उत्तर में नहीं है। मैंने पता चलाया तो पता चला कि उनका यह पता लखनऊ का है जिस प्रकार वह दिया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के या कोर्ट आफ वार्डस के पास जो चीज आई है उसमें यह पता नहीं है कोई दूसरा पता है।

श्री रामनरेश शुक्ल (ज़िला प्रतापगढ़)---क्या काशी नाथ जी के अतिरिक्त और लोगों ने जमीन पाने की दरख्वास्त की थी और जिन्होंने नहीं पाई उन्होंने फिर कोशिश की थी या नहीं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---गवर्नमेंट के पास इस तरह की कोई दरख्वास्त नहीं आई, मैनेजर कोर्ट आफ वार्डस के पास आई होगी। उन्होंने कुछ जमीन रिक्लेम (कृष्यकरण) की थी उसमें गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं था कि वह किसको दे या किसको न दे। जिसको उन्होंने मुनासिब समझा दे दिया। गवर्नमेंट को केवल यह इत्तला मिली कि फलां जगह के रहने वाले को जमीन दी गई।

अतारांकित प्रश्न

१-२-श्री शिवकुमार वर्मा [संख्या ५ और ६ के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न के रूप में स्थानान्तरित किये गये।]

अश्लील सिनेमा, तसवीरों और ग्रामोफोन रिकार्डों का जनता के चरित्र पर दुष्प्रभाव

३---श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे सिनेमा, तसवीरों और ग्रामोफोन रिकार्डों का प्रचार हो रहा है जिनसे जनता के चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है? यदि हां तो सरकार इनको रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है?

मुख्य मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---कानून के अन्दर, सिनेमा, तसवीरों तथा उनमें प्रयोग किये गये ग्रामोफोन रिकार्डों का प्रचलन रोकने का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को है। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है।

राज्य के जिलाधीश, पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट डिप्टी सुपरिटेण्डेण्ट और सब-डिवीज़नल आफ़िसर

४---श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश के कितने और कौन-कौन जिलाधीश कप्तान पुलिस, डिप्टी कप्तान पुलिस और सब डिवीजनल अफसर अस्थायी हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---तमाम अधिकारी जो इन पदों पर काम कर रहे हैं स्थायी नौकरी में हैं। डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस जो कि स्थानापन्न जिलाधीश और सुपरिण्टण्डेण्ट पुलिस हैं उनको तथा स्थानापन्न डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस और सब-डिवीजनल अफसरों की संख्या क्रमशः ७,१८,५५,और ३६ है। इनके नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२ पर)

अतारांकित प्रश्न ४ के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न था जिसका उत्तर नहीं मिला ।

अध्यक्ष---प्रश्न तो समाप्त हो गये। कौन सा प्रश्न था ?

श्री गेंदा सिंह---प्रश्न नम्बर ४, अतारांकित ।

अध्यक्ष---इसका जवाब आपको टेबिल पर नहीं मिला ?

श्री गेंदा सिंह---टेबिल पर तो जवाब मिल गया।

अध्यक्ष---अतारांकित प्रश्न का जवाब पूछने का यहां रिवाज नहीं है। आप तारांकित प्रश्न का नोटिस देंगे तब यह सदन में आयेगा ।

बनारस के किसानों और जमींदारों के संघर्ष के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष---मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि आज भी एक काम रोको प्रस्ताव आया हुआ है और वह बनारस के किसानों और जमींदारों के संघर्ष के संबंध में है और अखबार में यह खबर छपी है उसको लेकर यह काम रोको प्रस्ताव आया है। चूंकि यह संदिग्ध है, यह बात कहां तक सच है और कहां तक उसमें ज्यादतियां हुई हैं इसका कोई भी आन्दाजा नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ अखबारी रिपोर्ट की बुनियाद पर यह है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन तथा उपवेशन के समय में १ घंटे की वृद्धि का प्रस्ताव

अध्यक्ष---वित्तीय वर्ष १९५२---५३ के लिये आय व्यय में अनुदानों के लिये प्रस्ताव-पहले इसके लिये समय विभाजित कर लेना चाहिये। इसलिये मैं इस पर सुझाव चाहूंगा कि किस-किस अनुदान के लिये कितना समय चाहिये।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फर नगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के दिन के लिये ६ अनुदान रक्खे गये हैं। वे सभी महत्वपूर्ण हैं और सब लोग उन पर बहस करना

चाहेंगे। मेरी प्रार्थना यह है कि आज १ घंटा बढ़ा दिया जाय और उस बढ़े हुये वक्त के लिये इस तरह से अनुदानों का विभाजन किया जाय। राज्य आबकारी १ घंटा, न्याय प्रशासन डेढ़ घंटा, अनुदान संख्या ६ और १० जो सिंचाई से संबंध रखती हैं उनके लिये सवा दो घंटे, स्टाम्प १५ मिनट और रजिस्ट्री आध घंटा। इस तरह से साढ़े ५ घंटे आज रक्खे जायं।

अध्यक्ष---आपने साढ़े पांच घंटे का बटवारा किया कि इस हिसाब से समय विभाजन किया जाय।

श्री केशव गुप्त--जी हां।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---अनुदान संख्या ६ पर १५ मिनट कर दिये जायं और पहले अनुदान संख्या ३ पर १५ मिनट और बढ़ा दिये जाय।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---यह अनुदान संख्या ३,४ साथ ले लिये जायं।

अध्यक्ष--नहीं, इससे वही ठीक है जो पहले बतलाया गया है। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सदन की यह इच्छा है कि एक घंटा बढ़ा दिया जाय ?

न्याय मंत्री (श्री सैय्यद अली जहीर)---मेरे ख्याल से वक्त बढ़ नहीं सकता है। ५ बजे का जो वक्त मुकर्रर है उस वक्त ग्रांट गिलोटीन हो जायगी। मुझे कोई वजह वक्त बढ़ने की नहीं मालूम होती है।

अध्यक्ष---मैंने यह पहले कहा था कि यह दस्तूर रहा है कि सदन को यह अधिकार है कि वह अपने रोजाना के समय को बढ़ा सकता है। आखिरी रोज जिस रोज कि यह बजट का सब कार्य समाप्त होगा उस रोज सब अनुदान गिलोटीन होगा। लेकिन रोजाना का जो कार्य है नियम के अनुसार किसी रोज भी सदन चाहे वह अपने लिये समय बढ़ा सकता है। यह नियम के अनुसार है। कहीं भी इसके लिये मजबूरी नहीं है कि रोजाना का जो कार्य है उसके लिये समय बढ़ने न दिया जाय। सिर्फ गिलोटीन जो होता है वह तो आखिर के दिन होगा साढ़े चार बजे। यह मैंने निर्णय दिया था। इसलिये सदन को यह अधिकार है कि वह समय बढ़ा सकता है। अपना आज का कार्य पूरा करने में अगर कोई आपत्ति माननीय मंत्री जी को है तो वह सदन के सामने रख सकते हैं।

श्री सैयद अली जहीर---मुझे तो वक्त बढ़ाने की कोई वजह नहीं मालूम होती है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---एक दिन ऐसा हो चुका है कि आपने एक घंटा बढ़ा दिया था। जब हमारे माननीय सदस्य इस बात के लिये रजामन्द हैं कि समय बढ़ा दिया जाय तो समय बढ़ना चाहिये।

अध्यक्ष---सरकार ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया। अब जब तक इस सदन में प्रस्ताव इस बात का न होगा कि वक्त बढ़ा दिया जाय और वह पास न हो जाय तब तक समय बढ़ नहीं सकता है। इसलिये मैं माननीय श्री केशव गुप्त से कहूंगा कि वह अपने समय में परिवर्तन करके बतलायें या कोई प्रस्ताव इस बात का लायें कि एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय।

श्री केशव गुप्त---मुझे तो आपसे यही प्रार्थना करनी है कि माननीय न्याय मंत्री का जितना कार्य है वह पहले ले लिया जाय क्योंकि ५ बजे वह जाना चाहेंगे तो उनको छुट्टी हो जायगी और माननीय सिंचाई मंत्री से पूछ लिया जाय अगर उनको कोई आपत्ति न हो तो उनके अनुदान बाद को ले लिये जायं।

अध्यक्ष---सूचना मंत्री कुछ इस बात पर प्रकाश डालेंगे ?

सूचना मन्त्री (श्री कमला पति त्रिपाठी)--मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री बलवीर सिंह कुंवर (ज़िला मेरठ)---मेरी प्रार्थना है कि कोई समय न बढ़ाया जाय क्योंकि सबको बोलने का मौका तो समय बढ़ने पर भी नहीं मिलता ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय ।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

वित्तमन्त्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)---जनाबवाला, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं हाउस में जो कुछ इस वक्त सुन रहा हूं उस से मालूम होता है कि मेम्बरान में इस बात पर इत्तिफाक नहीं है । लिहाजा बेहतर यह है कि इस रिजोलूशन को पुट (संकल्प प्रस्तुत) ही न किया जाय और वह वापिस हो जाय और काम ५ बजे तक बदस्तूर हो । इस इख्तलाफी की हालत में यह कोई मुनासिब बात नहीं है कि इसको खामख्वाह पुट ही किया जाय ।

अध्यक्ष---मेरे लिये तो कोई और रास्ता नहीं है मैं तो भवन के सामने प्रस्ताव रखे देता हूं । उस की जो भी राय हो । इस में किसीकी जिद नहीं होनी चाहिये बल्कि जो भवन तै करे वही स्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (ज़िला सीतापुर)---श्रीमान्, क्या यह ठीक है कि प्रश्न पर और ऐसे समय भी पार्टी का कोड़ा चलाया जाय ?

अध्यक्ष---यह आप पार्टी से ही पूछ सकते हैं ।

प्रश्न यह है कि आज का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---(पक्ष में २५--विपक्ष में--१६४)

अध्यक्ष---अब समय इस प्रकार होगा । पहले अनुदान के लिये १ घंटा, दूसरे के लिये १ घंटा, तीसरे और चौथे के लिये १।। घंटा, ५वें के लिये १५ मिनट, और बाकी जो बचेगा १५,२० या २५ मिनट बचेगा वह छतें के लिये होगा ।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ३--खेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली ज़हीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३, राज्य आबकारी (लेखा शीर्षक ८, राज्य आबकारी) के अन्तर्गत ९१,३२२०० रु० की मांग स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो मांग ९१,३२,२०० रु० की रखी गई है उसके सिलसिले में यह बता देना चाहता हूं कि इसमें से ६५००,००० रु० तो हमें पावर एलकोहल की कीमत देनी है और ५,९१,००० रु० हमें अफीम के खरीदने में सर्फ करना है और ये दोनों रकमें हमको वापस मिल जावेंगी इसलिये कि ये दोनों चीजें बिकने के लिये हैं और इनका रुपया सरकार को वापस मिल जाता है । इस तरह से इस मद में जो कुल रुपया खर्च होगा वह २०४१२०० रुपया है । यही खर्चा है जो इतने बड़े डिपार्टमेंट पर होता है इस सिलसिले में मैं यह बता देना चाहता हूं कि एक कटमोशन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से यहां आया हुआ है कि इसमें ५० लाख रुपये

की कमी कर दी जाय। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इस सिलसिले में यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि अगर इसमें ५० लाख की कमी की जायेगी तो यही नहीं कि स्टेट को नुकसान होगा बल्कि हमारी जो आमदनी का जरिया है वह भी बंद हो जायगा। यह गालिबन या तो गलतफहमी पर में बनी है या जो असली फिगर्स हैं उनको समझा नहीं गया। मैं इस सिलसिले में यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जहां तक इस डिपार्टमेंट का ताल्लुक है हम अब तक उसको एक खास उसूल पर चलाते आये हैं और वह उसूल आज का नहीं बल्कि उसको कांग्रेस पार्टी ने ३०—३५ साल पहिले अपनाया था और उस पर आज तक बराबर अमल दरामद हो रहा है। मैं इसके मुताल्लिक अनुच्छेद ४७ कांस्टीटयूशन की तरफ तवज्जुह दिलाता हूं उसमें स्टेट्स के लिये एक डायरेक्टिव प्राविजन (निदेशक उपलन्ध) है। उसमें लिखा गया है कि—

"The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes, of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health."

[राज्य अपने लोगों के आहार पुष्टितल और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक पेयों और औषधियों को औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।]

अगर इसके ऊपर गौर किया जाय तो यह मालूम हो जायगा कि किस गरज से और किस मकसद से यह प्राहीबीशन पालिसी (मद्य-प्रतिषेध नीति) जो, कांग्रेस शुरू किया और आज तक उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता रहा है। मैं इस सिलसिले में यह बतलाऊंगा कि हमारी जो एक्साइज रेवेन्यू (मादक कर राजस्व) थी वह सन् ५०—५१ में ६,५०,६०,३४३ रूपया थी। ५१—५२ में उसका हिसाब अभी मुकम्मिल नहीं हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वह ६,१५,५०५०० रुपये होगी और आयन्दा साल यानी ५२—५३ में हमको उम्मीद है कि वह सिर्फ ६१,१६,६००० रुपये होगी। इससे आप देखेंगे कि हमारी जो पालिसी है वह शराबखोरी कम करने की है। बराबर इसके ऊपर अमल हो रहा है। हम उसमें कमी करते जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और फिगर्स (आंकड़े) मैं आपको बतलाऊं जिनके जरिये से मालूम होगा कि हमारे यहां शराबखोरी में कमी हो रही है मस्लन कंट्री स्पिरिट (देशी मद्य) जो कि हमारे यहां बनाई जाती है और आम तौर से इसको गरीब लोग पीते हैं उसकी मिकदार जो इस्तेमाल हुई है वह इस तरह से है—

सन् ४६—४७ में	१२,६६,१५६ एल० पी० गैलन
सन् ५१–५२ में	६,२२,६३० " "

इसी तरह से अफीम का इस्तेमाल भी पहिले से कम हो गया है।

सन्४६–४७ में	२४,६०४ सेर
सन् ५१–५२ में	१४,६०१ सेर

गांजे की खपत इस तरह से रही—

सन् ४६–४७ में	४०,२८१ सेर
जो सन् ५१–५२ में	५५,६८ सेर रह गई।

भांग अलबत्ता एक ऐसी चीज है जिसमें किसी वजह से ज्यादा कमी नहीं हुई।

[श्री सैयद अली जहीर]

सन् ४६–४७ में इसका इस्तेमाल था १, ५८,८९८ सेर और अब इसका इस्तेमाल १,५३,५७३ सेर है। तो इस तरह यह मालूम होता है कि इसमें कमी तो जरूर हुई है लेकिन उतनी कमी नहीं हुई है जितनी कि और चीजों में हुई है।

इसके अलावा जो शराब बाहर से आती है इस मुल्क में इस्तेमाल करने के लिये, उसकी दो किस्में हैं। एक तो स्पिरिट है और दूसरी बीयर है। इन दोनों में भी काफी कमी हुई है। मसलन सन् ४६–४७ में––सन् ४६–४७ में इसलिये ले रहा हूं कि पहले पहल इसी सन् में प्राहीबिशन (मद्य प्रतिषेध) को मौजूदा हुकूमत ने रायज किया था। तो उस वक्त स्पिरिट का इस्तेमाल २,५२,८८० एल० पी० गैलन था लेकिन सन् ५१-५२ में १,०३, ४४३ गैलन का इस्तेमाल रहा। बीयर का जहां तक ताल्लुक है सन् ४६––४७ में इसकी मिकदार ८,२३,०९८ गैलन थी लेकिन अब इसकी मिकदार कम होकर १,८५,५४५ गैलन रह गयी है। इससे आपको अन्दाजा होगा कि सारे मुल्क में जहां तक शराबखोरी का ताल्लुक है इस सूबे में उसमें काफी कमी होती जा रही है।

बावजूद इसके आप पूछ सकते हैं कि इतना कम इस्तेमाल होने पर भी जो हमारे स्टेट (राज्य) की आमदनी थी उसमें कुछ ज्यादा कमी नहीं हुई है, इसका क्या सबब है? कमी जरूर हुई है लेकिन बहुत ज्यादा कमी नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि हम बहुत सी चीजों पर काफी ड्यूटी बढ़ाते चले जा रहे हैं इसी वजह से आपको ज्यादा कमी नहीं दिखाई देती है। उसी के साथ ही मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि इसके लिये हमने कुछ ऐसे तरीके भी अख्तियार किये हैं जिनकी वजह से इन चीजों का इस्तेमाल यहां कम हो जाय। ११ जिलों में जो प्रोहीबिशन फैला हुआ है वह सन् ५० से ही जारी है। उसके बाद कोई और जिला हमने नहीं लिया। ११ जिलों के अलावा तीन ऐसे मजहबी मुकामात हैं जहां पर कि शराब के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है और दीगर नशों के इस्तेमाल की भी उन जगहों पर इजाजत नहीं है। उसी के साथ साथ हमने यह भी किया है कि शराब की दूकानों के खोले रखने के वक्त में भी हम कमी करते जा रहे हैं। कितने घंटों के लिये दूकानें खुली रहनी चाहिये, उसको भी हम पहले से घटाते जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने नये लाइसेंस वगैरह देने में भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जहां तक होता है हम नये लाइसेंस नहीं जारी करते अभी हमने थोड़े दिनों में जो बहुत सी दूकानें गुजिश्ता साल थीं, उनको बन्द किया है। हमने गोरखपुर जिले में तीन दूकानें बन्द की हैं, टेहरी गढ़वाल में तीन दूकानें बन्द की हैं, इसी तरह से सहारनपुर में एक दूकान और हापुड़ में भी एक दूकान बन्द की है, शराबखोरी की दूकानें हम बन्द करते जा रहे हैं। यह तो एक तरीका है जिसके जरिये से इसके इस्तेमाल में इस डाइरेक्टिव (निदेशक) को लागू करने के लिये स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है लेकिन उसी के साथ साथ हम प्रोहीबिशन के पब्लिसिटी आर्गेनाइजेशन पर भी कोई डेढ़ लाख रुपया खर्च कर रहे हैं और इसके जरिये से हम चाहते हैं कि जनता में इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाय और मुख्तलिफ तरीकों से ऐसी बातें जनता में फैलायी जायं जिनकी वजह से वे खुद इसको छोड़ दें और उस तरफ लोग रागिब न हों।

यहां मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक प्रोहीबिशन स्कीम का ताल्लुक है उसमें हमेशा यह खतरा रहता है कि गवर्नमेंट कोई प्रोहीबिशन स्कीम लागू करती है, या नशाबन्दी करती है तो उसका नतीजा यह होता है कि लोग नाजायज तरीके से उसके बनाने की कोशिश करते हैं। और वह चीजें बनने लगती हैं। इसका तदारुक करना गवर्नमेंट के लिये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका भी तदारुक कर दिया जाय।

उसी के साथ आप देखेंगे कि बजाय इसके कि नाशाबन्दी की जाय हम यह कोशिश करें कि हम पब्लिक का दिल इससे हटा दें। उनके दिल में इसकी तरफ से नफरत पैदा

कर दें ताकि शराबखोरी वह खुद छोड़ दें। ऐसी सूरत में इसका अंदेशा नहीं हो सकता कि वहां पर नाजायज तरीके से शराब बने और कानून शिकनी हो। इसी वजह से सन् ५० के बाद से हमने अपनी स्कीम को आगे नहीं बढ़ाया। जिन अजला में नशाबन्दी थी उनमें तो बराबर कायम है और जहां है वहां इसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि इल्लिसिट डिस्टेलेशन (अवैध मद्योत्पादन) न हो। लेकिन उसके आगे बढ़ाने के लिये हम चाहते हैं कि कम से कम हम जांच लें कि इन दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका ऐसा है जिसको गवर्नमेंट अख्तियार करे और उसके ऊपर शिद्दत के साथ अमल दरामद करे। इसके लिये पार साल जो एक्साइज मिनिस्टर साहब थे उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों की एक कमेटी बनाने का वादा किया था। लेकिन पार साल वह नहीं बन सकी। हम अभी सारा मैटीरियल जो मौजूदा एक्सपेरीमेंट्स से मिल सकता है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। इसी दौरान में और सूबों में जहां पर नशाबन्दी हुई है, उन की रिपोर्टों पर भी हम गौर कर रहे हैं। इन सब बातों को देख कर हम को तय करना है कि आयन्दा हमारी क्या पालिसी होगी।

जैसा कि मैंने अर्ज किया इस लिये यह फैक्ट्स ऐंड फीगर्स हैं। लेकिन आम पालिसी क्या होगी और किस तरह से आगे चल कर गवर्नमेंट क्या तरीका अख्तियार करेगी इसके लिये कोई खास बात मैं आपके सामने नहीं बतला सकता कि हम आइंदा फलां रास्ते के ऊपर चलेंगे और फलां को छोड़ देंगे। अभी हम एक तरफ नाशाबन्दी को जांच कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां पर नशाबन्दी नहीं है वहां पर दूसरे तरीकों से अमल कर रहे हैं। अभी हमको मालूम हुआ और गालिबन इस हाउस के मेम्बरान को भी इत्तिला होगी कि मिर्जापुर में एक मोहनी देवी हैं उसने अभी थोड़े दिन हुये मिर्जापुर में शराब के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया है। वह बे पढ़ी लिखी औरत हैं। लेकिन वह एक ऐसे खान्दान से हैं जहां पर शराब और गोश्त सभी तरह की चीजें इस्तेमाल होती थीं। लेकिन उसके दिल में एक दम से नफरत पैदा हुई और उसने प्रचार शुरू किया। उसका असर इस थोड़े से अर्से में यह हुआ है कि वहां की दूकानों के ठेकेदार अब यह दरख्वास्त दे रहे हैं कि यहां तो बिल्कुल शराबखोरी बन्द हो गयी। हमने ठेके का रुपया जिया गया है वह माफ किया जाय। तो इससे आप को अन्दाजा हो सकता है कि इस किस्म के प्रोपेगेंडा में कितना असर है। प्रचार करना और लोगों को इस तरफ रागिब करना यही ऐसी चीज है जिसके जरिये से हमारा मकसद हासिल हो सकता है। यह ऐसी चीज नहीं है कि गवर्नमेंट महज कानून बना कर जबर्दस्ती रायज कर सकती है। हमको सोशल रिफार्म करना होगा और सोशल रिफार्म करने के लिये जितनी पार्टियां हैं, जितने लोग हैं जो मुल्क की सेवा करना चाहते हैं हमको उन सब की हमदर्दी और उन सबके साथ की जरूरत है। चुनांचे जो हमारा आर्गेनाइजेशन है जिसका मैंने अभी जिक्र किया इस आर्गेनाइजेशन को हमारा हुक्म है कि जहां तक हो सके वह पंचायतों को, मुख्तलिफ पार्टीयों के लीडर्स को सबकी हमदर्दी अपने साथ लें और उनकी मदद से अपने काम को बढ़ायें और लोगों में इस बात का प्रचार करें कि शराबखोरी में बुराइयां हैं, उससे क्या नुकसान होते हैं, जिस्म पर क्या असर होता है, खान्दान पर क्या असर होता है यह सब चीजें बतलायें।

कांग्रेस पार्टी के बाज लोग इसके हामी हैं कि प्राहिबिशन नहीं चलेगा, और हमको नहीं चलाना चाहिये। लेकिन इसका एक पहलू है जिस पर हमें गौर करना है। वह वही है जिसका पता कांस्टीट्यूशन से मिलता है। हमारे यहां की जो जनता है या पब्लिक है उसमें बहुत ज्यादा ऐसी हैं जिनकी आमदनी इतनी कम है कि अगर वह उसमें बालबच्चों को खुश रखना चाहें तो उनको दिक्कत पड़ती है। लेकिन अगर उसका एक छोटा हिस्सा भी इस तरह की फ़िजूलियात में जैसे शराबखोरी है खर्च कर दें तो उसका असर उसके खानदान और उनके बच्चों पर और बीबी पर पड़ता है। हम अपने मुल्क की हालत तभी बेहतर बना सकते हैं जब कि हमारे यहां के जो काम करने वाले हैं, जो मजदूर पेशा हैं और जराअत करने वाले हैं और जिनकी लिमिटेड आमदनी हैं और जिनके

[श्री सैयद अली जहीर]

पास बहुत ज्यादा रुपया नहीं है, वह अपने रुपये का कोई भी हिस्सा ऐसे काम में सर्फ न करे जिसमें यह बेकाबू हो जायं और घरबार सब को भूल जायं। ऐसे फ़ुजूलियात में सर्फ़ कर देना उनके लिये बहुत बुरी बात है और उसको हमारी स्टेट किसी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती । यह तो हमारा अहद होना चाहिये कि जिनके पास पैसा है वह चाहे जो कुछ भी करें, हम उनकी गलतियों को और ऐसी बातोंको एक मर्तबा नजरअन्दाज कर सकते हैं, क्योंकि वह जानबूझ कर अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाडी मारते हैं, वह चाहे जो कुछ करें, लेकिन जो ऐसी जमाअत है जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ सकती और जिसके पास इतना रुपया नहीं है कि और वह अपने को खुश हाल रख सकें उनको खातिर तो हमको इस पालिसी पर अमल करना ही है और आगे चल कर अपनी प्राहिबीशन की पालिसी को बढ़ाना है और किसी तरह से अपने देश के रहने वालों की हालत को बेहतर बनाना है ।

मैं खासतौर से अपने सोशलिस्ट भाइयों से अपील करूंगा कि वह कहते हैं कि वह सारा काम, अपना सारा वक्त वर्कर्स में और मजदूरों में सर्फ करते हैं, उनका तो यह ऐन फ़र्ज होना चाहिये कि चाहे वे और प्रोपेगेंडा करें या न करें लेकिन ऐसे रास्ते से उनको रोकें जिस रास्ते पर चल करके सिवाय तबाही और परेशानी के और कुछ हासिल नहीं है । इस मामले में तो हमारा और उनका कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिये । इसमें तो हम सब मिल कर के इस काम को कर सकते हैं और इस नीति को कामयाब बना सकते हैं।

अब तक तो मैंने आप को बताया कि इन मामलात में क्या क्या काम गवर्नमेंट कर रही है । मैं इसी सिलसिले में यह भी बतला दूं कि हमारे डिपार्टमेंट ने सरकिल्स बनाई हैं जिनकी तादाद २७ के करीब पहुंच गयी है। वह चीज यह है कि खासखास शहरों को ले लिया गया है और उनमें हलक़े बना दिये गये हैं और हम दूसरी अक्तूबर को महात्मा गांधी की जो जयंती का दिन है उस दिन हम एक हफ्ता मनाते हैं और उस दिन शराब खोरी के खिलाफ जोरों से प्रचार होता है और उसकी बन्दी के लिये प्रोपेगेंडा किया जाता है, इल्लिसिट डिस्टिलेशन के खिलाफ अहदनामे लिखाये जाते हैं और बरतन तोड़े जाते हैं और पब्लिक को साथ लेकर प्रोपेगेंडा किया जाता है । इसमें हमारे जो इंसपेक्टर्स हैं और आर्गेनाइजेशन के लोग हैं वह दिलचस्पी लेते हैं वह आर्गेनाइज करते हैं और जनता की मदद से प्रोपैगेंडा किया जाता है। अब तक ऐसे २७ माडेल सरकिल्स क़ायम हो गये हैं और इल्लिसिट डिस्टिलेशन वगैरा और इस किस्म की और ग़लत बातें रोकने की कोशिश की गयी है ।

इसी तौर से यह इत्तिला देना चाहता हूं कि हमने एक सेंट्रल कंट्रोल लेबोरेटरी एक्साइज की, कानपुर में खोली है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करती है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा टाइम अगर माननीय मंत्री जी ले लेंगे तो फिर यह सब किताबें रखी रह जायगी।

अध्यक्ष---माननीय मंत्री महोदय, जारी रखें ।

श्री सैयद अली जहीर---मैं कट शार्ट करूंगा (भाषण संक्षिप्त) । जब कट-मोशन आयेंगे उस वक्त मैं कहूंगा। लेकिन एक चीज मुझे बतानी है कि जहां तक एक्साइज की हमारी और ऐक्टिविटीज हैं उनमें एक हमारी बड़ी इम्पार्टेंट ऐक्टिविटी पावर अलकोहल की है । पहले जो गन्ने से मोलैसेज बना कर के फेंक दिया जाता था अब उसके लिये डिस्टिल-रीज हमारे सूबे में कायम हो गयी है । गवर्नमेंट मोलैसेज ले करके डिस्टिलरीज में भेजती है और वहां पावर अलकोहल बनता है । पावर अलकोहल २० फीसदी पेट्रोल में मिला करके इस्तेमाल होता है । इसके मुताल्लिक रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि बजाय किसी किस्म की खराबी करने के यह बीस परसेंट जो पावर अलकोहल पेट्रोल में मिलाया जाता है इससे फायदा होता है । यह एक ऐसी चीज है जिस से डालर्स हमारे बचते हैं और हमारे देश की एक

इण्डस्ट्री को तरक्क़ी मिलती है । इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि १२ डिस्टिलरीज़ हमारे यहां हैं जिनमें एक करोड़ से ऊपर मोलेसेज़ की गुंजायश है। उसमें से ८६ लाख बलक गैलन पावर अलकोहल बन सकता है । सन् १९४७–४८ में ४ लाख बलक गैलन पावर अलकाहल बना और सन् १९५१–५२ में ५१ लाख बलक गैलन पावर अलकोहल बना है । उसके लिये जैसा मैंने शुरू में अर्ज़ कर दिया था कि रुपया प्रोवाइड कर दिया गया है । ६५ लाख रुपया पावर अलकोहल पर हम खर्च करेंगे उसके बाद वह रुपया हमारे पास वापस आ जायेगा । इन अल्फाज़ के साथ मैं अर्ज़ करता हूं कि यह जो ग्रांट है मंजूर की जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––जो पचास लाख का कटमोशन सोशलिस्ट पार्टी का माननीय मंत्री ने बतलाया वह कहां पर है ?

अध्यक्ष––यह माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बता देंगे ।

श्री अवध शरण वर्मा (जिला बाराबंकी)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

महोदय, जहां तक आज के इस अनुदान का संबंध है वह एक हमारे देश के चरित्र निर्माण से संबंध रखने वाला है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । अगर इसकी पृष्ठभूमि में हम देखें तो करीब करीब जब से यहां राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ तब से लेकर राष्ट्रीय सेवकों ने इसके लिये बड़े बड़े आन्दोलन किये । दूकानों पर धरने दिये गये पिकेटिंग की गयी और अनेक तरीकों से इसके रोकने का प्रबंध हुआ । सबसे मुख्य बात जो थी वह यह कि इसके पीछे महात्मा गांधी की एक विचारधारा थी कि हमारे देश से इस तरह की गंदी प्रथा जिसके अन्दर गरीब और अमीर सभी का नैतिक पतन होता है, समाप्त हो। इसी को लेकर हमारी सरकार ने इसे आरम्भ किया । लेकिन जहां तक इसकी स्थिति का संबंध है अगर आप देखें कि हम कहां तक इसमें सफल हुये हैं तो जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है और ट्रेजरी बेंचेज के हमारे भाई भी उसका अनुभव करते हैं हमें इसमें सफलता नहीं मिली । यहां पहले इसकी शुरूआत १९३७–३८ में हुई थी लेकिन बीच में हमारी मिनिस्ट्री खत्म हो जाने की वजह से वह चीज़ दब गयी । इधर सन् १९४६ से शुरू होने के बाद अब तक ग्यारह जिलों से आगे हम नहीं बढ़ सके हैं । यह इस बात का प्रमाण है कि हम इसमें प्रगति नहीं कर रहे हैं।

सरकार की ओर से कहा जाता है कि अगर हम एक दम से बन्द कर दें तो राजस्व में बड़ी कमी हो जायगी और सरकार का खर्च कैसे चलेगा । ये ऐसी परस्पर विरोधी बातें हैं कि एक तरफ़ तो हम आदर्श और नैतिकता को ऊंचा करने की और महात्मा गांधी की आत्मा को शान्ति देने की बात करें और दूसरी तरफ हम इससे डरें कि राजस्व में कमी हो जायगी और काम कैसे चलेगा । यह दोनों बातें कुछ उचित ही नहीं मालूम देतीं। अगर हमको करना है तो दृढ़ता के साथ एक चीज़ को करें और उसके लिये एक सिद्धांत हम अख्तियार करें। मैं तो यह कहूंगा कि इस कमी को पूरा करने के लिये सेल्स टैक्स लागू किया गया था और यह कहा गया था कि नशाबन्दी से राजस्व में जो कमी होगी उसको इस बिक्री कर द्वारा पूरा करना ज़रूरी है और करीब करीब उसमें जितनी कमी हुई वह उससे पूरी की गयी । लेकिन वह शराब बन्दी सिर्फ ११ जिलों पर सीमित रख करके उसको एक तरह से ठप सा कर दिया गया है । जिन जिलों में शराब बन्दी हुई है उनकी भी हालत से वहां के ही रहने वाले नहीं बल्कि सारे प्रान्त के रहने वाले परिचित हैं कि वहां कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है और किस ग़लत तरीक़े से वहां शराब पहुंचती है । इसको हमारे माननीय मंत्री जी भी अगर ठंढे दिल से विचार करेंगे तो सही पायेंगे। मैं तो देखता हूं कि जिन जिलों में शराब बन्दी है वहां के लोग दूसरे जिलों में जा कर, अधिक रुपया खर्च करके, मोटरों से आ कर शराब पीते हैं। अभी मुझे ट्रक से कानपुर जानेका इत्तिफ़ाक़ पड़ा । जब मेरी ट्रक उन्नाव के पास पहुंची

[श्री अवध शरण वर्मा]

तो वह रोक दी गयी । मैं बड़े चक्कर में पड़ा कि आखिर बात क्या है । उन लोगों ने कहा कि शराब तो नहीं है यह देखा जा रहा है । तो मैं देखता हूं कि साधारण लोगों को तो रोक थाम होती है लेकिन बड़े बड़े लोग ले जाते हैं और उनको कोई रोकथाम नहीं होती है । मैं तो यह देखता हूं कि इसमें जो हमारा इक्साइज डिपार्टमेंट (मादक कर विभाग) है उसका भी करप्शन (भ्रष्टाचार) में काफी हाथ रहता है ।

एक बात और इसके प्रमाण में है । जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि यह चीज तो कम हुई है मगर ठेके ज्यादा उठ रहे हैं, आमदनी कुछ कम नहीं हुई, । तो इसका कारण क्या है ? जब अधिक कीमत पर ठेके उठते हैं तो इसके माने यह हैं कि उनको अधिक आमदनी होती है और वह इसी तरह से कि जिन जिलों में यह चीज बन्द की गयी है वहां चोरी छिपे तरीके से वह जाती है । तो अगर हमें इस चीज को करना है तो पूरी दृढ़ता के साथ हमको इस खतरे को भी उठाने के लिये तैयार हो जाना चाहिये कि इससे चाहे जो भी हमारे सामने कठिनाइयां आयें , चाहे आर्थिक हों या और किसी प्रकार की, उनका हम सामना करेंगे ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि अभी मंत्री जी ने कहा कि हम सोशलिस्ट भाइयों से सहायता चाहते हैं। जहां तक सोशलिस्टों का संबंध है आप जानते हैं कि हमारी पार्टी का तो एक उद्देश्य इस बारे में है कि हम कभी भी नहीं चाहते कि नशे का प्रचार बढ़े या नशे का पीना जारी रहे और उससे देश का पतन हो। लेकिन सरकार के हाथ में यह संचालन सूत्र है और सबसे पहला फ़र्ज़ उसका है कि अगर वह दृढ़ता के साथ काम करती है तो हमारी पार्टी का पूरा पूरा सहयोग उसके साथ होगा।

मैं देखता हूं कि नशा बंदी के प्रचार के लिये जो लोग रखे जाते हैं उनमें कोई आदर्श नहीं है होता है । वे तो किराये के टट्टू की तरह से होते हैं। जिनको कोई काम नहीं होता वे लोग रखे जाते हैं लेकिन वे खुद ही वैसे ही आदमी होते हैं जो नशा पीते हैं और जिनका कोई चरित्र भी नहीं होता है कि जिसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ सके। मैं तो सरकारी अधिकारियों को देखता हूं। हर जिले में जो बड़े बड़े अफ़सर हैं शायद एक आध को छोड़ कर कोई इससे नहीं बचता है। तो एक तरफ़ तो हम यह देखते हैं और दूसरी तरफ़ यह आशा करते हैं कि हमारे कामों से इसका सुधार हो जायगा । तो यह तो एक असम्भव सी बात है ।

इसका नतीजा यही नहीं है । बड़े लोगों में तो शराब विलासिता के लिये पी जाती है लेकिन गरीब क्यों पीते हैं एक रिक्शा वाले से हमने पूछा कि भाई, तुम्हारी इतनी आमदनी है, तुम शराब भी पीते हो ? तो उसने जवाब दिया कि 'अरे साहब, का करो, गम गलत करै के लिये थोड़ी बहुत पी लेइत है' । तो इस तरह से सब लोग पीते हैं, चाहे विलासिता के लिये या ग़म ग़लत करने के लिये । इसलिये जब तक हमारे समाज की विचारधारा नहीं बदलती है तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता है। मैं तो कहूंगा कि इसमें कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिये ये आर्थिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से या किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है और इसको हर तरह से रोकना चाहिये । जहां पर ठेके वगैरा दिये जाते हैं वह पेशेवर लोगों को दिये जाते हैं जो इस चीज को और भी प्रोत्साहन देते हैं। मैं तो यह चाहूंगा कि सरकार इसको अपने हाथ में ले ले और इसका उसी तरह से प्रबंध करे जैसे कि सरकार ने राशन की दुकानें खोल रखी हैं । इसलिये ऐसे लोग रखे जायं जो इसकी रोकथाम की कोशिश करें और जो लोग वहां पीने के लिये आयें उनके सामने यह चीज रखें कि आप जो यह नशे की चीज पी रहे हैं यह घृणित है और मानसिक दृष्टि से हानिकारक है । यदि ऐसा किया जायगा तो शायद कुछ रोक थाम हो सकेगी। हम देखते हैं कि गरीबों में तो यह एक आदत सी पड़ गयी है । मैंने देखा कि गांव में चमार लोग शराब पीते थे। जब उसकी रोक थाम हुई तो वह लोग शराब के बदले स्प्रिट पीने लगे मैं इन शब्दों के साथ अपने प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के ऊपर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। जहां तक नशा बन्दी को रोकने को जरूरत है और इसके संबंध में जो कुछ किया जा रहा है उससे यह सदन और मैं भी पूर्ण रूप से सहमत हूं। सब प्रकार से आन्दोलन होना चाहिये जिससे शराब पीने में कमी हो। आज हमारी सरकार नशा बन्दी की नीति का पालन कर रही है और ग्यारह जिलों तथा तीन धार्मिक स्थानों में नशा बन्दी कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त और जिलों में शराब उसी तरह से बेची जाती है जिस तरह से जैसे पहले बिकती थी। मैं दोनों प्रश्नों को एक एक करके लूंगा।

जहां तक नशा बन्दी वाले जिलों का संबंध है इन जिलों में शराब की दुकानें बन्द कर दी गयी हैं और सरकार की ओर से मादक वस्तुओं पर रोकथाम है। लेकिन सुनने में आया है कि रोकथाम के होते हुये भी नाजायज और गैरकानूनी शराब का इस्तेमाल काफी हो रहा है और इसका कारण यह है कि अवैध मदिरा का व्यापार उन लोगों के हाथों में चला गया है जो सामाजिक दृष्टि से ठीक आदमी नहीं है और जिनका अपराधियों और अपराधों से संबंध है। उनका गिरोह है और उनका संबंध सरकारी कर्मचारियों से भी एक प्रकार का है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हमारा देश महुये के वृक्षों से भरा हुआ है और गांवों में महुये के वृक्षों की कमी नहीं है। महुये से शराब बनाना कोई कठिन नहीं है। सुना जा रहा है कि इन ११ जिलों में नाजायज शराब काफ़ी मिकदार में बनायी जा रही है। इसके द्वारा और इसके कारण हमारी सरकार को कोई लाभ नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान हो रहा है और जनता का भी इससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। सरकार की इस नशा बन्दी की नीति के बरतने से जनता का और सरकार का कहां तक हित है इस पर विचार होना चाहिये।

जहां तक प्रचार का कार्य है उसको अच्छी तरह से किया जाय और उसमें जो शिथिलता है उसको दूर किया जाय। जहां तक उन जिलों का संबंध है जहां कि शराब जायज तौर पर बेची जाती है मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि जो लोग शराब पीते हैं वे बुरा काम करते हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनको दो आने की चीज दे कर उनसे साढ़े छः और आठ रुपये लिये जायं। सरकार के पास शराब की मानोपोली (एकाधिकार) है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उस शराब को देखें जो बेची जा रही है। वह साढ़े ६ और ८ रुपये में बिक रही है। वह इतनी क़ीमत की चीज भी है या नहीं। यह शराब मुलेसिस से बनती है और महुए का बहुत थोड़ा अंश रहता है। इसके सेवन करने से मनुष्य के शरीर पर क्या असर पड़ेगा। मेरे ख़याल में इससे बहुत नुकसान होता है। अगर शुद्ध महुये की शराब दी जाये तो वह उतनी हानिकारक नहीं होगी जितनी कि मुलेसिस से बनी हुई शराब होगी। अगर बेचना है तो मैं कहूंगा कि अच्छी बनी हुई शराब दी जाय।

हमारे यहां वैद्यक में नुक्सों की कमी नहीं है जिनसे अच्छी और सस्ती शराब बनायी जा सकती है क्योंकि जिन लोगों को यह शराब ७,८ रुपये बोतल दी जाती है वे ग़रीब से ग़रीब लोग हैं, उनसे इस प्रकार से रुपया लेना मुनासिब नहीं है। अगर उनको अच्छी और सस्ती शराब दी जायगी तो उससे ज्यादा हानि नहीं होगी जितनी कि उनको और उनके परिवारों को इतनी मंहगी शराब देने पर होती है। शराब के दाम बढ़ाने का नतीजा आज यह हो रहा है कि लोग स्प्रिरिट और टिंचर का प्रयोग काफ़ी मात्रा में करने लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सदन समझ सकेगा कि जब टिंचर और स्प्रिट लोग पियेंगे तो उसका क्या हश्र होगा और ऐसी चीजों का प्रयोग करने से लोगों की मृत्यु होगी, उनका स्वास्थ्य खराब होगा तो इसका अभिशाप किसको लगेगा? इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यों ही शराब के दाम बढ़े हुये हैं। यदि और ड्यूटी बढ़ेगी तो उससे हानि होगी।

श्री रामेश्वर प्रसाद (ज़िला रायबरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले यह सोचा था कि इस अनुदान को रखने के कारण मैं अपने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा परन्तु यहां बैठ कर जब मैंने अपने समाजवादी भाई के विचार सुने तो मुझे बहुत ही हर्ष हुआ और थोड़ी देर के लिये माननीय मंत्री जी को वह धन्यवाद न देकर अपने समाजवादी भाई को वह धन्यवाद देना चाहता हूं । उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस प्रगतिशील सरकार की नीति को समझा है और उनके यह विचार सही हैं कि इस अनुदान के रखने से और नशाबन्दी के लागू करने से कितना बड़ा भला और आर्थिक सुधार पिछड़ी और दलित जातियों का और ग़रीब लोगों का इस सरकार द्वारा होने जा रहा है । इसके बाद मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर कि शराब बन्दी लागू हो दो राय नहीं हैं, लेकिन सवाल उसकी सफलता का है। तो मैं आपके सामने यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मैं ऐसे समाज में से आया हूं जहां पर बहुमत से लोग शराब पीते और बनाते हैं। मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है, अपने जिले रायबरेली का अनुभव बतला रहा हूं, कि मैंने उनसे जा कर कहा कि भाइयो शराब पीना और शराब बनाना छोड़ दो। आप लोगों के शराब बनाने से हम समाज के अन्दर बदनाम होते हैं । उन्होंने जबाब दिया कि हम छोड़ देंगे लेकिन एक शर्त के साथ और वह शर्त यह है कि आप हमारे खाने का इन्तजाम कर दें । मैंने ऐसी मिसाल भी देखी हैं कि उनके पास सिवाय दो पेशे के और कोई पेशा ही नहीं है । उनका काम है कि शराब बनाना और चोरी करना । वह या तो शराब बनायेंगे या चोरी करेंगे । चोरी करने में मैं जहां तक समझता हूं कि पुलिस भी उनको सुधारने की कोशिश नहीं करती। मैंने उनको सुधारने की कोशिश की और वहां के कार्यकर्ताओं से बात की और सब लोगों को बुला कर भी कहा और उनके लिये एक बिरादरी का कानून बनाया कि जो कोई आदमी शराब बनायेगा उसके ऊपर २०० रुपया या सामाजिक जुरमाना किया जायगा तथा एक दिन का विरादरी का खाना लिया जायगा । लेकिन उस कानून से भी कोई उनका सुधार नहीं हुआ । इसकी वजह है और वह यह है कि उनकी आर्थिक कठिनाइयां हैं । उनकी तरफ सरकार को अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिएं । उनके लिये अगर आप कुछ उद्योग धंधों का इंतज़ाम कर दें तो मैं यह समझता हूं कि शायद उनका कुछ सुधार हो जाय । अगर सरकार मेरे इस सुझाव को मान ले तो मैं रायबरेली ज़िले का सुधार कर सकता हूं । लेकिन यह जो आपका प्रचार है इससे इस तरह शराबखोरी और उसका बनाना दूर नहीं हो सकता क्यों कि पेट का सवाल सबसे पहले आता है । उससे जब उसको खाने को मिलता है तब वह कैसे अपने पेट को भरने का साधन छोड़ सकता है । आज खाने को मिलता है तो हम दूसरी चीजें छोड़ सकते हैं लेकिन जब एक आदमी का कोई साधन नहीं है कि वह अपना पेट भर सके, तो वह कैसे छोड़ सकता है ?

दूसरी बात मुझे सुझाव के तौर पर यह कहनी है कि जो कानून है वह बहुत ढीला है । मुझे इसका तजुर्बा है कि जो लोग ६,६ दफे जेल हो आये हैं फिर भी शराब बनाना नहीं छोड़ते हैं। इसका कारण यही है कि कानून इतना ढीला है कि जिससे वे लोग डरते नहीं हैं। उनके ऊपर १०,१० रुपया जुरमाना होता है और उसको वे अदा कर देते हैं। देहात में एक बोतल शराब की क़ीमत २ रुपया है । तो वे कह देते हैं कि अगर ५ बोतल शराब बना लेंगे तो १० रुपया जुरमाना अदा कर देंगे और इसी तरह से वह शराब बना कर जुरमाना अदा कर देते हैं और उनको वह खलता नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसा कोई स्टैप उठायें कि जो शराब बनाने के आदी हैं और शराब बनाने से बाज़ नहीं आते हैं उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाय। हल्के जुरमाने से काम नहीं चलेगा । क्योंकि उनके पास छोपड़ी और महुआ चुआने का बर्तन के अलावा कुछ नहीं होता है। उनके ऊपर जो जुर्माना किया जाता है उसको वह शराब बनाकर पैदा करते लेते हैं और उस जुरमाने को आसानी से अदा कर देते हैं। जब तक आप उनके लिये सख्त कदम नहीं उठायेंगे और सख्त कानून बनाकर सख्त सजा नहीं देंगे तब तक उनके ऊपर कोई असर नहीं हो सकता ।

तीसरी बात रायबरेली की जो कही गई इस किताब के अन्दर वह विशेष तरीके से कही गई है। मैं आपको स्पष्ट बतलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी कमजोरी को छिपाना नहीं चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी अपना वेष बदलकर मेरे साथ चलें तो मैं उनको दिखाऊं कि किस प्रकार वहां पर काम होता है। अधिकारी वर्ग जो वहां पर कार्य कर रहे हैं वे आपके पास दिखाने के लिये फिगर्स दे देते हैं और यह अधिकतर झूठे तरीके से तैयार किया जाता है और प्रदर्शन कर देते हैं लेकिन असलियत उनमें इतनी नहीं होती है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करते हुये सुझाव करूंगा कि आप उनके लिये कुटीर उद्योगों को प्रबन्ध कीजिये और जब वह उनमें लग जायेंगे तो तब यह कामयाबी आपको प्राप्त हो सकती है। उनकी शराबखोरी की आदत तभी छूट सकती है जब कि आप उनके लिये किसी न किसी तरह से ऐसा कदम उठायेंगे जिससे उनके पेट का मसला हल हो। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द आप कोई कदम उठायें ताकि हमारे समाज का कल्याण हो।

अध्यक्ष महोदय मैं अन्त में माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आप, जैसा कि इस रिपोर्ट में है रायबरेली जिले में गृह उद्योग खोलकर नशाबन्दी करने जा रहे हैं। आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने आज सबसे पहले मुझे कुछ समय बोलने का अवसर दिया।

श्री कमाल अहमद रिज़वी (जिला खीरी)—आज जो अनुदान हमारे सामने है इस संबंध में मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं। सबसे बड़ा सवाल शराबबन्दी का है। उसके सिलसिले में मुझे यह कहना है कि हमारा कांस्टीट्यूशन यह कहता है कि हमारे यहां नशाबन्दी होनी चाहिये।

लेकिन जिस सूरत से प्रोहिबिशन की पालिसी हमारे यहां चल रही है मैं उससे सहमत नहीं हूं। उसमें एक रेडिकल चेन्ज (आमूल पविर्तन) की जरूरत है। प्राहिबिशन इस वक्त बहुत जरूरी है लेकिन इस तरफ हमारी पालिसी जिस सुस्ती से चल रही है और जो इसका ढंग है उसमें एक जबरदस्त परिवर्तन की जरूरत है। आप देखें कि एक अर्से से कानपुर में यह प्राहिबिशन की पालिसी चल रही है और मैं समझता हूं कि कानपुर में जितनी नाजायज शराब और नशे का इस्तेमाल हो रहा है उतना शायद ही कहीं दूसरी जगह हो। एक खास बात कानपुर में यह देखने में आती है और सुनने में आती है कि जो शराब फारेन (विदेशी) है या बाहर की आई हुई होती है वह चाहे लखनऊ में मिले या न मिले लेकिन वह कानपुर में मिलती है और सस्ते दामों पर मिलती है। इसकी वजह यह बतलाई जाती है कि उसके लिये मेडिकल सार्टिफिकेट (स्वास्थ्य संबंधी प्रमाणपत्र) मिल जाता है और जो चीज लखनऊ में ३०—४० रुपये पर मिलेगी वही कानपुर में २०—२५ रुपये में मिल जाती है। लोग कहते हैं कि जब १६ रुपया खर्च करने पर आसानी से सिविल सर्जन से मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है तो क्यों न सस्ते दामों पर बढ़िया शराब को हासिल करें। इस तरह से लोग फायदा उठाते हैं और बहुत से लोग जो खुद इस्तेमाल भी करते हैं उनके पास भी जो बच जाती है वे दूसरों के हाथ बेच देते हैं। इस चीज की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। इसी तरह का कोई टिंकचर चला है जिसका इस्तेमाल कानपुर में बहुत हो रहा है और वहां सैकड़ों बोतलें आज उसकी बिकती हैं लेकिन आज तक उसकी कोई रोकथाम नहीं है और कोई नहीं देखता कि इस टिंकचर की सेल (विक्रय) एक दम कैसे बढ़ गई। तो इस पालिसी को जरा सख्ती के साथ चलाना जरूरी है।

इस सिलसिले में जो मुकदमें पकड़े भी जाते हैं वे भी इस तरह के होते हैं कि अगर किसी आदमी के यहां एक्साइज इंस्पेक्टर ने २ सेर अफीम पकड़ी तो जो मुकदमा चलाया जाता है वह सिर्फ उतनी ही मिकदार का चलाया जाता है जितनी कम से कम मुकदमा चलाने के लिये जरूरी है और बाकी जो मिकदार उससे ज्यादा होती है वह रिकार्ड में दिखलाई ही नहीं जाती जैसे किसी के यहां आधा सेर अफीम निकली तो मुकदमा चलाने के लिये सिर्फ छटांक भर दिखला दी जाती है और बाकी का इंस्पेक्टर साहब और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग बेंच कर फायदा उठाते हैं। अगर शराब पकड़ी जाती है आठ गैलन या दस गैलन तो

[श्री कमाल अहमद रिजवी]

केवल १ या २ गैलन दिखला दी जाती है और बाकी मुहकमें के सारे आदमी बेचते हैं और फायदा उठाते हैं। जहां तक नशेबन्दी की बात है अगर सरकार को यह पालिसी चलानी है तो इसमें बहुत बड़ी तब्दीली लाने की जरूरत है।

बहुत सी जगह टेम्परेन्स सोसाईटियां (संयम समितियां) बनाई गई हैं। हमारे जिले में भी वह काम कर रही हैं। एक तरफ तो ये सोसाइटियां काम करती हैं और दूसरी तरफ जब किसी जिले से एक्साइज का रेवेन्यू कम होता है तो वहां के अधिकारियों से एक्सप्लेनेशन (स्पष्टीकरण) मांगा जाता है कि वह क्यों कम हो रहा है तो उसका जवाब दे दिया जाता है कि इसकी वजह यह है कि यहां टेम्परेन्स (संयम) का काम जोर से हो रहा है और लोगों पर उसका बहुत असर हो रहा है और जब रेवेन्यू बढ़ती है तो समझा जाता है कि यहां टेम्परेन्स का काम कामयाबी से नहीं चल रहा है। इस तरह से एक अजीब तरह की पालिसी चल रही है। कुछ समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। इसमें बहुत कुछ दखल सेण्टीमेंट्स (भावुकता) का भी है और मालूम होता है कि इसमें सरकार के सेन्टीमेंट्स भी किसी हद तक काम करते हैं। हमें अपने कांस्टीट्शन की इज्जत करना चाहिये और अपनी पालिसी को इस मामले में तब्दील करना चाहिये।

मैंने आपको कानपुर की मिसाल दी। कहां हालत यह है कि जो शराब पीने वाले हैं और जो पैसा खर्च कर सकते हैं वे लखनऊ आकर पीते हैं और यहां हासिल करते हैं। जिस तरह से और चीजों में अमीर गरीब का फर्क है वही फर्क इस मामले में भी है कि गरीब को वह कानपुर में दस्तयाब हो या न हो लेकिन जो अमीर हैं वह यहां आकर पी जाते हैं और उनके लिये कोई फर्क नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं कि इस तरह से हर आदमी अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। तो जरूरत इस बात की है कि हम जो भी पालिसी चलावें वह एक उसूल के साथ मजबूती और सख्ती के साथ हमें चलानी चाहिये और एक अधूरे तरीके से या आधे दिल से चलाने से कोई फायदा नहीं है।

अध्यक्ष---अब अवधशरण वर्मा जी से मैं पूंछता हूं कि यदि वह जवाब न देना चाहें तो मैं उपाध्याय जी को मौका दे सकता हूं।

श्री अवध शरण वर्मा---जी हां।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, आज मुझे इस बजट सेशन में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है और वह इन किताबों के साथ करनी पड़ी है और इन्हीं किताबों का नशा भी मुझको चढ़ा हुआ है। आते ही मैंने इस भवन में माननीय मंत्री जी से सुना कि सोशलिस्ट पार्टी ने ५० लाख रुपये का कटमोशन रखा है तो कुछ समझ में नहीं आया कि उनका इस प्रकार कहने का क्या कारण है जो उन्होंने इसका सबसे पहले ऐसा जिक्र किया। मुझे एक इस पर शेर याद आ गया जो मैं आपकी इजाज़त से सुनाना चाहता हूं। वह यह है—

मैं तेरी मस्त निगाहों का भरम रख लूंगा,
होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं।
हाथों को तो जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है,
रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय पर बड़ा अध्ययन किया और मैंने यह सोचा कि यह विषय राष्ट्रीय है या अन्तर्राष्ट्रीय है। हमारे एक माननीय सदस्य ने पहली मर्तबा कहा था कि यह जो क्राइम्स का सवाल है यह एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय है। तो यह भी एक इण्टरनेशनल विषय है, इसलिये मैं पहले नेशनल के बजाय इंटरनेशनल लेवल में जाऊंगा। मैं सबसे पहले आपको यह बता देना चाहता हूं कि अमरीका में भी प्राहीबीशन हुआ जो १०

साल तक चला लेकिन मैं समझता हूं कि वहां भी वह कामयाब नहीं हुआ। इसी सिलसिले में सेंट निहाल सिंह जी ने एक किताब लिखी है 'ड्राई अमेरिका' दूसरी किताब इस पर लिखी गई है 'कंट्रोल आफ लिकर' और तीसरी किताब है 'टेन इयर्स आफ प्राहीबीशन' इनओखषाहोमा' अमेरिका में जब प्राहीबीशन हुआ तो वहां के पुसी फूट जान्सन साहब बिल्ली की चाल चल करके पीने वालों को पकड़ने जाया करते थे जिस कारण उनका नाम पुसी फूट जान्सन पड़ा था पर हमारे प्रान्त के पकड़ने वाले उन्हीं में मिल जाया करते हैं और पकड़ी हुई शराब पी जाया करते हैं जहां तक मैंने देखा है, मैं अभी आपको बता दूंगा कि जितने मुल्क हैं वहां पर अगर शायद कहीं प्राहीबीशन कामयाब हुआ है तो अरेबिया में हुआ होगा और वह इसलिये कि जैसा एक माननीय सदस्य ने पिछली बार कहा था वहां जब कोई जुर्म करता है तो उसके हाथ पांव काट दिये जाते हैं। बाकी सब जगह प्राहीबीशन होते हुये भी यह काम पीने का चलता ही रहता है जैसे हमारे यहां कानपुर में और लखनऊ में। कानपुर के लोग यहां आकर खूब पीते हैं और पेट्रोल का खर्चा अलग उठाते हैं। मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी के लिये यह पढ़ कर बताता हूं कि और मुल्कों में भी शराब खूब पी जाती है। अल्जीरिया में ८३०३ हैक्टोलिटर, अर्जेनटाइना में ११६१६, फ्रांस में ४४१७०, इटली में ११८५८, पुर्तगाल में ८५०, स्पेन में २००३, कनाडा में २५१ अमरीका में १९६६२, टर्की में १४०, फ्रेंच मोरक्को में ४१४ और ट्यूनिशिया में ४६५ हजार हैक्टोलीटर्स पी जाती है। हमारे बद्रीनाथ में भी पी जाती है और ९० फीसदी लोग पीते हैं। इसलिये ज़रा वहां की कमेटी के लोग इस बात से सावधान रहें। समय कम है वरना मैं किताबों से आपको सुनाता लेकिन खैर ये मेरी आंखों के सामने रखी हैं और अगर मैं आंकड़ों में गलती कर दूं तो इन आंकड़ों में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी और माननीय परिपूर्णानन्द जी मुझे करेक्ट कर दें। गलती भी हो जाती है तो उसके लिये मुझे क्षमा करें क्योंकि मुमकिन है कुछ गलती मुझसे भी हो। वैसे तो इस सदन में जितने आंकड़े दिये जाते हैं वे करीब करीब मेरे ख्याल से शायद ही सही हों। कुछ मुल्क और हैं जिनमें काफी शराब पी जाती हैं जैसे परैगुआ आल्बानियां, डेन्मार्क, साउदी अरेबिया फ़िन लैण्ड, मैडागास्कर, बोर्निओ, फिलिपाइन्स, पैरू सल्वैडार, गोवा, औखापाहोमा,क्यूवा इक्वैडर हवाई, होनूलूलू, ईस्ट वेचुआना लैन्ड, यह तो आंकड़े हुये कि कहां कहां कितना कितना खर्च होता है। इसका लंबा चौड़ा इतिहास है जिसे मैं दूसरे बजट के समय बतलाऊंगा। इसी को डाक्टर लोग कहते हैं कि क्या इसको क्राइम कहें या डिजीज वे इस डिजीज का नाम देते हैं और कहते हैं कि यह डिप्सामेनिया है। डिप्सा का ओरीजन इस ग्रीक शब्द से है जिसका इक्यूविवैलेन्ट संस्कृत में तृष्णा हैं जिसके मानी हैं प्यास। और मीनिया कहते हैं पागलपन को। फिलासफर लोग भी कहते हैं कि यह एक इंटरनेशनल मामला है और वाममार्गी कहते हैं कि नशा पीना भी एक मोक्ष का साधन है। जब मैं कालेज में पढ़ता था तो वहां डिवेट हुई जिसका विषय था कि नशे के भिन्न रूप क्या क्या हैं। उस वक्त कहा गया कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि रिलीजन भी एक नशा है, कुछ ने कहा कि सोना भी एक नशा है क्योंकि इसे छूते ही नशा चढ़ता है एक और नशे की भी चर्चा हुई वह पावर का नशा। पावर का भी एक नशा होता है। 'प्रभुता पाहि काहि मद नाहीं'। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस भवन में क्या इस प्रकार के नशे पर भी कोई टैक्स लगाया जायगा? अगर इस पर कोई टैक्स लगाया जाय तो बड़ी मेहरबानी की बात होगी। मद्रास में प्राहीबिशन हुआ, १२ करोड़ रुपये का नुकसान हो गया और वहां अब घर घर में शराब बनती है। हमारे यहां भी जिन ११ जिलों में शराबबन्दी है वहां पर खुल्लमखुल्ला शराब बन रही है। इस समय मेरे पास समय कम है मैं सिर्फ एक आथरकी सम्मति उद्धृत करता हूं।

"Aldous Huxley and H. G. Wells have tried to look beyond the gloomy now but the devastating nihilism and sense of futility has found apt expression in a poem of Gravil, when he says,

[श्री कमाल अहमद रिजवी]

Oh ! Wearisome conditions of humanity,
born under one law, to another bound
vainly begot, yet forbidden vanty,
created sick, commanded to be sound,
what meaneth nature by these diverse laws
passion and reasonself divisions carses. "

[एल्डस हक्सले तथा एच० जी० वेल्स ने अंधकार मय वर्त्तमान के परे देखने का प्रयत्न किया है किन्तु नाशकारी नाकारवाद और निष्फलता की भावना की समुचित अभिव्यक्ति ग्रेविल की एक कविता में हुई है, जब कि वह कहता है--

एक विधि के अन्तर्गत उत्पन्न तथा दूसरी निष्फल विधि से बंधी हुई मानवता की अवस्थायें कष्टप्रद हैं। तब भी रुग्णीभूत निषिद्ध व्यर्थता को स्वस्थ रहने का आदेश दिया गया है। प्रकृति का इन विभिन्न विधियों से क्या आशय है ? भावोद्रेक और कारण परस्पर अन्तर उत्पन्न करते हैं।]

एक सदस्य--मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर आप मेरी सेवा स्वीकार न करेंगे तो भवन का बड़ा अहित होगा।

अध्यक्ष--अब समय नहीं है । आप अपना सुझाव माननीय न्याय मंत्री को भेज दीजिये।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, जितनी भी तकरीरें हुई उनमें कोई खास बात नहीं कही गई कि जिसके मुताल्लिक जवाब दिया जाय। जो आखिरी तकरीर हुई उससे पता चलता है कि नशे में महज कोई खराबी नहीं है उसके जिक्र में भी असर है क्योंकि आज जब कि उसका जिक्र इस ऐवान में हो रहा है इसी वजह से शायद मेरे दोस्त इतनी किताबें लेकर आये, इंटरनेशनल (अंतर्राष्ट्रीय) बातें फरमाई, दो चार शेर भी सुना दिये वह एक ऐसा मजमून था कि उसको समझने के लिये भी किसी किस्म के नशे के पी लेने की जरूरत थी । बहरहाल मुझे यह तो कहना नहीं है कि अफ्रीका में प्राहिबिशन (मद्य निषेध) क्यों फेल (असफल) हुआ। जाहिर है अलग अलग मुल्क की अपनी अपनी पालिसी होती है हमें किसी की पालिसी को लेकर चलना नहीं है। हमारे यहां की ऐकोनोमिक कंडीशन (आर्थिक दशा) में और अमरीका की ऐकोनोमिक कंडीशन में बड़ा भारी फर्क है । मैंने अपनी इब्तादायी स्पीच में यह कहा था कि हमें अपने देश की हालत को किसी न किसी तरह बेहतर बनाना है और इस सिलसिले में इस बात की जरूरत है कि नशाबंदी की जाय। कोई आदमी बजाय इसके कि अपने असली अगराज के लिये, अपनी खानदानी हालत को बेहतर बनाने के लिये खर्च करे उसको शराबकारी में खर्च कर दे, इसको हमें रोकना था। इसीलिये जो आर्टिकिल मैंने पढ़ कर सुनाया था वह उस सिलसिले में सुनाया कि किस तरह से हमारे यहां प्रोहीबिशन पालिसी का जिक्र कंस्टीट्यूशन में किया गया है और उसकी गरज क्या है । इन सब बातों को देखते हुये मेरे ख्याल में कोई ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है । जहां तक शिकायतों का ताल्लुक है गवर्नमेंट भी जानती है कि बहुत सी खराबियां हैं लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम बराबर यह कोशिश कर रहे हैं कि वे खराबियां दूर हों। मसलन कानपुर के मुताल्लिक कहा गया कि वहां डिनेचर्ड स्पिरिट और टिंचर वगैरह का इस्तेमाल होता है । तो उसके लिये गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट आर्डर (कठोर आदेश) गया है कि जहां तक हो सके उनका इस्तेमाल रोका जाय और उसके लिये सख्त से सख्त सजा दी जाय। गवर्नमेंट इल्लीसिट डिस्टिलेशन (अवैध मद्योत्पादन) को भी रोकने की कोशिश कर रही है । एक साहब ने यह भी शिकायत की कि जो सजा दी जाती है वह काफी नहीं होती है । गवर्नमेंट ने यह आर्डर दे दिया है कि जहां ऐसे मुलजिम पकड़े जायं और इल्लीसिट डिस्टिलेशन की बात साबित हो जाय तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाय। बहरहाल, गवर्नमेंट हालत को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है ।

इतना कहने के बाद मैं हाउस से अपील करता हूं कि वह मेरे रेजोल्यूशन (संकल्प) को मंजूर करे।

अध्यक्ष—क्या वर्मा जी अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री अवधशरण वर्मा—जी नहीं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी (लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी) के अन्तर्गत ९१,३२,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १४—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से, यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४—न्याय प्रशासन (लेखा शीर्षक: २७—न्याय प्रशासन) के अन्तर्गत १,१८,७३,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

यह डिमांड जो एडमिनिस्ट्रेशन आफ़ जस्टिस (न्याय प्रशासन) का है इसके मुताल्लिक बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहना है। बहरहाल जब कोई खास बात अपोजीशन की तरफ से कही जायगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। इस वक्त जो गवर्नमेंट की पालिसी इस सिलसिले में है वह मैं निहायत सरसरी तौर पर और थोड़े से अल्फाज में आपके सामने पेश कर देना चाहता हूं।

गवर्नमेंट को यह मालूम है कि हमारे यहां की अदालतों में पिछले जंग के बाद यानी सन् ४५ के बाद मुकदमों की बहुत ज्यादती हो गयी जिससे मुकदमों के फैसले बहुत देर में होने लगे। इसके बहुत से असबाब थे। कुछ असबाब यह थे कि जंग के जमाने में बहुत से नये-नये कानून रायज हुये और कानून रायज होने के साथ ही अदालतों को उनकी स्टडी (अध्ययन) करने में बहुत वक्त लगा। उसकी वजह से बहुत से मुकदमे जमा हो गये और उनके फैसले उतनी जल्दी से, उतनी तेजी के साथ नहीं हो सके जितनी तेजी के साथ पहले हुआ करते थे। मगर इसके अलावा यह भी हुआ कि जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो यहां से हमारे बहुत से तजुर्बेकार अफसर जो हमारी सर्विस में मुलाजिम थे चले गये। उनमें अंग्रेज भी थे और मुसलमान जज भी थे। इसकी वजह से हमारी जुडिशियरी (न्यायपालिका) में कमी हो गयी। इस कमी को पूरा करने के लिये हमने डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेज की तादाद ४५ से बढ़ा कर ८७ कर दी लेकिन बावजूद इसके भी हमारे यहां इतनी तादाद काफी नहीं हैं जिससे यह कमी पूरी हो जाय और हमारे यहां के मुकद्दमे वक्त पर तय हो जाया करें। लेकिन गवर्नमेंट बावजूद इसके हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जहां तक हो सके मुकदमे जल्द से जल्द फैसल हों।

इसके अलावा हमको यह भी अहसास हुआ कि जो हमारे यहां का प्रोसीज्यर (प्रक्रिया) वह एक गैर मुल्की है और वह हम लोगों के लिये कुछ ज्यादा मौजूं नहीं है। लेकिन हम इस मसले पर जल्दी कोई कदम उठाना नहीं चाहते कि यकायक एक फैसला कर दें कि हम उसको तर्क कर दें और कोई नया कानून उसकी जगह पर जारी कर दें। हम बराबर गौर कर रहे हैं कि इसमें और क्या क्या तबदीलियां हो सकती हैं। जो प्रोसीज्यरल ला (प्रक्रिया संबंधी विधि) हैं, जो जाब्ता दीवानी या फौजदारी के कानून हैं उनमें किसी क़िस्म की तरमीमात उनको हल करने के लिये की जा सकती हैं और हमारे यहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ़ जस्टिस (न्याय प्रशासन) में कुछ ऐसी बातों का इजाफा कर दिया जाय जिससे मुकदमों का फैसला आसानी से और जल्दी हो सके उसके लिये हमने एक वांचू कमेटी जस्टिस वांचू की सदारत में

[श्री सैयद अली ज़हीर]

मुकर्रर की थी और कई मेम्बर उनके साथ थे । कई साल तक उसने मैटीरियल (सामग्री) जमा किया और रिपोर्ट दी। चन्द महीने हुये वह रिपोर्ट गवर्नमेंट को मिली है और हमने कहा है कि हर मेम्बर के पास इस विधान सभा में वह रिपोर्ट भेज दी जाय। उस कमेटी की रिपोर्ट पर गवर्नमेंट गौर कर रही है । जो तजवीजें उस कमेटी की हैं, जहां तक हो सकेगा उन पर हम अमल करेंगे ।

इसके अलावा भी हमने बहुत सी ऐसी सूरतें अख्तियार की हैं जिनके जरिये से जहां तक हो सकेगा इस ताखीर में जो मुकदमों के फ़ैसलों में होती है कमी हो जाय। मसलन् अदालत को इंस्ट्रक्शंस (अनुदेश) जारी कर दिये हैं कि समन की तामील में जो अक्सर देर होती है उसका लिहाज़ अदालत रखें। वह एक रिपोर्ट तैयार करें और वहां के सम्मन तामील करने वालों को इस माहवारी रिपोर्ट में लिखा जाये कि कब उनको समन दिया गया और कब उन्होंने तामील की और रिपोर्ट करें कि तामील हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो उसकी क्या वजह थी। और जज अपनी राय तामील न होने के उजरात या वजूहात सही हैं या गलत हैं इस पर दें। इस किस्म के स्टेप्स लिये गये हैं। इसी तरह से जितने मुकदमें फौजदारी के हैं उनके लिये यह इंस्ट्रक्शंस जारी किये गये हैं कि अदालतें खुद तारीखें मुकर्रर करें और मख़सूस थाने के मुकदमे जितने हों उनको एक दिन में लेवें ताकि वहां वाले यह जानते हों कि आज हमें वहां जाना है और तारीख पर वह हाजिर हों, और जो कोई तारीख मुकर्रर हो उसमें जहां तक हो फ़ैसले हो जायं । इसी तरह से जमानत की दरख्वास्तों के मुताल्लिक भी इंस्ट्रक्शंस जारी किये गये हैं उन सूरतों में जिनमें तहकीकात करने में देर हो कि आया जायदाद है या नहीं है तो उसमें अगर कोई रेस्पेक्टेबिल (आदरणीय) आदमी, कोई काबिले ऐतबार शख्स आवे और अपनी जिम्मेदारी के ऊपर जमानत दे जिसको कि अदालत जानती हो, तो उसको मंजूर कर लेना चाहिये । इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं जिससे यह बातें हल हो जायं और ताखीर न हो।

जहां तक एग्जिक्यूटिव (कार्यपालिका) और जुडिश्यरी की अलहदगी का मसला है यह ऐसा है जो बार बार उठता है और इस पर बार बार बहस होती है । बहर हाल यह तो इस सदन को मालूम ही है कि जहां तक हमारा कांस्टीट्यूशन है, आर्टिकिल ५० में यह तस्लीम कर लिया गया है कि हमको एग्जिक्यूटिव और जुडिश्यरी को अलहदा करना है। यह उसूल तसलीम है, सिर्फ उस पर अमलदरामद कितनी जल्दी हो सकता है और कहां तक किया जा चुका है, यह गौरतलब है । जहां तक कि हमारे सूबे का ताल्लुक़ है १८ जिले ऐसे हैं जिन में हमने एग्जिक्युटिव और जुड़ीश्यरी को एक हद तक अलाहिदा कर दिया है । इनमें हमने जुडिश्यल मैजिस्ट्रेट मुकर्रर किये हैं जो कि सिर्फ फौजदारी का काम अंजाम देते हैं और और जिनके जिम्मे कोई एग्जिक्यूटिव का काम नहीं है और इसको बढ़ाने के मसले पर अभी गवर्नमेंट गौर कर रही है और अभी तय नहीं किया है कि कितनी जल्दी और कहाँ कहा इसको और बढ़ाया जाय ।

इसी के साथ साथ और भी रिफ़ार्म्स (सुधार) हमने यह किये हैं। जजशिप यानी डिस्ट्रिक्ट जेजेज, ३१ जिलों में हमने कायम कर दी है । कुछ और भी जिले ऐसे हैं जिनमें कि अलहिदा डिस्ट्रिक्ट जजशिप अभी क़ायम नहीं हुई है । लेकिन उन जिलों में सिविल ऐंड सेशन्स जज मुकर्रर हैं और वे क़रीब क़रीब वही काम अन्जाम देते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट जज का होता है । काम की कमी की वजह से हमने अभी यह मुनासिब नहीं समझा कि वहां भी डिस्ट्रिक्ट जज भेजें जायं ।

अब इसके अलावा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी अदालतों की इमारतों वगैरह की हालत अच्छी नहीं है और बाज़ बाज़ जिलों में तो वाक़ई बहुत खराब हैं । हालांकि रुपये की कमी की वजह से अभी तक हम कोई क़दम इस तरफ़ उठा न सके, लेकिन इस साल हमने ढाई लाख रुपये पहली दफ़ा इस काम के लिये रखे हैं जिनके ज़रिये से हमारा इरादा है कि

हम मथुरा सहारनपुर, आगरा, बदायूं, बनारस और कानपुर में कुछ इमारतें दुरुस्त करेंगे और कहीं कहीं हम नयी इमारतें भी बनायेंगे । हम उम्मीद करते हैं कि महज़ इस साल ही नहीं बल्कि अगर हमारी फ़िनैन्शल (वित्तीय) हालत अच्छी रही तो हर साल इसी तौर से एक अच्छी रक़म इस काम के लिये मुअय्यन करते रहेंगे ताकि हमारी अदालतों की इमारतों की हालत बेहतर होती चली जाय ।

बाज जगह शिकायत हुई है कि मुक़द्दमों में जो मुवक्किल वग़ैरह आते हैं उनके बैठने और रहने का इंतजाम काफ़ी नहीं है । इसके लिये भी ३६ हज़ार रुपये इस साल मख़सूस इसी काम के लिए रखे हैं और इस रुपये के जरिये से दो गवाहघर इलाहाबाद में, बरेली में और बदायूं में और चार बस्ती में और एक बाराबंकी, पीलीभीत, फ़र्रुखाबाद, गोरखपुर बांदा, शाहजहांपुर और उन्नाव में बनवाने का हमारा प्रोग्राम है । जैसा कि मैंने अभी कहा, हम इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे ।

आखिर में मुझे कुमायूं डिवीजन का जिक्र करना है कि वहां अभी तक कोई जुडिशल सिस्टम (न्याय प्रणाली) जैसा कि दूसरी जगहों में रायज है वैसा नहीं था । वहां के दीवानी मुक़द्दमे भी वहां के एस० डी० ओ० और जुडिशल आफिसर्स ही फैसला किया करते थे । इस साल हमने एक कमेटी बनायी थी जिसमें कि श्री हरगोविन्द पंत जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं चेयरमैन थे और इस कमेटी ने जो तजावीज पेश की हैं उनके ऊपर हम अनक़रीब अमलदरामद करने को हैं और इसके लिये ४० हजार रुपये की रक़म बजट में मुअय्यन की गयी है । इसके साथ साथ हमने यह किया है कि वहां के जो एस० डी० ओज० और जुडिशल आफ़िसर्स थे उनको सिविल जज की पावर (शक्ति) थी । उसमें दिक्कत यह पड़ती थी कि उनके मुक़द्दमों की अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहां ही जा सकती थी और सिविल ऐंड सेशन्स जज के यहां नहीं हो सकती थी । इसलिये अब हमने उनको मुन्सिफ के भी अख़्तियारात दे दिये हैं कि वे ५ हजार के मुक़द्दमे बहैसियत मुन्सिफ़ के फ़ैसल कर दिया करें ताकि उनकी अपील सिविल ऐंड सेशन्स जज के यहां हो सके ।

इस तमाम प्रोग्राम के साथ ही साथ जुडिशल सर्विस में भी काफ़ी तब्दीलियां कर दी हैं । जहां तक कि इब्तदाई जुडिशल सर्विस का ताल्लुक है उसके लिये तो रूल्स शाया हो चुके हैं और उनके ऊपर अमलदरामद हो रहा है । उसमें जो कुछ हुआ है उसकी तफ़सील में जाने की जरूरत नहीं है । सिर्फ़ मोटी मोटी बातें यह हैं कि जब तक कोई शक्स तीन वर्ष तक प्रैक्टिस नहीं कर लेगा वह मुन्सिफ़ के इम्तहान में नहीं बैठ सकता । इसकी वजह यह है कि हम यह समझते हैं कि जब तक अदालती प्रैक्टिस का तज़र्बा न हो उस वक्त तक मुंसिफ़ का काम ठीक तरह से अन्जाम नहीं दिया जा सकता । जहां तक कि हायर जुडिशल सर्विस का ताल्लुक़ है उसके रूल्स अभी कैबनेट के जेरे ग़ौर हैं और मेरे ख़याल में बहुत जल्द वे भी शाया कर दिये जायंगे । उनमें जैसा कि आपको मालूम है, सिविल ऐंड सेशन्स जज और डिस्ट्रिक्ट जज का ग्रेड एक कर दिया है । मुझे उम्मीद है कि जब ये रूल्स बन जायंगे और हमारे जुडिशल आफ़िसर्स को मालूम हो जायगा तो वे भी और हमारी और अदालतें भी यह समझेंगी कि महज़ तनख्वाह लेने के लिये नहीं बल्कि जो खिदमत वह करते हैं वह वाक़ई देश की सेवा के लिये है और यह खिदमत यह समझ कर करना है कि एक बड़ी जिम्मेदारी देश की तरक्क़ी को और डेमोक्रेसी को कायम करने की उन्हीं लोगों के ऊपर है । मुझे उम्मीद है कि जितने हमारे जुडीशल सर्विस के मेम्बर हैं वे हमेशा हमारे साथ कोआपरेट (सहयोग) करेंगे और पूरी तरह से अपने फ़रायज़ को अंजाम देते रहेंगे ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय ।

[श्री गेंदा सिंह]

महोदय, न्याय के लिये तो शायद यह सर्व विदित है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि एक न्याय एक समय के लिए उचित है वही सर्वदा के लिये उचित हो । आज समाज में जिस न्याय की चर्चा की जाती है शायद किसी जमाने में उसको न्याय नहीं कह सकते थे । अभी हमारे मंत्री जी ने वांचू कमेटी की चर्चा की है । उस कमेटी की रिपोर्ट में इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है कि न्याय के सिद्धान्तों और तरीकों में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किये जायं । लेकिन कमेटी ने अपनी मजबूरी भी जाहिर की है कि न्याय का मामला सारे देश का का मामला है इसलिये वह इस क़दम को उठाने की सलाह उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं दे सकती । अब सवाल यह है कि फिर न्याय वैसा ही रहेगा जैसा कि वांचू कमेटी ने कहा है। न्याय मंत्री जी ने चर्चा में विधान की ५० वीं धारा का जिक्र किया है । मैं उसको फिर उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं । मेरा खयाल यह है कि जिस वक्त विधान के बनाने वालों ने इस धारा का निर्माण कियाथा तो उस समय उनका विचार यह था कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को सचमुच और जल्द अलग किया जाय। यह चीज डायरेक्टिव प्रिंसपल (निदेशक सिद्धान्त) में कबूल की गयी है । उसका अर्थ यह नहीं था कि उत्तर प्रदेश जो ५१ जिलों का सूबा है उसमें १०,१५ वर्ष के भीतर इसको अलग किया जाय और इस ढंग से । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मद्रास की बात को ले लें । वहां तो बड़े डिस्टरबेंसेज हैं, वहां बड़ी राजनीतिक हलचल है । मद्रास के मुकाबले में हमारी सरकार को चलने में क्या दिक्कत पड़ती है । वहां जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को लगभग सारे प्रदेश में अलग करके लागू किया गया है । उत्तर प्रदेश में क्या कठिनाई है जो यहां पर नहीं की जाती है ?

मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि यह जो जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का पृथक्करण किया जा रहा है वह पृथक्करण नहीं है । वह तो एक नाम मात्र को पृथक करने की बात है । जिलों में जो जुडीशियरी का कार्य किया जाता है जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया था। वह एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में है । उनकी तरक्की काम काम, उनकी तनज्जुली का काम, बरखास्त करने का काम, यह सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सिफारिश पर सरकार करती है । क्यों नहीं उसको जजों के ऊपर छोड़ा जाता है ? जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग करने का इरादा बड़ा पवित्र है । क्यों नहीं सरकार जजों के मातहत इन सर्विसेज को कर देती अगर जजों के ऊपर भरोसा है ? जैसा कि मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के जजों के ऊपर भरोसा करना चाहिये । हमारे देश की आजादी हासिल होने के बाद हाईकोर्ट के जजों का जो रवैया रहा है उसकी सभी सराहना करते हैं और मुझे आशा है कि सरकार भी इस बात से इत्तफाक करेगी । उनपर भरोसा करके जुडिशियरी के हाकिमों को उनके ऊपर छोड़ा और उनकी सलाह और सिफारिश पर न्याय विभाग के अफसरों की तरक्की, तनज्जुली और तकर्ररी करे ।

सरकार को जुडिशियरी पर भरोसा नहीं है सिर्फ कहने के लिये वह यह बात कहा करती है कि सेपरेशन करना है । जब वर्तमान सरकार को चलाने वाले इन कुर्सियों पर नहीं थे यह कहा करते थे कि शक्ति मिलने के बाद सरकार का पहला कर्त्तव्य होगा कि एक्जिक्यूटिव को जुडिशियरी से अलग किया जाय लेकिन आज कुर्सियों पर आते ही यह सरकार चलाने वाले लोग उस बात को भूल गये और यह सोचने लगे कि इसमें बड़ा मजा आता है और अब अलग करने की जरूरत नहीं समझते हैं और सारी ताकत सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है। मैं तो यह इल्जाम सरकार पर लगाना चाहता हूं कि सरकार का इरादा साफ नहीं है । अगर सरकार का इरादा पवित्र है तो वह सूबे के जजों के हाथ में जुडिशियरी के अख्तियारात दे कर साबित करे कि वह वाकई जुडिशियरी को एक्जिक्यूटिव से अलेहदा करना चाहती है। आज किस तरह से मुकदमों में असर डाला जाता है, किस तरह से फैसले

कराये जाते हैं और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और रेवेन्यू आफिसर्स की जिन्दगी अपने हाथ में रख कर क्या क्या किया जाता है इसका थोड़ा सा तजुर्बा हमें जाती तौर पर भी है। मैं उसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहता ।

लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ४०० मुकदमों का फैसला देवरिया में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और रेवेन्यू आफिसर्स ने किया और उन सबमें ६ महीने की सजा और २०० से ५०० रुपये तक जुर्माने किये गये लेकिन जब वे मुकदमें अपील में जजों के यहां पहुंचे तो सिद्धांत के रूप में उन्होंने क्या माना इसका जिक्र तो मैं नहीं करता लेकिन उन्होंने कहा कि सजा बहुत ज्यादा की गई है और जितनी सजा काटी जा चुकी थी उसको तो रहने दिया और सबको रिहा कर दिया और सबका जुर्माना माफ कर दिया। तो मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि आखिर हुकूमत का इरादा क्या है । क्या सचमुच अलहदा करने का विचार है तो सरकार को इस पवित्र इरादे को ठीक ठीक अमल में ले आना चाहिये और जजों पर भरोसा करना चाहिये। वह देश के खैरख्वाह हैं, देश की राजनीतिक परिस्थिति का उनको ज्ञान है, वह देश को गड्ढे में नहीं डालेंगे। इस तरह से सरकार देश की सेवा कर सकेगी और उसे यह न समझना चाहिये कि उसको इसमें मजा आता है। यह मजा लेते लेते किसी वक्त आपको भी भुगतना पड़ेगा, यह कुर्सियां सिर्फ आपको ही नसीब न रहेंगी, हो सकता है कि ये कुर्सियां दूसरों के हाथ में जायं । हम शायद कुर्सी पर आयें तो हमतो आप पर यह ज्यादतियां न करेंगे लेकिन अगर किसी दूसरे के हाथ में यह कुर्सी गई तो हुकूमत को भुगतना पड़ेगा और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी । मैं बहुत आजिजी के साथ हुकूमत से यह बात कह देना चाहता हूं कि उसको मौका है इन सब बातों पर सोच लेने का।

जो कमेटीज की रिपोर्टस हैं उनको गौर से हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों को पढ़ना चाहिये और पढ़ कर उस पर अमल करना चाहिये। यह नहीं कि उनको केवल लाइब्रेरी का सामान बनाय। बहुत सी जांचें हुई हैं। उनकी रिपोर्टें मौजूद हैं। सब को मालूम है कि किस तरह से मुकदमों में देर की जाती है। मैं तो माननीय सदस्यों के सामने केवल वांच कमेटी की रिपोर्ट रखना चाहता हूं। उसमें जो दिक्कतें बतलाई गई हैं, उनके लिये जो उपाय बतलाया गया है, मैं समझता हूं कि उसमें ऐसी बातें हो सकती हैं जो आज अमल की शक्ल में न आ सकें लेकिन मेरा तो यह विश्वास है कि हुकूमत को वह बात पसन्द नहीं आयेगी क्योंकि वे बातें हो जायेंगी तो हुकूमत को परेशानी का अनुभव होगा। उसमें कोई क्रांतिकारी परिवर्तन की बात नहीं बतलाई गई है, समाज की जो हालत है वह तभी ठीक हो सकती है जबकि समाज की आर्थिक अवस्था बदले । बगैर अर्थिक अवस्था बदले हुये कोई भी कानून आप ले आइये वह बेकार साबित होगा । कोई आदमी चोरी करता है । अगर समाज की आर्थिक अवस्था बदल जाय तो वह चोरी करने वाला फौज का बहादुर सिपाही बन सकता है। चोरी करने के लिये वह मजबूर है । रायबरेली के एक माननीय सदस्य ने इसकी चर्चा की थी । उनसे मैं इत्तिफाक करता हूं । पहले न्याय तो सस्ता और जल्द प्राप्त होने वाला बनाया जाय तभी देश की अवस्था सुधर सकती है । अन्यथा न्याय के नाम उपहास होता ही रहेगा ।

लेकिन मैं समझता हूं कि यह हुकूमत उस आर्थिक अवस्था को बदलने में शायद अपने को असमर्थ पाती हैं । ऐसा सोचने वाले जैसा कि हम सोचते हैं बहुत से लोग यहां पर मौजूद हैं। लेकिन वह वक्त आयेगा कि जब सारा आर्थिक ढांचा बदलेगा और न्याय भी हमारा सस्ता होगा। लेकिन जिस वक्त तक वह वक्त न आये मैं इतना कहना चाहता हूं कि हुकूमत अपने लोभ से और लालच से बाज आये । उसको मजा आता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों द्वारा फैसला करने वाले मैजिस्ट्रेटों पर असर डालने में और असर डालकर अपने विरोधियों को तंग करने में। मेरा यह कहना है कि वह इस तंग करने से बाज आयें; नहीं तो वह यह दूसरों को भी सिखायेंगे और जब वह दूसरों को सिखायेंगे तो अन्ततोगत्वा खुद उनका भी नुक्सान होगा।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, कानून और न्याय के संबंध में मैं कुछ थोड़े से विचार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने सरकार की नीति पर जो प्रकाश डाला है उससे मैं सहमत हूं। वह स्वयं अनुभवशील और इस प्रान्त के प्रमुख एडवोकेट रह चुके हैं और न्याय संबंधी समस्याओं का उनको बहुत तजुर्बा है और उन्होंने जिन जिन कामों के ऊपर खुद रोशनी डाली है उनसे मैं सहमत हूं। इस बजट में फाइनेन्स मिनिस्टर ने खुद कहा था कि मुकदमों के फैसले में देर हो रही है। और इस सिलसिले में सरकार की चेष्टा है कि ऐसी कार्यवाही की जाय कि जिस से फैसले जल्द हों। वांचू कमेटी की रिपोर्ट में इस मामले पर काफी रोशनी डाली गई थी। मैं सरकार का ध्यान उस की ओर आकृष्ट करूंगा। वांचू कमेटी की रिपोर्ट में बतलाया गया है कि जिले की कचहरियों में और दीवानी व फौजदारी की कचहरियों में आज काम बहुत बढ़ गया है और जहां पहले मुन्सिफ की कचहरी में २०० मुकदमों से ज्यादा बढ़ जाते थे वहां एडीशनल मुन्सिफ मुकर्रर किया जाता था। आज कहीं कहीं मुन्सिफों के इजलास में आठ आठ सौ मुकदमे बिना फैसले के पड़े हुये हैं। इसी तरह से सब जजों के यहां जहां ५० नार्मल फाइल समझी जाती थीं वहां दो दो सौ और चार चार सौ मुकदमे बिना फैसले के पड़े हुये हैं। इसी तरह से सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जजों के यहां भी मुकदमों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। यही हालत हाईकोर्ट की भी है और इस सम्बन्ध में वांचू कमेटी की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि सन् ३९ के आखिर में २,९३३ फर्स्ट अपील, ६,६१० सेकेंड अपील, १,४६० सिविल रिवीजन, १४० लेटर्स पोटेण्ट अपीलस और १७२ क्रिमिनल अपील्स बिना फैसले के पड़े हुये हैं। यह हालत हमारी कचहरियों की हो रही है। जाहिर है कि जहां अदालतो में बिना फैसले के मुकदमे बहुत समय तक पड़े हों तो उस से न्याय को काफी धक्का लगता है। मैं सरकार का ध्यान वांचू कमेटी की रिपोर्ट के एक महत्वपूर्ण जुमले की ओर आकृष्ट करूंगा। उसमें एक जगह कहा गया है—

"It is, therefore, imperatively necesary before the entire administration of justice collapses, because of the tremendous amount of arrears which cannot be cleared off, to increase the cadre of judicial officers considerably to dispose of the work lying undecided."

[अतः इसके पूर्व कि विशाल परिमाण में अवशेष कार्य के पड़े रहने के कारण, जो समाप्त नहीं किया जा सकता, समस्त न्याय प्रशासन अस्त-व्यस्त हो। यह अत्यन्त आवश्यक है कि न्यायपालिका के अधिकारियों की संख्या में यथेष्ट वृद्धि की जाय जिससे अनिर्णीत कार्य का निरस्तारण किया जा सके।]

वांचू कमेटी ने इस रिपोर्ट में बार बार कहा है कि मुन्सिफों, सिविल जजों, डिस्ट्रिक्ट जजों और हाईकोर्ट के जजों की संख्या का बढ़ाना परम आवश्यक है। सरकार ने इस साल कुछ सिविल जज बढ़ायें हैं और डिस्ट्रिक्ट जज बढ़ायें हैं। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि इस से काम नहीं चलेगा और श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वह स्वयं इस बात को देखें कि सरकार की ओर से जजों, डिस्ट्रिक्ट जजों और हाईकोर्ट के जजों को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है या नहीं। इसके अलावा जुडिशियल आफिसर्स की समस्या भी बहुत गौरतल है। उनको मुकर्रर किया गया, तादाद भी उन की काफी है लेकिन उनकी नौकरी के बारे में अभी तक उचित कानून नहीं बना है।

उनकी तनख्वाहें और स्केल कितने रहेंगे। आगे चल कर वे किस तरह से रहेंगे इस बात का तय करना बहुत जरूरी है क्योंकि वे फौजदारी के मुकदमें करते हैं। यह बहुत जरूरी है कि उनको इतमीनान हो और उनकी नौकरी के कायदे बन जावें जिससे उन्हें एग्जीक्यूटिव की ओर ज्यादा न देखना पड़े। उनको यह ख्याल नहीं होना चाहिये कि अभी हमारी नौकरी का ठिकाना नहीं है और मालूम नहीं कि हम रखे जावेंगे या नहीं रखे जावेंगे। उनकी तनख्वाह पर भी सरकार को ध्यान देना है।

आम तौर से यह कहा जाता है कि इस विभाग में, न्याय विभाग में काफी आमदनी होती है और यदि उसे सरकार इस विभाग पर खर्च नहीं करती जिसकी वजह से काफी मुकद्दमे पड़े हुये हैं तो यह ठीक नहीं है। वांचू कमेटी की रिपोर्ट में भी लिखा है कि काफी मुनाफ़ा होता है।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय न्याय मंत्रीजी ने सदन के सामने पेश किया है, मैं समझता हूं कि उसमें कोई कटौती का सवाल नहीं उठता और मेरा यह भी विचार है कि मेरे भाई जो विरोधी दल के पक्ष से हैं वह अपने कटौती के प्रस्ताव को उसी तरह से वापस लेंगे जैसा कि सुझाव देने के बाद मैं भी वापस लेने जा रहा हूं। हमको इस बात का गौरव है कि हमारे प्रांत में जुडिशियरी को सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान प्राप्त है। जितने जुडिशियल आफिसर्स हमारे यहां काम करते आये हैं उनका आदर और काम सबसे अच्छा रहा है और दूसरे सूबों की भी यहां से मांग होती रही है। लेकिन यह कहना कि हमारे यहां न्याय ठीक तरह से हो रहा है और उसकी प्रणाली अच्छी है यह अंधेरे में लीपने के बराबर होगा। मैं यह जरूर कहूंगा कि हमारे यहां जितने भी जुडिशियल आफिसर्स हैं, जजेज हैं और मुन्सिफ हैं सब अच्छी तरह से न्याय करते हैं और जितना काम कर सकते हैं उतना ठीक करते हैं। साथ ही इसमें कोई बुराई नहीं है यदि हम अपनी कमी को महसूस करें।

हमारी सरकार न्याय की तरफ जितनी दृष्टि डाल रही है वह उतनी गहरी नहीं है जितनी की आवश्यकता है। बावजूद इसके कि हमारे यहां जजेज और अदालतें भी काफी हैं और माननीय न्याय मंत्री ने यह भी बताया कि हम काफी सेशन जजी खोलने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट जजी कायम करने वाले हैं। यह सब ठीक है, लेकिन यह फिर भी यह देखना पड़ेगा कि जनता को यह महसूस होता है या नहीं कि हमारे मुकद्दमों में न्याय ठीक तरहसे हो रहा है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे यहां मुकद्दमों में न्याय होता है तो इतना ही काफी नहीं है। अगर उन मुकद्दमों में देरी होती है तो वह ऐसी चीज है जैसे इंसाफ में कमी का रह जाना होता है। यह कहा जाता है कि "Justice delayed is justice denied" (अगर न्याय में देरी होती है तो वह न्याय न होने के बराबर है।) कि इस देरी की बहुत सी वजूहात हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि इस सदन को, विशेषकर मंत्री जी को, इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि यह ठीक नहीं है कि हमारे यहां जुडिशल कमेटी बार बार बैठती रहे, जैसा कि कई बार इस प्रदेश में बैठ चुकी है, और उन पर अभी तक अमल पूरा नहीं हो पाया है। आखिरी ऐसी कमेटी वांचू कमेटी के नाम से मशहूर है। उसकी बहुत सी रिपोर्टें ऐसी हैं जिन पर बिना किसी उलझन के अमल किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें मुकद्दमों की देरी को दूर करने के लिये जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिये। उनमें देर होने की वजह यह मालूम होती है कि अक्सर मुकद्दमे मुल्तवी हो जाते हैं और गवाहान नहीं आते। सबसे पहिले जो वजह मैं महसूस करता हूं वह यह है, क्योंकि मुझे वकील की हैसियत से इसका काफ़ी तजुर्बा है। मैं मुफस्सिल अदालतों में प्रैक्टिस करता हूं और फौजदारी की मद में काम करने की वजह से मुझे सैशन जजी से काफी वास्ता पड़ता है। दूसरी चीज यह है कि वहां पर अफसरों को खूराक का २ रुपया दिया जाता है और

[श्री बलवीर सिंह]

गवाहान को केवल ८ आने दिये जाते हैं। फिर बताइये कि गवाह आने में कैसे उत्साह दिखाये ? पहिले केवल ४ आने खुराक के ही दिये जाते थे ? भला आठ आने की खुराक में एक आदमी शहर में जा कर क्या खा सकता है ? यहां दारुलसफा में ढाई रुपया में जो खाना दिया जाता है वह भी इतना ठीक खाना नहीं होता कि स्वास्थ्य ठीक रह सके फिर आठ आने में आदमी क्या खा सकता है ?

दूसरी बात जिससे मुकद्दमों में देर होती है यह है कि अदालतों में न गवाहान के ठहरने का स्थान है और न बैठने का ही। इसके अलावा एक खास चीज यह है कि जिसकी वजह से पूरा काम नहीं हो पाता। हमारे जुडीशियल आफिसर्स के रहने का कोई सुभीता नहीं है। वांचू कमेटी जिसका कि हवाला दिया गया है उसने भी कहा है कि जुडिशियल आफिसर्स के रहने का ठिकाना होना चाहिये।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने न्याय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। उन्होंने रिफार्मस (सुधारों) के मुताल्लिक कुछ बातें बताई। मैं उनका स्वागत करता हूं। मगर हमारे यहां खासकर अवध का जो हल्का है जिसमें पहिले चीफ कोर्ट था तथा जिसमें १२ जिले थे, जहां चीफ कोर्ट के जमाने में मुकद्दमे बाजों को बहुत अच्छी सुविधा थी। ९९ फीसदी उन लोगों को यह आशा रहती थी कि उनका मुकद्दमा हो जायगा। लेकिन अब यह हालत है कि कम से कम ५ मर्तबा आना पड़ता है। ९९ फीसदी यह उम्मीद रहती है कि मुकद्दमा नहीं होगा। जो बाहर से वकील आते थे, उन लोगों ने तो आना ही छोड़ दिया है। मुकद्दमेबाज भी परेशान हैं।

गोंडा के मुताल्लिक एक खास बात यह है कि वहां एक मुन्सिफी उतरौला है। ३ साल से वहां कोई मुन्सिफ नहीं है। वहां मुनसरिम दफ्तरी वगैरह हैं। लोगों को वहां मुकदमा दायर करना पड़ता है। और फिर वह जज साहब के यहां जाता है वे उसको किसी दूसरी मुन्सफी में मुन्तकिल कर देते हैं और दूसरी मुन्सफी उनको तारीख देती है। जब डिग्री होती है तब फिर उतरौला मुन्सफी में जाना पड़ता है और फिर जज साहब मुन्सिफी तरफगंज या गोंडा में उस केस को भेज देते हैं। इसमें कितना वक्त वेस्ट (नष्ट) होता है।

इसी तरह से हाईकोर्ट में भी कई जगहें जजों की खाली पड़ी हुई हैं। मालूम नहीं क्या वजह है। क्यों नहीं उन खाली जगहों पर जजेज मुकर्रिर किये जाते। इन असुविधाओं की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करूंगा।

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधान सभा के सदस्यों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने, जहां तक इस मांग का ताल्लुक है, महज कुछ तजवीज पेश कीं। जैसा कि मैंने अपनी इब्तदायी तकरीर में कहा गवर्नमेंट इसके लिये हमेशा तैयार रही है और रहेगी कि इस किस्म की तजवीज पर गौर किया जाय। हम और आप सब का मकसद एक ही है कि जो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस (न्याय प्रशासन) में खराबियां हैं वे न रहें, जिन बातों की वजह से तमाम जनता को इसमें ऐतमाद रहा है वही ऐतमामद आगे भी कायम ही न रहे बल्कि आगे चल कर हालत और भी बेहतर हो। हर वह तरीका और हर वह जरिया जो हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ़ जस्टिस को बेहतर बनाने का है उसके लिये मैं हमेशा तैयार रहूंगा कि जो साहब भी इस किस्म की तजवीज पेश करें उसके ऊपर जल्द से जल्द गौर किया जाय और अमल किया जाय।

एक बात मुझे कहनी है अपने दोस्त श्री गेंदा सिंह जी के जबाब में। उन्होंने इस बात की शिकायत की है कि गवर्नमेंट यह चाहती नहीं है कि जुडिशियरी (न्यायपालिका) और एक्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) का सेपरेशन (पार्थक्य) हो। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक जुडिशियल कामों का ताल्लुक है अगर एक्जीक्यूटिव आफिसर जो अंजाम इस वक्त

दे रहा है और जो देता रहा है गुजिश्ता में वह भी बिलकुल नहीं चाहेंगे कि उन पर किसी क़िस्म का डाइरेक्ट (प्रत्यक्ष) या इनडाइरेक्ट (अप्रत्यक्ष) दबाव गवर्नमेंट की तरफ से डाला जा सके, किसी मामले में जो न्याय के खिलाफ हो या किसी तरह से न्याय के मुखालिफ पड़े। वे इस बात का यकीन रखें कि गवर्नमेंट कभी किसी मामले में जहां तक जुडिशियरी का ताल्लुक़ है, ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस का ताल्लुक़ है, कोई नाजायज असर डाल कर कोई फायदा इस किस्म की मुखालिफत करके हासिल करना नहीं चाहती है । हमारा इरादा यह नहीं है कि सेपरेशन (पार्थक्य) न हो। यह तो सिर्फ वक्त का सवाल है । गवर्नमेंट का हरगिज यह मंशा नहीं है कि हम कोई मुस्तकिल चीज बनायें जो आगे चल कर हमारे कांस्टीट्यूशन के खिलाफ हो । लेकिन यह जाहिर है कि ऐसे रिफार्म्स जो होते हैं उनमें वक्त की जरूरत होती है और उसके साथ साथ रुपये की भी जरूरत होती है ।

आपको यह मालूम है कि हमारे सामने कितने बड़े बड़े काम हैं । हमें पहले अपने ग़रीबों की हालत को बेहतर बनाना है, उनकी हालत को दुरुस्त करना है, हमारा मंशा तो पहले लोगों के लिये खाने पीने के सामान को मुहइया करने का है । हमें पहले अपने दिमाग़ को इस बात के लिये कंसेंट्रेट (केंद्रीभूत) करना है कि लोगों की मामूली जरूरियात की चीजें कैसे जल्द से जल्द पूरी हों। उसके लिये हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें हमने नहरों के लिये काफी पैसा रखा है और चीजों के लिये भी रुपया रखा है । लेकिन सब काम एक दम नहीं होते । इस तरीके से हमें तय करना है कि कौन सी चीज की ज्यादा जरूरत है और कौन सी चीज को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिये । कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ दिनों के लिये मुल्तवी हो सकती हैं, कुछ चीजें साल दो साल के बाद भी हो सकती हैं और उससे कोई ज्यादा हर्ज नहीं होगा। हम किसी वजह से भी नहीं चाहते हैं कि इस काम में देरी हो अगर उनका खयाल ऐसा है तो वह ग़लत है और उनको अपने दिमाग़ से बिलकुल इस चीज को निकाल देना चाहिये । सारी चीजें अपने सूबे के लिये, अपने देश के रहने वालों के फायदे के लिये ही हों, इस पर हम इस वक्त काफी रुपया सर्फ कर रहे हैं। बकिया जो ऐसी चीजें हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है उन पर हम काफ़ी रुपया नहीं खर्च कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है।

वांचू कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर भी हम अमल कर रहे हैं और जितने भी उसके रिकमेंडेशंस (अनुशंसाएं) हैं जिनसे हम समझते हैं कि फायदा होगा और हमारे यहां मुकदमों के फैसले जल्द से जल्द हो जायंगे और उसे हम पूरा करेंगे । इस तरीके से जो कमी है, जजेज की तकर्रूरी का, जुडिशियल केडर के बढ़ाने का मसला, उस पर पूरी तरह से गौर करके गवर्नमेंट जल्द से जल्द फसला करेगी। इतना कहने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि सदन मेरी सिफारिश को मंजूर करेगा।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बात कही गयी कि मैं अपने इस कटमोशन को वापस ले लूंगा, न्याय मंत्री जी का जो उत्तर मिला उस उत्तर से मुझे बड़ी निराशा हुई और जिन बातों को मैंने उनसे पहले निवेदन किया था उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया ऐसा कहा जा सकता है । मैंने जो कहा था उसके जवाब में उन्होंने यह भी जिक्र किया कि सरकारी तौर से न्याय करने वालों के ऊपर कोई असर डालने की कोशिश नहीं की जाती है । कभी माननीय न्याय मंत्री इसका जवाब देंगे कि आखिर अगर इस तरह की कोई बात नहीं है तो उसमें तो कोई खर्चे का अलग से प्रबंध करने की जरूरत नहीं मालूम होती । केवल इतना ही है कि बजाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के हाथ में उसको रखने के जजों के हाथ में रख दिया जाय, जुडीश्यल आफिसर्स के या और जो न्याय के काम करने वाले और दूसरे अफसरान हैं उनके हाथ में रख दिया जाय । इसमें क्या खर्चा होगा ?. मैं नहीं समझता हूं कि कोई खास खर्चा होगा । जब कोई ऐसी बात नहीं है तो यह कहा जा सकता है कि सरकार की या तो हठ है या कोई न कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वह इन सारी चीजों को अपने हाथ में रखना चाती है। मुझे बड़ी खुशी होती अगर आज न्याय

[श्री गेंदा सिंह]

मंत्री जी यहां ऐलान करते कि अब आगे से भारतीय संविधान के अनुसार न्याय शासन से बिलकुल अलग हो जायगा और दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र तरीके से काम करेंगे, लेकिन विश्वास तो मेरा ऐसा नहीं जमता, केवल आशा ही कर सकता हूं कि ऐसी बात की जायगी और फिर उसका मौका आ सकता है कि कटमोशन लाने की जरूरत न पड़े और लाये हों तो वापस ले लें।

मुकदमों की जो जल्दी फैसला होने की बात है उसका तजुर्बा हमको बड़ा कड़ुवा है। वह चाहे आनरेरी मैजिस्ट्रेट के इजलास में हों, अदालती पंचायत में हों, या रेवेन्यू आफिसर्स (राजस्व अधिकारी) के इजलास में हों, इतनी देर अब हो रही है इस तरह से परेशानी हो रही है जिससे जनता को यह मालूम नहीं होता कि कोई उसके साथ न्याय होगा और इसमें सब से ज्यादा कसूरमन्द माननीय न्याय मंत्री जी ढूढेंगे तो पुलिस को पावेंगे। गवाहों को हाजिर न करने का इलजाम अगर पुलिस पर लगाया जाय तो यह ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि पुलिस वाले जल्दी अपने गवाहों को हाजिर नहीं करते। आम तौर से पुलिस वाले जिन मुकदमों को झूठा समझते हैं वह उन मुकदमों में मुलजिम को ठीक करने का एक रास्ता यही सोचते हैं कि हम अपने गवाहों को ६ महीने, ८ महीने, साल भर तक गैर हाजिर रखेंगे और उसी से हम मुलजिम को दुरुस्त कर लेंगे। इसलिये मैं जानना चाहूंगा न्याय मंत्री जी से कि और लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो जाती है, पुलिस के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने का उनका इरादा है ? अगले बजट सेशन में, या अगले सेशन में हम उनसे सवाल करेंगे और सवाल के जवाब में हम यह आशा करते हैं कि वे यह जवाब देंगे कि पुलिस अब ऐसी हरकत नहीं कर रही है कि झूठे मुकदमों में १०,१० और २०,२० पेशियाँ करके वह परेशान करे और अपने गवाहान को पेश न करे।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि क्या यह बात सही नहीं है कि जब कोई मुकदमा पुलिस का छूट जाता है तो उसके बाद प्रासिक्यूटिंग इंस्पेक्टर्स से पूछा जाता है, फिर एस० पी० कलेक्टर को लिखता है और कलेक्टर अपने जुडीश्यल मैजिस्ट्रेट को और मैजिस्ट्रेटों को फिर वह डांटता है और उनको एक्सप्लेनेशन (स्पष्टीकरण) देना पड़ता है चाहे वह कानफ़िडेंश्यल (गोपनीय) ही क्यों न हो। जब तक यह चीजें बन्द नहीं होंगी तब तक यह न्याय सस्ता और स्वतंत्र होना संभव नहीं है। इन सब चीजों को बन्द करने की मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी थोड़ी जानकारी थी कि हमारे न्याय मंत्री भी बहुत बड़े कानूनपेशा हैं। तो ऐसे आदमी के इस कुर्सी पर आने के बाद जो इस तरह की मैल प्रैक्टिसेज (बुरी प्रथायें) हैं और इस तरह से तंग करने की चीजें लोग करते हैं वह बन्द होंगी ऐसी हमारी आशा थी, और अगले जमाने में जब हम आयेंगे तो देखना चाहेंगे कि उससे ज्यादा सुधार हुआ है। मैं अपना कटमोशन वापस लेता, लेकिन मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और न यह आशा दिलायी गयी कि आइंदा जुडीश्यरी (न्यायपालिका) और एग्जिक्यूटिव (कार्यपालिका) को अलग किया जायगा, जैसा कि संविधान में है। इसलिये मैं अपने कटमोशन को वापस नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४--न्याय प्रशासन (लेखा शीर्षक: २७--न्याय प्रशासन) के अन्तर्गत १,१८,७३,४०० रुपये की धनराशि स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९-लेखा शीर्षक १७,१८ और १९ ख-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर) तथा अनुदान संख्या १०-लेखा शीर्षक १७,१८,१९, और ६८ सिंचाई और जल-विद्युत् स्थापना पर व्यय

उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसके बाद जो दो मांगें हैं वे एक साथ ही पेश हो जायं तो बहस में सुविधा होगी।

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९, लेखा शीर्षक १७,१८ और १९-ख, राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत २,८८,४६,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०, लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८, सिंचाई और जल-विद्युत् स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत २,६३,००,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं एक ऐसे विभाग के व्यय के संबंध में इस माननीय सदन से अनुदान की स्वीकृति की याचना करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि जिसके संबंध में हमारे इस सदन के प्रायः प्रत्येक माननीय सदस्य उत्सुक रहते हैं। यह एक ऐसा विभाग है जिसका संबंध हमारे प्रदेश के प्रत्येक ज़िले से है और यदि मैं आपकी आज्ञा से यह कहूं कि इस का संबंध हमारे प्रदेश के प्रत्येक निवासी के जीवन से है तो अनुचित न होगा। यही कारण है कि इस विभाग के संबंध में हमारे माननीय सदस्यों को बड़ी उत्सुकता रहती है और वे इसके संबंध में बहुत कुछ कदाचित् इस सदन में कहते भी हैं।

अवश्य ही हमारे पास समय कम है और यद्यपि मैं भी बहुत कुछ कहना चाहता था परन्तु जब मैं यह सोचता हूं कि इस विभाग के संबंध में हमारे बहुत से माननीय सदस्य बहुत सी बातें कहना चाहेंगे तो मुझे यह इच्छा होती है कि मैं इस सदन का बहुत अधिक समय न लूं और थोड़े में ही अपनी बातें कह दूं जिसमें दूसरों को भी कुछ कहने का मौक़ा मिले और फिर यदि मुझे अवसर प्राप्त हुआ तो मैं कुछ उसका उत्तर दे सकूंगा। आपकी आज्ञा से मैंने अनुदान संख्या ९ और १० दोनों इस सदन के सम्मुख स्वीकृति के लिये उपस्थित की हैं। यदि सदस्यगण बजट की पुस्तिका के ऊपर दृष्टिपात करेंगे तो वे देखेंगे कि ये सिंचाई विभाग के ख़र्च की वे मदें हैं जिनकी पूर्ति साधारणतया राजस्व से होती है। हमारे सिंचाई के विभाग में दो मदें हुआ करती हैं। एक तो खर्चे की मदें हैं जिनकी पूर्ति रेवेन्यू एकाउंट्स यानी राजस्व से होती है और दूसरी खर्चे की वह मद है जिसकी पूर्ति मूलधन कोष से अथवा ऋण धन कोष से की जाती है। इस सदन के सामने मूलधन कोष से व्यय की पूर्ति वाला अनुदान पेश हो चुका है और स्वीकृत किया जा चुका है। सदन के माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि वह अनुदान संख्या ४३ को स्वीकृत कर चुके हैं, जिस को माननीय वित्त मंत्री ने पेश किया था।

अब यह दोनों अनुदान ऐसे हैं जिनके खर्चे की पूर्ति आप के राजस्व से होती है अनुदान संख्या ९ पर यदि आप विचार करें तो देखेंगे कि इसमें मुख्यतः वही खर्चे शामिल हैं जिनसे हमारे प्रदेश के प्रचलित सिंचाई के साधनों का संरक्षण, भरणपोषण, पुष्टि और उनकी मरम्मत होती है और अनुदान संख्या १० में विशेषकर वही खर्चे हैं जिनको आप कहते हैं कि सिंचाई की शृंखला और उसके संचालन के प्रबंध में खर्च किये जाते हैं।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश कृषि-प्रधान है जिसमें आज से नहीं, शताब्दियों से खेती पर यहां के निवासी अपना जीवन अवलम्बित करते रहे हैं और

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जिस किसी की जीविका का साधन भूमि है उसके लिये उत्थान, सम्पन्नता, श्रीवृद्धि और उन्नति सब के लिये सिंचाई के निमित्त जल की आवश्यकता है । हमारे इस प्रदेश में एक लाख से ऊपर गांव हैं और हमारे इस प्रदेश की ७५ प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है, हमारे इस प्रदेश में प्राय: पौने चार करोड़ एकड़ जमीन बोयी और जोती जाती है और हमारे इस प्रदेश में जल की वर्षा भगवान् की कृपा से बराबर होती रहती है ।

हमारे उत्तर प्रदेश में सिंचाई के संबंध में आज १००,२०० वर्ष से पहले की कोई लम्बी चौड़ी व्यवस्था नहीं है । मुगल शासन काल में शायद कुछ नहरों का विकास हुआ । क्योंकि जब सूखा पड़ा और अकाल आया तो मुगल शासकों ने कुछ नहरों की व्यवस्था की परन्तु आप देखें तो कोई सरकार की ओर से सिंचाई के साधन उपलब्ध करने की योजना इस प्रदेश में नहीं थी । आज से सौ–सवा सौ वर्ष पूर्व जब अंग्रेज शासक थे, ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इस प्रदेश में सन् १८३२ में शायद हिमालय से जमुना नहर निकाली थी और उसी जल प्रणाली से यहां ले आये जिसका निर्माण मुगल शासन में हुआ था । वही पुरानी जमुना की नहर पुनः बनाकर मरम्मत करके, कार्य के योग्य बना कर निकाली गयी । तब से लेकर अब तक १२० वर्ष के बीच में सिंचाई की व्यवस्था का जो विकास हुआ है वह ऐसा विकास है जो आज इस प्रदेश में वह स्थान प्राप्त करता है । कदाचित् उस स्थान पर दूसरा कोई प्रान्त नहीं है जहां सिंचाई की विशद व्यवस्था और प्रबंध मौजूद हो । गंगा की नहर निकली, हरिद्वार से, लोअर गंगा केनाल निकली नरौला से, आगरा की कैनाल निकली जमुना के जल को लेकर दिल्ली से और इसके बाद शारदा नहर निकली शारदा नदी से और बुन्देलखंड के कुछ क्षेत्रों में बेतवा और केन की नहरें निकलीं और इसके बाद बहुत सी छोटी-छोटी नहरें जल प्रणालियां जिनको ड्रेन्स कहा जा सकता है इस प्रदेश में बनती रहीं । जब हम इस पर दृष्टिपात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि हमारे इस प्रदेश में प्रायः १९ हजार मील लम्बी नहरें हैं और ऐसी ही यहां पर करीब ९ हजार जल प्रणालियां हैं छोटी छोटी, जिनको आप ड्रेन्स कह सकते हैं ।

इसके साथ-साथ सिंचाई की व्यवस्था में २०,२२ बरस पहले एक आविष्कार हुआ नल कूपों का जब नहर नहीं निकली तब एक समय ऐसा आया कि जो जल प्रवाह था उसका उपयोग कैसे किया जाय, यह सोचा गया । कदाचित् यह सोचा गया कि विद्युत् से सिंचाई का कार्य लिया जा सकता है जो इस प्रदेश की सम्पत्ति को बढ़ाने में सहायक हो । परिणामतः १९२८ में यहां विद्युत् के उत्पादन की चेष्टा आरम्भ हुई और तब से ले कर अब तक गंगा की नहर के ऊपर आप की विद्युत् योजना , जिसके द्वारा विद्युत् का उत्पादन होता है, बराबर बनती रही और १९२८ से लेकर अब तक आप अगर गंगा कैनाल पर जा कर देखें तो ७,८ पावर हाउसेज मिलेंगे जो गंगा केनाल ग्रिड के नाम से प्रसिद्ध हैं जिनके जल से विद्युत् की उत्पत्ति होती है और उसका उपयोग जहां अन्य कार्यों में किया जा रहा है वहाँ सिंचाई के कार्य में भी किया जा रहा है

इन नल कूपों का निर्माण १९३०-३२ के बाद आरम्भ हुआ और प्रायः २३९५ नल कूप हामारे इस प्रदेश में है । ऐसे ही विद्युत् उत्पादन के लिये जो ७,८ पावर स्टेशंस गंगा नहर पर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक के उनके द्वारा हमारे इस उत्तर प्रदेश के १६ जिलों में बिजली सप्लाई की जाती है जिनसे छोटे-छोटे नगरों में घर के कामों के लिये यानी लाइट और पंखा इत्यादि के लिये बिजली ली जाती है । तो इन विद्युत् उत्पादन यंत्रों द्वारा हमारे यह २४०० नल कूप चल रहे हैं जो इस प्रदेश की लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई कर रहे हैं और आप यदि पिछले बरसों की रिपोर्ट् को देखें तो आप को यह ज्ञात होगा कि आज सरकार द्वारा संचालित सिंचाई के इन साधनों से हमारे प्रदेश की करीब करीब ७१ लाख एकड़ भूमि का सिंचन होता है और ८१ लाख एकड़ भूमि ऐसी है कि जिसका सिंचन अन्य साधनों द्वारा हो सकता है। यह है हमारे यहां की आज की व्यवस्था । यह सही है कि हमारी यह

व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये बहुत ही कम है और यह बात इस प्रदेश की सरकार की दृष्टि में सन् ४६ में ही आ गई थी। सन् ४२ के आंदोलन के पश्चात् नये चुनाव हुये और एक लोकप्रिय सरकार यहां शासनारूढ़ हुई। तत्कालीन सरकार की दृष्टि में यह भी बात आई कि इस प्रदेश में सिंचाई के साधनों का अत्यधिक अभाव है, बावजूद इसके कि ३६ करोड़ रुपये इन साधनों पर शुरू से ले कर अब-तक खर्च किये जा चुके हैं, बावजूद इसके कि इतना कैपिटल लग चुका है, बावजूद इसके कि हमारे यहां १९-२० हजार मील लम्मी नहरें हैं।

इस समय हमारे पास १७००–१८०० नलकूप मौजूद हैं। फिर भी सरकार ने यह देखा कि इस प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति इनसे नहीं होती। इसकी अधिकतर जो यह व्यवस्था थी वह हमारे प्रदेश के एक भाग की आवश्यकता को भी पूर्ति करने में समर्थ नही थी और दूसरे विस्तृत भाग वीरान पड़े हुये थे।

इस प्रदेश का दक्खिनी भाग जिसको आप बुन्देलखंड भाग कहते हैं, इस प्रदेश का पूर्वी भाग और इस प्रदेश का मध्य भाग भी ऐसा था कि जहां पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। जहां कहीं भी थोड़ी बहुत व्यवस्था थी उस व्यवस्था से उस हिस्से का ही काम नहीं चलता था। सरकार को दृष्टि में यह बात आई कि हमारे यहां सिंचाई के साधनों की कमी है और उस समय इस सरकार की नीति में एक मौलिक परिवर्तन भी हुआ। अभी तक जो सारी व्यवस्था चली उस पर एक ही दृष्टि थी और वह दृष्टि यह थी कि सब योजनाओं को कार्मशियल पालिसी (वाणिज्य-नीति) पर चलाया जाय। जो रुपया खर्च हो उसके बदले में कुछ मिले। इसी विचार से जो योजना बनाई गई वह कार्यान्वित की जाती थी। परन्तु इस प्रदेश के एक क्षेत्र में यह योजनायें चलीं और उसके दो कारण थे। एक कारण तो यह था कि कहीं पर वर्षा के जल का आभाव था। हमारे प्रदेश के एक हिस्से में ४५ इंच पानी बरसता था और कहीं पर २२ इंच पानी बरसता था। जहां पर वर्षा की कमी थी वहां पर इस योजना को चलाया गया और इस दृष्टि से चलाया गया कि इस सिंचाई की योजना से सरकार को कुछ रुपया मिले कुछ मुआविजा मिले। कम से कम जो खर्च हुआ है, जो पूंजी लगी हुई है उसकी सूद की रकम दूसरे खर्चे देने के बाद उसको मिलनी चाहिये। इस दृष्टि से यह योजनायें चलायी गयी हैं।

आप यदि सिंचाई विभाग के राजस्व की ओर ध्यान दें तो आप यह पायेंगे कि जो प्रचलित व्यवस्था है इस प्रचलित व्यवस्था से करीब-करीब ६ करोड़ रुपया सालाना आमदनी सरकार को होती है और एक डेढ़ करोड़ रुपया उसको अस्थायी राजस्व के लिये सिंचाई विभाग से मिल जाता है। तो इस दृष्टि से यह व्यवस्था चलायी गई। परन्तु जब लोक प्रिय सरकार आई तो उसके सामने दूसरी पालिसी थी कर्मशियल पालिसी नहीं थी। उसके सामने जनहित करना जनसमाज का लाभ करना, प्रदेश की सम्पत्ति क अनुवृत्ति की भावना को दूर करना, जीवन के स्तर को ऊंचा करना, समाज में जो में दरिद्रता का नग्न तांडव हो रहा है उसके निराकरण की चेष्टा करना यह भावना इस सरकार के हृदय में रही। इस भावना को लेकर उसी समय तत्कालीन सरकार ने यह चेष्टा की कि हमें प्रांत की सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये चेष्टा करनी चाहिये। इस दृष्टि से जो प्रदेश के भाग जलाभाव से पीड़ित हैं, जहां पर उनके उत्पादन की शक्ति घट रही है, जहां पर दरिद्रता का तांडव हो रहा है वहां पर जीवन के स्तर को ऊंचा करना है, वहां पर यह प्रयत्न किया जाय और सिंचाई के साधन प्रदान करने की चेष्टा की जाय और सरकार अपनी पूंजी लगाये। तब यह नीति बरती जा रही है।

आपने हमारी अनुदान संख्या ४३ को देखा होगा। जो काम पिछले साल हुआ है उस पर भी दृष्टिपात करने की कृपा करें। अभी-तक जो व्यवस्था हुई है उसके लिये मैंने पहले

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कहा था कि यह दाल में नमक के बराबर है और वह हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है। वह तो उस हिस्से की आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं कर रही है फिर दूसरे भागों की आवश्यकता की पूर्ति की कौन कहे? इसके बावजूद भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पिछले सालों के कामों पर दृष्टिपात करें तो आप सरकार के इस दृष्टिकोण को अवश्य भलीभांति समझ जायेंगे ।

पिछले ६ वर्षों में इस प्रदेश को सरकार ने अपनी परिसीमाओं के रहते हुये भी और तमाम आर्थिक कठिनाइयों के रहते हुये भी और जहां हमें आशा थी कि हमें ऊपर से सहायता मिलेगी उस आशा के हट जाने के बाद भी प्रायः ८ करोड़ रुपये के ऊपर सिंचाई व्यवस्था के संचालन के लिये नहीं वरन् उसके विस्तार करने में लगाया है। सन् ४६ में जहां करीब १७८२४ मील नहरें थीं। वे नहरें अब मार्च, सन् ५२ में १९५२५ मील हो गई हैं । इस तरह से आप देखेंगे तो मालूम होगा कि हर जगह वृद्धि हुई है। ट्यूबवेल्स की तादाद जो पहले १७५० के करीब थी वह भी अब बढ़कर करीब २४०० के हो गई है। सैकड़ों मील नई नहरें खोदी गई हैं और बुन्देलखंड और प्रदेश के सभी हिस्सों में विस्तार हुआ है और तमाम आर्थिक कठिनाइयों और परिसीमाओं के रहते हुये भी सरकार इस सम्बन्ध में खर्च कर रही है और विस्तार करती जा रही है। इतना ही नहीं, इस बात की भी चेष्टा है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में सिंचाई की योजना हो। १५ वर्षीय योजना भी आपके सामने है।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन जो कुछ योजना में रखा गया है उस पर वादविवाद हो भी गया है। आप देखेंगे कि ८ करोड़ की जो योजना है, जिसको हम इस वर्ष पूरा करना चाहते हैं अपनी १५ वर्षीय और पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारे राज्यपाल महोदय ने नई असेम्बली का उद्घाटन करते हुये अपने सत्रारम्भ के भाषण में कहा था कि इस ओर सरकार का ध्यान सर्वप्रथम जायगा और वित्त मंत्री जी ने भी अपना जो भाषण बजट पेश करते समय किया था उसमें उन्होंने भी कहा था कि हम सिंचाई की व्यवस्था को टाप प्रायरिटी (सर्वाधिक प्राथमिकता) देना चाहते हैं और सरकार की वह नीति और नीयत बजट के अनुदानों से स्पष्ट हो चुकी है।

यह अनुदान जो सामने है वह स्वयं सिंचाई व्यवस्था के संचालन और संरक्षण के लिये है। थोड़ी सी चीजें नहीं हैं और कुछ ऐसी भी हैं कि जो कैपिटल एकाउण्ट से नहीं बल्कि राजस्व से पूरी होंगी। आप बजट की पुस्तक में देखेंगे कि धनौरी डैम को रिमाडेल करने के लिये तीन लाख रुपये की रकम रखी गई है और १,१०,००,००० रु० नहरों की मरम्मत के लिये है जो आज प्रचलित हैं, नवनिर्मित के लिये यह नहीं है, जिन की संख्या आज पहले से दुगुनी हो गई है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि आप देखेंगे कि बजट में दो तरह के वर्क्स हैं एक प्रोडक्टिव और दूसरे अनप्रोडक्टिव (अनुत्पादक) इस तरह का विभाजन आप पावेंगे। मैं आप को बतला देना चाहता हूं जिस से अनप्रोडक्टिव से आपको कुछ भ्रम न हो। अनप्रोडक्टिव का अर्थ केवल इतना है कि इस में उन स्कीमों को रखा जाता है जिनके ऊपर लगी हुई लागत का पूरा-पूरा सूद हमें प्राप्त नहीं होता, जिस तरह से कि तीन साढ़े तीन फीसदी का सूद हम सरकारी पूंजी पर चार्ज करते हैं। जिन योजनाओं से इतना सूद नहीं निकल पाता है उनको अनप्रोडक्टिव में रखा जाता है। शारदा नहर से यह पूर्ति नहीं हो पा रही है इसलिये उस को अनप्रोडक्टिव में रखा गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस पर जो लाखों रुपया व्यय होता है वह अनुत्पादक है, यह बात नहीं है। वह तो कहना चाहिये कि परम उत्पादक है। इस विस्तार की योजनाओं की तरफ मुझे सदन का ध्यान आकृष्ट करना था।

इसके साथ-साथ एक विद्युत योजना भी है। उसके लिये भी बजट में इस साल थोड़ी सी रकम रखी गयी है जो इलैक्ट्रिक और पम्पिंग स्कीम के लिये है।

सोहावल की स्कीम के संबंध में जो फ़ैजाबाद में चल रही है उसके लिये क़रीब ४ लाख रुपया रखा गया है । गोरखपुर के पावर हाउस और उसके रिपेयर्स के लिये और ट्रांसमिशन लाइन के लिये भी ४ लाख रखा गया है । आप देखें तो यह पावेंगे कि गोरखपुर में ६ १/२ लाख रुपया ट्यूबवेल्स के लिये है। १०० ट्यूबवेलों की योजना वहां थी जो पिछले साल से चल रही है। वे बन गये हैं, केवल २ बाक़ी हैं। उनकी ट्रांसमिशन लाइन को और उसे एनरजाइज़ (शक्ति युक्त) करने के लिये साढ़े छः लाख रुपया रखा गया है ।

इसमें एक व्यवस्था इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी है । मैं इसकी ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यह इन्सटीट्यूट सन् ४७ में कायम हुआ था इसलिये कि हमारे यहां नये कामों के लिये ऐसा यंत्र हो जहां विशेषज्ञ लोग हमारी योजनाओं का सर्वे (पर्यालोचन) करें और हमें बतावें कि हम किस प्रकार उन दिशाओं में अग्रसर हो सकते हैं । बड़े-बड़े बंध बनाने के लिये यह ज़रूरी है कि वहां की भूमि इस प्रकार की हो कि जिस पर बिना किसी ख़तरे के बंध की नीव रखी जा सके, नदियों के बहाव को दूसरी तरफ़ लाना होता है, ऐसी ही बातों के लिये यह इन्सटीयूट है। इसका फ़ील्ड स्टेशन बहादुराबाद में है और दूसरा मुख्य रुड़की में है । इन दोनों की व्यवस्था के लिये क़रीब ढ़ाई लाख रुपया रखा गया है । विद्युत् का ज़िक्र मैंने पहले कर दिया है ।

माननीय सदस्य उन ख़र्चों पर अच्छी तरह से विचार कर लें और उनके सुझावों पर सरकार सहर्ष विचार करेगी और जहां तक संभव होगा उन्हें कार्यान्वित करने की कोशिश करेगी।

इस्टेब्लिशमेंट चार्जेज (स्थापना—व्यय) में पिछले सालों की अपेक्षा हमने पौने सात लाख रुपया कम रखा है, बावजूद इसके कि इस साल जो कार्य की योजना हमने बनाई है वह पहले से दूनी है । अगर आप पिछले साल के बजट पर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि तब केवल पौने चार करोड़ का नवनिर्माण का कार्य किया गया और इस वर्ष १० करोड़ के लगभग हमने रखा है । साथ ही साथ इस विभाग में वसूली भी होती है क़रीब ६ करोड़ रुपये की। आप यह पावेंगे कि जहां साढ़े चार करोड़ का काम गत वर्षों में लिया जाता रहा है वहां इस वर्ष १५,१६ करोड़ रुपये का काम उस एस्टेंब्लिशमेंट से लिया जा रहा है । और फिर भी उसके वार्षिक व्यय में प्रायः पौने सात लाख रुपया कम किया गया है । यह इसलिये संभव हुआ कि हमारे प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्थाओं को चलाने के लिये फूड प्रोडक्शन (खाद्योत्पादन) का विभाग भी कार्य कर रहा है । इन दोनों विभागों का कोआर्डिनेशन करने से यह कमी संभव हुई है । हमारा विभाग नये निर्माण-कार्यों के पूरे बोझ को उठायेगा जो हमारे सामने है और जिन्हें आप पंचवर्षीय योजना के संबंध में भी देखेंगे । यद्यपि समस्त सदस्यों को बोलने का पूरा समय नहीं मिलेगा फिर भी मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार को इस बात से प्रसन्नता होगी यदि वे अपने क्षेत्रों की आवश्यकता के संबंध में उसे कुछ सुझाव देंगे। पूर्वी, दक्षिणी अथवा पश्चिमी ज़िले में जहां कहीं भी आवश्यकता हो उसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने में आपको पूरी स्वतंत्रता है । मैं आमंत्रित करता हूं सदन के सब माननीय सदस्यों को कि वे हमारा पथ-प्रदर्शन करें और हमें सहयोग और सुझाव प्रदान करें।

इस विभाग की शिकायतें भी मैं सुनता हूं । कहीं कुलाबों के बारे में, कहीं वसूली के बारे में, कहीं नहर को काट देने की शिकायत, कहीं पानी न पहुंचने की शिकायत, कहीं पतरौलों की शिकायत और कहीं अमीनों की शिकायत मेरे पास आती रहती हैं । यह एक बड़े दुख का विषय होता है कि सरकारी विभागों और संस्थाओं में जन समाज को संतोष नहीं होता । जो असुविधा है उसको हमको और आपको दोनों को मिल कर दूर करना है केवल यह कहने से कि सभी बेईमान हैं काम नहीं चल सकता । हमें तो देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन का उत्थान करना है, उसे सहानुभूति पूर्वक आगे बढ़ाना है । आपको पूरा अधिकार है कि आप शिकायतें करें या अपनी शिकायतों के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करें ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक संभव होगा हम सब शिकायतों को दूर करने में कुछ उठा न रखेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों को स्वीकृति की कामना इस सदन से करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, माननीय मंत्री जी द्वारा उपस्थित किये हुये अनुदान संख्या ९ में १ रुपये की कमी का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं और आपकी आज्ञा से मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या १० में १ रुपये की कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सिंचाई विभाग के महत्व को बताया और कहा कि हमारे प्रदेश के नागरिकों के जीवन से यह विभाग कुछ अधिक संबंध रखता है, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। हमारे लिये हमारी जलवाहिनियों का जल अवश्य ही उतना महत्व रखता है जितना कि हमारे शरीर की शिराओं और स्नायुओं में बहता हुआ रक्त । जहां तक सिद्धांत का सवाल है हम में और उनमें कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जहां कार्यप्रणाली का सवाल है मैं बड़ा ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें हमें विश्वास नहीं है । सरकारी आंकड़ों के विषय में हम प्रति दिन ही कहते रहे हैं कि जो आंकड़े हमारे सामने दिये जाते हैं, जो रिपोर्ट्स सरकारी विभागों की ओर से हमें दी जाती है उनमें इतने ग़लत और परस्पर विरोधी आंकड़े दिये जाते हैं कि जिनके अनुसार कोई भी योजना अगर बनायी जाय तो वह जरूर ही असफल रहेगी। कई बार मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर चुका हूं, फिर भी बराबर वैसी ही रिपोर्ट्स हमारे सामने लायी जाती हैं । मैं चाहता हूं कि इस आंकड़ों के जादू की पोल को और खासकर सिंचाई विभाग के आंकड़ों की पोल को साफ-साफ भवन के सामने रख दूं। आप सब सदस्यों को याद होगा कि जब गवर्नर महोदय की स्पीच हुई थी तो उसमें कहा गया था कि २ सालों में १३ लाख एकड़ नई सिंचाई की गयी उससे पहिले सितम्बर ५१ में माननीय मुख्य मंत्री की रिपोर्ट में कहा गया था कि वह पांच साल में हुई है। अभी कल ही माननीय हरिचन्द्र जी बाजपेयी के सवाल के जवाब में कहा गया कि १२ लाख अस्सी हजार एकड़ सिंचाई हुई है। ये राउंड फिगर्स थे। यानी गवर्नर महोदय की स्पीच हो जाने के बाद अब तक २० हजार एकड़ भूमि कम हो गयी और जब हम इस नयी रिपोर्ट को उठाकर देखते हैं जो आज ही सुबह बांटी गयी है उसमें लिखा गया है कि ८० लाख एकड़ सिंचाई की जाने वाली भूमि का क्षेत्र है और ५१,५२ में ७० लाख एकड़ सिंचाई की गयी है ऐसा बताया गया है । तो अगर आप दोनों सालों के आंकड़ों को घटा दें तो इस तरह से पांच वर्ष में १० लाख एकड़ जमीन सींची गयी। आप जरा सोचें कि पहले तो जिक्र किया गया कि १२ लाख ८५ हजार एकड़ जमीन सींची गयी और अब मालूम होता है कि १० लाख एकड़ जमीन पांच साल में सींची गयी । तो आखिर हम किस रिपोर्ट को सही मानें ? यह तो हमारे सामने एक विडम्बना ही सी है । सन् १९४९-५० की रिपोर्ट से मालूम होता है कि सरकारी वर्क्स के जरिये जो जमीन सींची गयी वह एक करोड़ ९० लाख एकड़ जमीन है लेकिन जो प्रदेशीय पंच वर्षीय योजना का नक्शा है उसमें एक करोड़ १० लाख एकड़ जमीन सींचने की बात कही गयी है । इस तरह से इसमें ८० लाख एकड़ जमीन का फर्क आ जाता है। मार्च सन् १९५२ के अन्त में सिंचाई के समस्त राजकीय निर्माण-कार्यों द्वारा सींची जाने वाली भूमि का क्षेत्र ८० लाख ८५ हजार एकड़ आज की रिपोर्ट में बतलाया गया है। पंचवर्षीय योजना की एक करोड़ १० लाख एकड़ पर बातचीत करें, उस पर विचार करें या किस रिपोर्ट पर विचार करें यह मेरी समझ में नहीं आता। अगर इस तरह के ग़लत आंकड़े या रिपोर्ट हम लोगों को बिल्कुल नहीं दिये जाते तो हमें कुछ संतोष होता, लेकिन जब मैं देखता हूं कि ऐसे आंकड़े हमारे सामने दिये जाते हैं जो बिलकुल ग़लत तरीक़े से तैयार किये गये होते हैं तो उसके लिये अगर सरकार से कहा जाय कि सरकार के जो अधिकारी हैं अगर वे पहले

उन रिपोर्टों को, उन आंकड़ों को अच्छी तरह से देख, लें मिला लें और तब हम लोगों के सामने पेश करें तो ज्यादा अच्छा हो और इस तरह की ग़लती भी न हो।

पेज ४५ पर एक आइटम १३,००० रु० का है। इसमें लिखा गया है कि "चीफ इंजीनियर के कार्यालय की इमारतों का किराया, जो शारदा नहर को दिया जाता है" यह मेरी समझ में नहीं आया। माननीय मंत्री जी इसको बताने की कृपा करेंगे कि यह क्या चीज है।

तो इस प्रकार अगर हम अलग-अलग आइटम देखें तो ऐसी और भी बहुत सी मिसालें दे सकते हैं जो इसी बजट में प्रस्तुत की गयी हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह अनुदान जो हम लोगों से मांगा जा रहा है वह क्यों मांगा जा रहा है। उस दिन जब पहले डिमांड पर बात चीत हो रही थी तो माननीय वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया था कि शारदा नहर में शारदा नदी से पानी दिया जायगा और इस तरह से वहां का पानी बढ़ाया जायगा। मैंने कहा कि जब जाड़े में वहां पानी होगा ही नहीं तो आप पानी कहां से लायेंगे जो शारदा नहर में देंगे! सन् ४९—५० की रिपोर्ट में कहा गया है।

"The major canals from the Himalayan rivers such as the Yamuna, Ganga and Sarda canal depend on the natural flow of the rivers which are inadequate to meet the increasing demand for irrigation."

[हिमालय पर्वत की नदियों से निकाली गई प्रमुख नहरें जैसे यमुना, गंगा और शारदा नहर नदियों के प्राकृतिक प्रवाह पर निर्भर करती हैं जो सिंचाई की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है।]

यह रिपोर्ट है। ये मेरे शब्द नहीं हैं। तो जब सरकार खुद इस बात को मानती है कि १५ मई के बाद नदी में पानी नहीं रहता तो फिर वह किस तरह से शारदा नहर को पानी बढ़ा कर देगी! अगर वे रिजर्वायर बना कर बाढ़ का पानी इकट्ठा करें तब तो बात दूसरी है लेकिन नदी में पानी बढ़ाने की बात मेरी समझ में नहीं आयी।

पूर्वी जिलों के माननीय सदस्यों के बारे में कहा गया है कि पूर्वी जिले वाले अब पानी की बहुत मांग करते हैं। जिन सदस्यों के ऐसे विचार हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूं। अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो मालूम होगा कि जहां सरकारी नहरों के जरिये से, सरकारी कार्य के जरिये से पश्चिमी जिलों में ३२ फीसदी सिंचाई हुई है वहां पूर्वी जिलों में एक फीसदी भी सिंचाई नहीं होती। और केवल ७० हजार एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें सरकारी कार्य के जरिये सिंचाई हुई। रिपोर्ट के पेज नम्बर ५ में यह बताया गया है। सभी माननीय सदस्य इसे पढ़ें। एक ओर ३२ फीसदी और एक ओर १ फीसदी भी नहीं। तो सरकार का कर्त्तव्य था कि वह रिहेंड डैम को जिसके जरिये पूर्वी जिलों की सिंचाई होती, पंच वर्षीय योजना में ले लेवें। लेकिन हमारी स्टेट प्लानिंग रिपोर्ट में तो उसका नाम है पर हमारी सरकार भारत सरकार को इस बात के लिये प्रेरित नहीं कर सकती कि पूर्वी जिलों की सिंचाई करने के लिये रिहेंड डैम का नाम भारतीय योजना में आता और इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि इसमें बिहार प्रान्त का भी सवाल है। विंध्य प्रदेश को भी रिहेंड डैम से फायदा है। तो हमारी सरकार रिहेंड डैम को कार्यान्वित करने के लिये बिहार और विंध्य प्रदेश को मिला करके तीनों प्रान्तों की बोर्ड बनाये, लोन्स इकट्ठा करे और इस बात की चेष्टा की जाय कि आने वाले पांच सालों के अन्दर यह रिहेंड डैम तैयार हो जाय। भारत सरकार को भी इसके लिये मजबूर किया जाय कि वह रिहेंड डैम को पंच वर्षीय योजना में सप्लीमेंटरी, अनुपूरक, के रूप में शामिल करे और मदद दे।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

साथ ही साथ पक्के कुओं का सवाल है । रिपोर्ट में ४२ लाख एकड़ जमीन कुओं के जरिये सींची जा रही है, ऐसा बताया गया है , लेकिन आज तक पक्के कुओं को बढ़ाने का इंतजाम और उनके जरिये और अधिक सिंचाई का इन्तजाम आपने नहीं किया है । पक्के कुवें बढ़ाने के लिये हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने भी कहा था कि इनकी संख्या को बढ़ाने के लिये और कुवों की मरम्मत के लिये सरकार को पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये ।

श्री विष्णु शरण दुब्लिश (जिला मेरठ)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं जो बातें कहने के लिये खड़ा हुआ हूं वह कहू, मैं अपने मित्र श्री नारायण दत्त जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आंकड़े तो सही हैं, उनके समझने में जरा गलती हो रही है।

बात यह है कि एक तो उन्होंने उन आंकड़ों को कि जो एक जमीन इरिगेटेड होती है गवर्नमेंट इरिगेशन वर्क्स से और दूसरी प्राइवेट वर्क्स से, उनको उन्होंने कनफ्यूज़ कर दिया। इसलिये दरअसल जो गवर्नमेंट वर्क्स से सिंचाई होती है वह रक़बा ८० लाख और उसके लगभग है । बाक़ी जो है वह प्राइवेट वर्क्स से होती है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--अध्यक्ष महोदय, क्या मैं रिपोर्ट सदस्य साहब के पास भिजवा दूं ?

श्री विष्णु शरण दुब्लिश--आप फिर पढ़िये । दूसरी बात जो आपने कनफ्यूज़ की है वह यह कि एक तो इरिगेबिल एरिया होता है और एक इरिगेटेड एरिया होता है । ७०,८० लाख का जो वह कनफ्यूज़न कर रहे हैं तो ८० लाख इरिगेबिल एरिया है, जैसा कि ६८ लाख इरिगेबिल एरिया उस वक्त था जब कांग्रेस मिनिस्ट्री आयी थी और उस समय मैग्जिमम इरिगेटेड एरिया ६० लाख हुआ था । तो यह आपका कनफ्यूज़न है । मैंने इसको दोबारा दे रखा, मुझे कोई कंट्रेडिक्शन दिखाई नहीं देता।

खैर, मुझे जो आपके सामने चीज रखनी है वह एक प्रार्थना के रूप में अपने मंत्रिमंडल और अपने प्रदेश के पूर्वी जिलों के रहने वालों से करनी है । एक चीज सुनते-सुनते मैं परेशान हो गया । पूर्वी जिलों का जहां तक ताल्लुक़ है मैं आप से कहता हूं कि मेरी पूरी सहानुभूति है । सहानुभूति नहीं, मैं चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के लिये पूरा ध्यान दिया जाय । उन-पर जो मुसीबत है, देवरिया और दूसरे जिलों पर , मेरी बहुत सहानुभूति है और जितनी भी मदद पश्चिमी जिलों से लेना चाहते हैं आप लें। लेकिन पूर्वी जिलों का हमको एक ऐंटी पश्चिमी जिला स्लोगन बनाना, ये बड़ी ग़लत बात है । यह कई साल से चली आ रही है । अबकी हमारे माननीय दोस्त इन्द्रदेव त्रिपाठी इस हाउस में नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा कि कितने ही साथी उनकी तरह ही यहां पर हो गये हैं और मैं देख रहा हूं कि पश्चिमी जिलों को जैसी कि थोड़ी सी सिंचाई की सुविधा है, तो उन्हें दुश्मन की तरह से मानते हैं । मैं इस बात को न कहता अगर हमारी कैबिनट पर भी कुछ थोड़ा बहुत इसका असर न पड़ता । हम बजट को देखते हैं तो पश्चिमी जिलों को इस तरह से इगनोर किया जाता है जैसे कि वे यू० पी० के नक्शे में हैं ही नहीं । मैं आप से बताता हूं कि पश्चिमी जिलों के लिये हमारी सरकार ने क्या किया । पहली नहर जो हमारे पश्चिमी जिलों में बनी वह यमुना की नहर थी जिसे मुग़ल बादशाहों ने बनवायी थी । उसी में कुछ थोड़ा बहुत सुधार कर दिया गया। गंगा नहर १८५३ में क़र्जे के रुपये से बनाई गई जिसे हमने अपनी आबपाशी से मय सूद अदा कर दिया और अब १।। करोड़ बचत दे रहे हैं । मैं आप से कहता हूं कि पश्चिमी जिलों की हालत जो आप समझते हैं वह नहीं है । अब इस वक्त हमारी तरफ़ बड़ा हाहाकार मचा हुआ है । बारिश नहीं हुई । मेरठ जिले में १८,१९ इंच साल में बारिश होती है और पूर्वी जिलों में ४७,४८ इंच बारिश होती है । दो तीन वर्षों से उधर वर्षा नहीं हुई जिसकी वजह से वहां सूखा पड़ गया नहीं तो हर साल इतनी बारिश होती थी कि बाढ़ आ जाती थी । पश्चिमी जिलों में बारिश कम होती है ।

और अगर मेरे साथ मंत्री जो चलें या दूसरे लोग चलें तो वहां देखेंगे कि हर गांव को प्राइम नीड इरीगेशन है । अगर इरीगेशन नहीं है तो वहां पर फ़स्लें नहीं होंगी और उन जिलों की हालत खराब हो जायगी। मैं फिर आखिर में कहता हूं और अपने मंत्री जो से पूरी आशा करता हूं, हालां कि वे ठेठ पूर्व के रहने वाले हैं कि वे पश्चमी जिलों को भूलेंगे नहीं और चाहता हूं कि इस सेशन के बाद एक चक्कर उनका लगा दें।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, चूंकि मैं यह सुन रहा था कि शारदा नहर के मुताल्लिक़ मेरे दोस्त कह रहे थे कि उसमें पानी तो होता नहीं इसलिये मैं उनकी इत्तिला के लिये बता देना चाहता हूं कि मई के महीने में जब उस नदी में ही पानी नहीं होता है और वह खुश्क पड़ी रहती है तो उससे नहर के लिये पानी कैसे लिया जा सकता है । गंगा के मुताल्लिक़ मेरे ख़याल में कितने ही मेम्बर यहां बैठे होंगे जो अच्छी तरह से जानते होंगे कि मई के महीने में पहाड़ों से बर्फ़ पिघल कर जो आती है उसकी वजह से गंगा में इतना पानी हो जाता है कि जो पुल उस पर किश्तियों के बांधे हुये होते हैं वे टूट जाते हैं और इसी तरीक़े से शारदा में भी घुली हुई बर्फ़ का पानी आता है। उस वक्त तक नहर के विभाग के पास उस पानी को इस्तेमाल करने के लिये उस जमाने में कोई इन्तजाम नहीं था । अब हमने पिछले दो साल के अन्दर इस बात का इंतजाम किया कि जो ऐसा पानी गंगा में और शारदा को नहर में मई और जून के महीनों में बर्फ़ के पिघलने की वजह से आता है वह भी यहां को सिंचाई के वास्ते इस्तेमाल हो सके और जो कुछ भी रुपया इस साल के बजट में पानी के इन्जाम के वास्ते है वह सब इसी पानी के इन्तजाम के लिये है । इससे ज्यादा मुझे इसके मुताल्लिक़ कहने की जरूरत मालूम नहीं होती।

जहां तक पानी के होने न होने का वास्ता है, नदी के अन्दर, नहर के अन्दर नहीं, तो उसके मुताल्लिक़ तो उसी दिन मैं उनके जवाब में अर्ज़ कर चुका था कि हमारे पास तो हर नदी जहां से हमने नहर निकाली है उसके हेडवर्क्स के पास जितना पानी रहता है मुख़्तलिफ़ महीनों में उसका रेकार्ड मौजूद रहता है कि कितना कितना पानी उसमें किस जमाने में अवेलएबुल हो सकता है । अगर मेरे दोस्त मेरे दर्याफ्त में आकर दरयाफ्त करते तो मैं उनको बतला देता कि बरसात के दिनों में कितना पानी रहता है, जाड़े के दिनो में कितना पानी रहता है और मई-जून में कितना पानी शारदा में रहता है । तो उस बिना पर, जो उनको फ़िक्र है कि ऐसा काम किया जा रहा है कि जो वाक़ई हो सकता नहीं है और ग़लत क़िस्म का है, यह उनका ख़याल सही नहीं है ।

एक बात मैं और अर्ज़ करना चाहता हूं। उसके मुताल्लिक़ डुब्लिश साहब ने बहुत थोड़ी सी बात कही थी । मैं हाउस को आप के जरिये से समझाने की ग़रज़ से एक बात मिसाल के तौर पर कहता हूं और यक़ीन यह रखता हूं कि उससे हर मेम्बर साहब समझ जायेंगे कि हक़ीक़त क्या है ।

वह जो फीगर्स की बाबत कह रहे हैं कि फिगर्स किसी जगह कुछ हैं और किसी जगह कुछ हैं उसके बारे में यह है कि फर्ज कीजिये कि हम कोई नहर १०० मील लम्बी निकालें तो हम जितनी लम्बी चौड़ी और गहरी नहरें बनायेंगे उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ६ लाख एकड़ जमीन को पानी मिल सकता है। जब हम कहेंगे कि फलां जगह से इतनी लम्बी नहर बनी है जिसस ६ लाख एकड़ जमीन की आबपाशी होगी। इसके कहने का मतलब यह होगा कि गवर्नमेंट ने अपने खर्चे से इतने एकड़ जमीन की आबपाशी का इंतजाम कर दिया। अब यह इस बात पर मुनहसिर है कि वहां पर बारिश की क्या हालत है। अगर बारिश काफी हुई है तो काश्तकार नहर से पानी बहुत कम लेगा और जब पानी की कमी होगी तो नहर से पानी ज्यादा लिया जायगा । तो एक्चुअल फिगर्स तो हर जगह डिफरेंट होंगे।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जितना एरिया इरीगेट किया जा सकता है वह अलग होंगे । एक्चुअल आबपाशी के फिगर्स तो हमेशा बदलेंगे रहेंगे। कभी कम होंगे और कभी ज्यादा होंगे। अब सवाल तो यह है कि हमारे पास कितना इंतजाम है । जो ७३ लाख की फिगर्स बतलाई गई तो यह वह फिगर्स हैं जिससे अगर जरूरत हो तो हम दो फस्लों में ७३ लाख जमीन में आबपाशी कर सकते हैं। इसमें एक्चुअल आबपाशी कम ज्यादा हो सकती है, कभी ६५ लाख कभी ६० लाख और कभी ७० लाख एकड़ में आबपाशी होगी।

श्री भगवती प्रसाद दुबे (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि विदेशी शासन के बाद जनता की सरकार ने सिंचाई के काम में बहुत तेजी से कदम उठाया है और जितना रूपया इस साल सिंचाई की मद में रखा है उसके लिये मैं सरकार की तारीफ़ करता हूं। अन्न का प्रश्न हमारे सामने बड़ा विकट है। इसमें हमारे जीवन और मरण का प्रश्न है। हमारी सारी आजादी आज खतरे में है । यही कारण है कि आज केन्द्रीय सरकार ने और प्रांतीय सरकारों ने अन्न के उत्पादन को टौप प्रायोरिटी दे रखी है। हम सब लोग चाहते हैं कि अन्न का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो । इसके लिये सिंचाई की सख्त जरूरत है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की तमाम शुभेच्छाओं के रहते हुये और माननीय सदस्यों की शुभेच्छाओं के बाद भी जितनी तेजी से हम काम को चाहते हैं उतनी तेजी से नहीं हो पाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन तमाम दिक्कतों को जिनसे तेजी से काम होनेमें बाधा पहुंचती है दूर करना चाहिये। जहांतक जनता का प्रश्न है वह यह है कि सरकार की दिक्कतों की ओर ध्यान कम दिया जाता है । मैं निवेदन करता हूं कि सरकार ध्यान दे और जिन दिक्कतों को वह हल कर सकती है, हल करे । मस्लन वहां पक्के कुयें बनाने के लिये लोहा, सीमेंट और कोयला वगैरह नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है, तो जहां पर गड़बड़ी हो सरकार को ठीक नब्ज देखकर कार्यवाही करना चाहिये। कुयें बनाने के ढंग में भी आज मैं यह कहना चाहता हूं कि हम केवल ईंट से ही कुआं बनाने की बात सोचते हैं। ऐसे मुकामात भी हैं जहां ईंटें नहीं पहुंच सकती हैं और वहां भट्टे भी नहीं लग सकते हैं। वहां के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीमेंट, कंकरीट और कंकड़ से कुयें बन सकते हैं।

हमने अपने जिले में ग्राम सुधार के जमाने में बहुत सांचे बनवा कर रक्खे और कुवें बनवाये जिनको जा कर यहां के अधिकारियों ने देखा । मालूम नहीं कि इंजीनियर्स की उन पर क्या राय है। अगर इस तरह के कुवें बनवाये जा सकते हैं तो जरूर बनवाये जायं। अगर सीमेंट से कुवें नहीं बन सकते तो कंकड़ और कंकरीट से बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक बात और है । और जिलों की बाबत तो मुझे नहीं मालूम कि वहां क्या हाल है लेकिन अपने जिले में मैंने देखा कि बहुत सी जगहों पर नदियों के कछार में नालियों को बान्ध कर सिंचाई का काम लिया जाता है और मेरे जिले में एक नाला बान्ध कर १ हजार एकड़ जमीन में सिंचाई की जाती है। लिहाजा ऐसी चीजों की ओर ध्यान देना चाहिये ।

हमारे जो इंजीनियर्स हैं, विशेषज्ञ हैं उनके हाथ में हमारा जीवन है और मैं उम्मीद करता हूं कि वे इस प्रकार की मदद देकर इस कार्य को आगे बढ़ायेंगे।

मैं बहुत तफसील में जाना पसन्द नहीं करता। अभी राजा जी ने चन्द मुहकमों को ऐनीमी नम्बर १ और ऐनिमी नम्बर २ कहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा प्रांत सिंचाई के मुहकमे को दोस्त नम्बर १ बनाने का पूरा प्रयत्न करेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां हम सरकार के कहीं पर ढीलेपन की शिकायत करते हैं तो हमारी भी वहां पर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हमको चाहिये कि हम अपने जिले में सरकारी मुलाजिमान को इतनी ज्यादा मदद दें और खुद इतना काम करें कि हम

उनको ढीला रहने न दें। जब हमने विदेशी सरकार को चैन से बैठने न दिया और यहां से निकाल कर बाहर किया और हमने अपनी सरकार बनाई तो हमारे लिये यह जरूरी है कि हम न चैन से बैठें और न किसी डिपार्टमेंट को चैन लेने दें। चैन न लेने देने से मेरा मतलब यह है कि अधिक से अधिक जो सहायता उनसे मिल सकती है वह ली जाय और सरकारी साधनों का उपयोग करके हम अपने हल्के में काम करें। यह सरकार का काम है कि प्रत्येक माननीय सदस्य के हल्के में कोई न कोई काम जारी करती रहे जिससे हर मेम्बर उसका जवाबदेह हो और यह प्रतिज्ञा करें कि हमको ५ साल में सेल्फ़ सफीशेंट (आत्मनिर्भर) हो जाना चाहिये। हम आज भूख के ज्वालामुखी पहाड़ पर खड़े हैं। सरकार को गाली देने से काम नहीं चलेगा। हम सब लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर इस गाड़ी को आगे खींचना होगा।

श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बात को अपने भाषण में स्वीकार कर लिया है कि यह देश खेतिहर है और इसकी सफलता सिंचाई पर अवलम्बित है। मैं मंत्री जी के इस कथन से सहमत हूं। परन्तु इस बात का अनुभव करते हुये भी मंत्री जी ने इस साल के बजट में जो मांग की है वह परसाल की मांग से दोनों अनुदानों को मिला कर करीब १८ लाख रुपया कम की मांग की है। इससे मालूम होता है कि मंत्री जी दिखावे के लिये कहते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। इससे पता चलता है कि वह इस मामले में अधिक सीरियस नहीं हैं। यह सच बात है कि वह इस मामले में अधिक सीरियस नहीं हैं। यह सच बात है कि इस देश की सफलता खेती पर ही अवलंबित है लेकिन जब तक उसकी तरफ ध्यान नहीं रक्खा जायगा तब तक देश किसी तरह से सम्पन्न नहीं हो सकता। सरकार ने अपने आंकड़ों में दिखाया है कि मार्च, सन् ४६ के अन्त में कुल नहरों की लम्बाई १७,८२४ मील थी और ६ बरस बाद मार्च, सन् ५२ के अन्त में १९,५२५ मील हो गई। जो नहरों की लम्बाई बढ़ी है उससे मैं यह देख रहा हूं कि कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि यह नहरें तो बढ़ गईं लेकिन सरकार ने उनके लिये पानी का जो परिमाण था उसको नहीं बढ़ाया है। इससे जो एरिया सिंचाई से पहले कवर होता था वह भी सूख गया है। मुझे अपने जिले का अनुभव है कि जो कैनाल एरिया था उसको भी पूरा पानी न मिलने के कारण वह सूख गया है। तो इस तरह से ज्यादा लम्बी दूरी नहरों की बढ़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जो अन्न पहले पैदा होता था उससे भी कम पैदा होने लगा है। इसलिये जब तक आप पानी की मिकदार को न बढ़ायेंगे तब तक जनता को कोई फायदा नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि जाड़े के दिनों में जब पहाड़ों पर बरफ जम जाती है तो गंगा में पानी कम हो जाता है और पानी कम होने के कारण से नहरों में भी पानी कम हो जाता है। उस वक्त गेहूं की सिंचाई होती है और पानी की चारों तरफ से मांग आती है लेकिन सरकार उस मांग को पूरा नहीं कर पाती है। इस तरह से खेती सूख जाती है। मेरे क्षेत्र में यही हाल हुआ है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि कुल यू० पी० का एरिया जो कल्टीवेटेड एरिया है वह ३,७०,७० हजार एकड़ है और उसमें से जो सिंचाई होती है वह केवल १,११,३१ हजार एकड़ पर ही होती है। इसमें से सिर्फ ४२ फीसदी पर सरकार अपनी तरफ से सिंचाई का प्रबंध करती है, और बाकी एरिया ५७·८ फीसदी पर प्राइवेट साधनों से सिंचाई होती है। इस तरह से अभी तक सरकार हमारे प्रदेश में पूरा सिंचाई का प्रबंध नहीं कर पा रही है और उसमें जो बाकी एरिया रह जाता है वह १,५९,५०,००० एकड़ है। वह भी एरिया अगर सिंचाई से कवर कर लिया जाय और उस एरिया में भी सिंचाई हो जाय तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार के सामने जो अन्न की समस्या है और चारों तरफ

[श्री विष्णुदयाल वर्मा]

से लोग जो चिल्ला रहे हैं कि भूख से मरे जा रहे हैं उसमें सरकार की वह मदद कर सकते हैं। अगर सरकार इन क्षेत्रों में भी जहां पर सिंचाई की आवश्यकता है सिंचाई के साधन एकत्रित कर दे तो इन एरियाज में भी काफ़ी अन्न पैदा हो सकता है। सरकार अपने यहां की आवश्यकता की पूर्ति तो कर ही सकती है और दूसरे प्रांतों की भी मदद कर सकती है। सरकारी साधनों के अलावा जो साधन हैं वह अधिकांश में तालाब और पक्के कुयें हैं। पक्के कुओं की तरफ सरकार ने कुछ ध्यान दिया है। वह उन कुओं के लिये कुछ मदद देती है। पहले सरकार एक तिहाई उन कुओं के लिये दिया करती थी लेकिन अब सुनने में आया है कि वह एक चौथाई उस मदद को करने जा रही है। मालूम पड़ता है कि सरकार उसकी तरफ से भी अपना ध्यान हटाती जा रही है। और फिर यह दावा करती है कि हम देश को समृद्धिशाली बनाने जा रहे हैं और गल्ले की जो कमी यहां देश में पड़ती है उसको दूर करने जा रही है। मैं एक सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि आप जो यह सबसीडी कुओं के लिये देते हैं उससे चन्द आदमी ही फायदा उठाते हैं और देहात के रहने वाले बहुत से आदमी इससे वंचित रह जाते हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि अगर सरकार यह मदद देना चाहती है तो वह कोआपरेटिव बेसिस पर मदद करे ताकि पूरी जनता उससे लाभ उठा सके। जो भी कुआं बने उससे सब लोग फायदा उठाकर अन्न की उपज बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से ट्यूबवेल से सब को पानी मिलता है उसी तरह से हर एक आदमी उस कुएं से पानी ले सके तो इससे बहुत कमी दूर हो सकती है। इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि जो असमान रेट रखे गये हैं यानी पश्चिमी जिलों में कुछ कम रेट हैं और पूर्वी जिलों में कुछ ज्यादा रेट हैं तो यह असमानता क्यों रखी गई है? जो काश्तकार पूर्व में रहते हैं वह उतना फायदा नहीं उठा पाते हैं जितना कि पश्चिम वाले उठाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस असमानता को दूर किया जाय जिससे किसानों का नुक्सान न होने पाये और लोगों को आपत्ति करने का अवसर न प्राप्त हो।

श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी सिंचाई विभाग का बजट पेश करते हुये अपने भाषण में यह घोषणा की कि हमारे प्रदेश में इस विभाग से गहरा संबंध रखने वाली ८० प्रतिशत कृषक जनता है। इस विभाग के लिये जो उन्नति की गई है और जो योजना बनाई गई है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं लेकिन इसके साथ साथ इस विभाग में जो त्रुटियां हैं उनकी ओर भी मैं ध्यान माननीय मंत्री जी का दिलाना चाहता हूं। मैं एक कृषक परिवार का सदस्य हूं और सदस्य ही नहीं वरन् १३ साल तक कृषक रह कर कृषक के काम का पूरा अनुभव भी प्राप्त किया है और मैं जानता हूं कि उनको किस किस समय पर कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जमीदारी विनाश के बाद कृषकों के लिये अब कोई दूसरी परेशानी की चीज रह गई है तो वह सिंचाई विभाग का मुहकमा है। मैं नहीं समझता कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी किसी सरकार के मातहत हैं या वह अपने को स्वतंत्र समझते हैं। मैंने देखा है और खुद अनुभव किया है कि किसानों को कितना कष्ट होता है। इटावा जिले में होकर दो नहरें गुजरती हैं। एक तो नहर गंगा शाखा इटावा और दूसरी भोगनीपुर जो साख इटावा की है उससे हमारे जिले में या और जिलों में जहां होकर वह गुजरती हैं जो सिंचाई होती है वहां धान की पैदावार ज्यादा होती है। धान के लिये पानी की आवश्यकता सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में होती है और उस समय और चीजों के लिये पानी नहीं चाहिये और उन महीनों में इसलिये इन नहरों में काफी पानी भी रहता है और जहां के इलाकों में सिर्फ धान ही पैदा होता है। लेकिन वहां के कर्मचारी पानी देने में किसानों को काफी परेशान करते हैं। उस वक्त वहां अस्थायी पानी धान के लिये दिया जाता है। और हर साल कुलाबे दिये जाते हैं। और पतरौल अमीन वगैरह उनको देने में काफी परेशान करते हैं और इस तरह भ्रष्टाचार हर साल इन कुलाबों के देने में होता है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब कि वहां हमेशा धान

ही पैदा होता है तो उन कुलाबों को यदि धान की फसल के लिये स्थायी कर दिया जाय तो यह भ्रष्टाचार और किसानों की दिक्कत दूर हो सकती है।

दूसरे इसी इटावा जिले की जो भोगनीपुर शाखा है उसके किनारे भी कुछ नई जमीन टूटी है और वहां भी ऐसी जमीन है जहां धान पैदा हो सकता है लेकिन वहां के अफ़सरों के पास सैकड़ों किसान दरख्वास्त ले जाते हैं कि वहां पर भी सितम्बर और अक्तूबर के महीने में जब कि काफी पानी नहर में रहता है धान की फसल के लिये पानी देने की कृपा की जाय। उन्होंने कहा कि इस पर गौर किया जायगा और इसी तरह से कई साल से टाला जा रहा है। न मालूम क्या बात है कि वह उसपर कोई अमल नहीं करना चाहते और वह काम करना नहीं चाहते हैं।

जिस समय फालतू पानी रहता है उस समय अगर उन लोगों को दे दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे पैदावार बढ़ेगी। जिस समय हमारी सरकार की योजना 'अधिक अन्न उपजाओ' की है उस समय टालमटोल करना ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी सरकारी कर्मचारियों की भावनाओं को बदलें क्योंकि बगैर इसके देश का हित नहीं हो सकता है।

श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने को आंकड़ों के जाल में नहीं फंसाऊंगा जैसा कि इधर की बेंचों की ओर से अक्सर किया जाता है और वे लोग समय कम होने से असली सुझाव भी नहीं दे पाते हैं।

हमारे शासन के कार्य में जो कुछ भी कमी रहती है उसका विशेष कारण यह है कि अधिकारियों की सीनियरिटी लिस्ट में अक्सर गड़बड़ हो जाया करती है और वे समझते हैं कि अच्छा काम करने पर भी उनको ऊंचा ओहदा नहीं मिलेगा जिस पर कि उनका अधिकार है। इस लिये वे दिल लगाकर काम नहीं कर सकते। इस कारण मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस लिस्ट की ओर देखें और अगर किसी के साथ इस तरह का अन्याय हुआ है कि उसका हक छीन लिया गया है तो उसे ठीक करें। इससे प्रबंध में ढिलाई नहीं रहेगी। ऐसी मुझे आशा है।

दूसरी बात जो मैं विशेषरूप से कहना चाहता हूं यह है कि हमारे नैनीताल के जिले में तराई–भावर में सिंचाई नहरों द्वारा ही होती है और पीने का पानी भी नहरों द्वारा ही मिलता है। यह बहुत आवश्यक है कि हम इस बात की चेष्टा करें कि आखिरी गांव तक पानी पहुंच सके। हल्द्वानी और रामनगर की तहसीलों में जहां कि कुवें नहीं हैं उनमें इस कदर परेशानी होती है कि दो-दो और तीन-तीन दिनों तक पानी पीने को नहीं मिलता। हमारे यहां कच्ची नहरों के कारण पानी जाते जाते सूख जाता है। इससे पीने के लिये भी पानी नहीं मिल पाता है। हमारे यहां की जमीन पोरस होने से वह पानी और भी अधिक सूख जाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप निर्माण-कार्य के लिये जो भी रुपया लें उसमें इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें कि उन नहरों को पक्का कराया जाय ताकि पानी सूखने न पाये।

इसी तरह एक और बात है। हमारे यहां काशीपुर कालोनाइजेशन की स्कीम है और विद्युत् के जरिये वहां ट्यूबवेल्स लगाये जा रहे हैं जो वहां की पानी की जरूरत को पूरा करेंगे। लेकिन कुछ जमीन ऐसी है जो कालोनाइजेशन में नहीं ली गई है और वहां सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं है। वहां के लोग आसपास में ट्यूबवेल लगे देखा करेंगे इसलिये यह जरूरी है कि जहां कोई आपकी योजना इस समय तक नहीं है वहां भी आप ट्यूबवेल्स का प्रबंध कर दें। जसपुर और कासीपुर ऐसे स्थान हैं जहां पर सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं है।

[श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट]

तीसरी बात तराई के इलाके की गूलों के प्रबंध के बारे में है। ३-३,४-४ साल हो गये लेकिन नहरों की सफाई नहीं हुई उनमें झाड़ पैदा हो गया है और पानी नहीं चल पाता। जिसकी वजह से वहां के लोग बड़े कष्ट में दिन काट रहे हैं। उनकी अवस्था अत्यन्त दयनीय है। इसलिये मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब तक आपके पास धन की कमी है तब तक कम से कम आप इन कच्ची गूलों को साफ करा दें जिसकी अत्यन्त ही आवश्यकता है क्योंकि तराई भाबर के इलाके में बिना पानी के कोई भी जमीन खेती की जमीन नहीं मानी जाती। देश के और इलाकों में बर्षा से खेती हो जाती है इसके अतिरिक्त वहां और भी साधन होते हैं लेकिन वहां पर वर्षा होने के चार-पाँच दिनों में ही खेत में दरारें पड़ जाती हैं और सिंचाई की आवश्यकता हो जाती है। मैं थारू जाति के लोगों की ओर से आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं। जंगलों में रहने वाली यह वह जाति है जिसने हमारी स्टेट को आबाद किया है। इसलिये उसके कष्टों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो योजनाएं हमारे प्रांत में बनाई गई हैं वे सराहनीय हैं। हमारी सरकार ने जो थोड़े समय में उन्नति की है वह हमारे लिये गौरव की चीज़ है। आंकड़ों में अगर थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ी निकल आये तो मैं माननीय मित्र से प्रार्थना करूंगा कि कार्यों को देखें न कि आंकड़ों को। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल पांच मिनट ही इस गंभीर विषय पर अपने विचार प्रकट करने को मिले हैं। मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि मुझे दुःख है कि इतने महत्वपूर्ण विभाग पर केवल डेढ़ घंटा ही भवन में वाद विवाद करने को मिला है। जिस पर सरकार निर्माण योजनाओं में सबसे अधिक खर्च कर रही है उस विभाग पर डेढ़ घंटा मिला है। अब समय नष्ट न करके माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा।

इसका मैं स्वागत करता हूं कि सरकार ने सिंचाई योजनाओं पर अधिक रुपया खर्च करना तय किया है क्योंकि बिना पानी के खेती में कुछ भी नहीं हो सकता और न जमीन की ही तरक्की हो सकती है। जहां मंत्री जी ने सिंचाई के ऊपर इतना रुपया खर्च करना तय किया है वहां जो सिंचाई में असुविधाएं हैं अगर वे उनको भी देखें तो अधिक लाभ होगा। मैं बुंदेलखंड के बारे में कहना चाहता हूं वहां पर मैं यह देखता हूं कि नहरों से पानी न मिलने की वजह से उतना लाभ नहीं हो पाता जितना लाभ हम लोग चाहते हैं। मैं आप से यह अर्ज करूंगा कि आप यह बात ध्यान में रखें कि इधर तो आप नहरों के रेट भी बढ़ाते हैं लेकिन पानी जितना मिलना चाहिये नहीं मिलता है। हमारे बुन्देलखंड में पानी भी मिलना मुश्किल होता है। एक दूसरी असुविधा और होती है। ऊख में पानी लगाने को पलेवा के लिये ही अगर पानी ले लिया जाता है और फिर अगर ईख के लिये या गेहूं के लिये पानी नहीं लिया जाता या नहीं मिलता तो भी पूरी आबपाशी ले ली जाती है। मैं तो आपसे कहूंगा कि यह कोई रोजगार या धंधा नहीं है। आपने तो खर्चा इसलिये किया है कि लोगों के खेतों की सिंचाई हो सके और अधिक से अधिक लोगों को पानी मिल कर उनको फायदा पहुंच सके।

ऐसा न कीजिये कि आपके इस रोजगार से लोग पानी लेना ही बन्द करदें और आपकी योजना विफल हो जाय। आपके जरिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप अपने आफिसरों से इस बात की कोशिश कीजिये कि जो उनसे रुपया लिया जाय उनको उतना पानी दिया जाय, उतनी सुविधा दी जाय तभी तरक्की कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी यह योजना विफल हो जायगी। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना मौका बोलने का दिया।

सिंचाई उप मंत्री (श्री राममूर्ति)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान ९,१० के लिये मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार इसके लिये बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर रही है । समयाभाव के कारण सदस्यों को कुछ अपने विचारों को प्रकट करने का पूरा-पूरा मौक़ा नहीं मिला । केवल कुछ ही सज्जन बोल पाये और वह भी समय कम होने के कारण अपने विचार पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सके । हमारे मंत्री महोदय ने पहले ही यह बतला दिया था और सब साथियों से उसके लिये अपील भी कर दी थी कि अगर वे यहाँ पर अपने विचार, प्रकट न कर सकें तो वे मेरे कमरे में आ कर मेरे पास अपने सुझाव रख सकेंगे, अपनी बातों को बता सकेंगे और उनके जिलों में, उनके क्षेत्र में जो दिक्कतें हैं उनका जिक्र कर सकेंगे । और हम इस बात की कोशिश करेंगे कि उनके साथ चल कर, अपने आफिसरों को उनके साथ भेज कर उनकी दिक्कतों को दूर करें ।

कुछ सज्जनों ने ४,५ बातें यहां पर बतलायीं । कुछ भाइयों ने तो सिर्फ आंकड़े ही पेश किये । मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जो जो पहाड़ी क्षेत्र से आ रहे हैं वे भली प्रकार से इस बात को जानते हैं कि गर्मी की ऋतु में बर्फ़ पिघल कर दरिया में आ जाने से पानी बढ़ जाता है । तो इस तरह से गवर्नमेंट बर्फ़ को पिघला कर गंगा व शारदा में पानी लाने के लिये कोशिश कर रही है और इसके लिये उसे और चौड़ा किया जा रहा है ।

दुबे जी ने कुछ डिपार्टमेंटल प्रोसीज्योर की बात बतलायी जिसकी वजह से चीजों के मिलने में दिक्कत होती है । लेकिन मैं समझता हूं कि अब सीमेंट, लोहा वगैरह मिलने में काफी सुविधा हो गयी है और अब कोई दिक्कत सामने नहीं आनी चाहिये । जिन बातों का और लोगों ने जिक्र किया है वे सब जनरल क़िस्म की हैं । असल में जो खास बीमारी है वह हमारे देश की गरीबी है । हमारे देश का क्षेत्रफल काफी लम्बा चौड़ा है और यह प्रदेश तो सब प्रदेशों से ज्यादा बड़ा है और जब तक हमारे देश की गरीबी दूर नहीं होगी तब तक हम जितना चाहते हैं उतना पानी नहीं पहुंचा पायेंगे । लेकिन जो हमारे मीन्स हैं उनके अन्दर हमारी इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि लोगों की दिक्कतें दूर करने के लिये हम अपनी स्कीम्स बनायें । पश्चिमी जिलों के बारे में सब लोग जानते हैं कि जितने आबपाशी के सिस्टम हैं पंजाब को छोड़ कर सब प्रदेशों से ज्यादा वहां हैं । बावजूद इसके भी वहां सब जगह पानी नहीं पहुंच पाता है । पूर्वी जिलों की तो यह हालत है कि वहां पानी की बहुत ही कमी है । लेकिन पंचवर्षीय योजना के मातहत हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां ट्यूबवेल्स के जरिये, छोटी छोटी नहरों के जरिये सिंचाई का प्रबंध करवा दें । जहां तक बिजली बनाने के कारखाने का संबंध है उसके लिये हम चाहते हैं कि हाइडिल से भी बिजली तैयार हो और स्टीम से भी बिजली तैयार हो । हाइडल से बिजली सस्ती तैयार होती है और स्टीम वाली बिजली कुछ गरां होती है । एक हिस्से को शिकायत हो सकती है कि हमें बिजली मंहगी मिल रही है इसलिये इस बात का प्रबंध किया गया है कि किसी को शिकायत का मौका न मिले । जब हमारे देश में लगातार विदेशी हुकूमत रही और उसकी वजह से जो शोषण हुआ तो हमारे देश की ग़रीबी बहुत बढ़ गयी और यह स्वभावतः सत्य है कि जब ग़रीबी बढ़ती है तो आदमी की शारीरिक शक्ति घटती है और फिर नैतिक पतन होने लगता है । तो यह तो स्वाभाविक बात है । लेकिन ज्यों ज्यों हमारी योजनायें बढ़ेंगी, ज्यों ज्यों इस प्रदेश के कोने कोने में हमारा पानी पहुंचेगा, हमारे कुयें बनेंगे, बंधियां बनेंगी, नहरें बनेंगी, हम तालाबों से और जो हमारी योजनाएं हैं उनसे पानी बढ़ायेंगे, त्यों-त्यों सब सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि पानी पहुंचेगा तो हमारे देश में अन्न बढ़ेगा और मेरी आप से यह अपील है कि आप सब लोग चाहे वह मुखालिफ दल के हों, या साथी हों उनका कर्त्तव्य है कि यह जो सिंचाई का विभाग है उसके साथ

[श्री राममूर्ति]

हमको कोआपरेट करना चाहिये । हमारे जो कर्मचारी हैं, अगर उनकी ग़ल्तियां हैं तो वह कोई इसी विभाग की ग़लतियां नहीं हैं। वह चीज़ तो सब में फैली हुई बीमारी है, चाहे वह पटवारी की शक्ल में हो या कचहरी की शक्ल में। वह तो सारे देश में फैली हुई है, इस प्रदेश में भी है और इस विभाग में भी है । हमारा प्रयत्न होगा कि हम उसको कम करें, अपने अफसरों को काम में लगावें । हमारे सिंचाई विभाग के लोग बड़ी मेहनत से काम करते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य में कमियां हैं, तो उसके लिये आप को कुछ अलाउंस देना चाहिये । कोआपरेशन भी देना चाहिये, चाहे वह मुखालिफ़ हों या साथी हों। आप सब सुझाव हमें दें। हम सर्वे करवा लेंगे ३० लाख रुपया इसके लिये रखा गया है ।

तालाबों से, पम्प से पानी खींचने के सिलसिले में और इसी क़िस्म की जो चीजें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और आप यक़ीन रखिये कि ५ या १५ साल के अन्दर हमारी सरकार का प्रयत्न होगा कि इस प्रदेश में कोने कोने में पानी पहुंचायें। जब पानी पहुंचेगा तो अन्न बढ़ेगा, जब अन्न बढ़ेगा तो शरीर में शक्ति बढ़ेगी और जब शक्ति बढ़ेगी तो नैतिकता बढ़ेगी। तो जैसा कि हमारे यहां कहा गया है कि हमारी भारतमाता "शस्य श्यमला" होगी वही सूरत यहां पर इस प्रदेश में दिखाई देने लगेगी। इसके लिये सभी भाइयों को कोआपरेशन करना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं सभी सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि वह जो हमारी मांगें हैं उनके लिये अपनी राय दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहता मैं भी था कि आंकड़ों के जाल में न जाऊं और आंकड़ों के बंधनों से मुक्त हो कर कार्यों पर नजर डालूं, लेकिन जब हमारे मंत्री महोदय आंकड़े पेश करते हैं और हर रिपोर्ट में आंकड़े ही दिये जाते हैं तो आंकड़ों को हमें भी देखना ही पड़ता है और विचार करना ही पड़ता है । आखिर बजट के जो अनुदान हैं उनमें भी तो आंकड़े ही दिये जाते हैं। ऐसा तो कहा जाता है कि बजट के लिये रुपये पास कर दिये जायं । आंकड़े तो पेश करने ही पड़ते हैं कि कितने रुपये का अनुदान है । नहरें बनायी गयीं । कितनी नहरें बनायी गयीं ? बनवाने के लिये तो आंकड़े हर क़दम पर सरकार लाती ही है ।

(इस समय ४ बज कर ८ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य उपाध्याय जी को जवाब दे रहे हैं? क्योंकि आंकड़ों का जिक्र उन्होंने किया था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी नहीं, मैंने कटमोशन किया था ।

तो आंकड़े हर क़दम पर आते हैं। हमारे माननीय दुब्लिश जी और वित्त मंत्री जी ने बतलाया कि मैंने कनफ्यूज किया । मैं अच्छी तरह उनको बतलाना चाहता हूं कि ईरीगेटेड एरिया क्या और इरिगेबिल एरिया क्या है । मैं दोबारा दोहरा दूं। मैंने कहा था कि ४९-५० की रिपोर्ट में कहा गया है कि १९० लाख एकड़ जमीन स्टेट इरिगेशन वर्क्स से सींची गयी और उसमें भी आप पहले ही पेज में देखिये कि, "Irrigable area form, all State Irrigation works at the end of March 1952."

[मार्च १९५२ को समाप्ति पर समस्त राज्य सिंचाई कार्यों से सेचनयोग्य क्षेत्र ।]

दोनों में स्टेट्स इरिगेशन वर्क्स से मतलब है । मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं । मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है । कोई भी सदस्य चाहें वह देख सकते हैं। जो साथ ही साथ मेरे जो माननीय वित्त मंत्री हैं उन्होंने यह बात कही कि गंगा नदी में तो बरफ़ का पानी बहुत

होता है । मैं वहां से आता हूं और मुझे मालूम होना चाहिये । लेकिन मैंने तो शारदा नदी का जिक्र किया था। गंगा नदी का नहीं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मैंने तो कहा था कि शारदा नदी में भी जभी होता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—सुन लीजिये, ज़रा सब्र कीजिये । तो मैं तो अभी भी कहता हूं कि शारदा नदी में उतना पानी, जैसा कि आप कह रहे हैं, १५ मई के बाद नहीं होता । और अगर आप को आश्चर्य गंगा नदी के पानी पर होता है तो उस रिपोर्ट पर होना चाहिये कि जिसमें लिखा है कि इनऐडीक्वेट वाटर सप्लाई (अपर्याप्त जल-पूर्ति), तो आप मेरे कथन पर क्या आश्चर्य करते हैं ? आश्चर्य तो आपको अपनी इस रिपोर्ट पर करना चाहिये । जिसम यह लिखा है और अपनी ग़लती को स्वीकार करना चाहिए आप बजाय अपनी ग़लती को स्वीकार करने के कहते हैं कि नारायण दत्त पर बड़ा आश्चर्य होता है ।

इसके अलावा परसेंटेज के बारे में मैंने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों के झगड़े में न पड़ें । परसेंटेज का हिसाब तो यह है कि जब कि पश्चिमी जिलों में ३२ फ़ीसदी सिंचाई सरकारी कार्य के द्वारा होती है पूर्वी जिलों में केवल ६७ परसेंट सिंचाई सरकारी कार्य के द्वारा होती है । तो आवश्यकता है कि पूर्वी जिलों में, जिनकी सिंचाई १/३२ से भी कम होती है, के लिये रेहैंड डैम को सब से प्राथमिक महत्व देना चाहिये और तीन प्रान्तों (यू० पी०, बिहार, विन्ध्यप्रदेश) का इरीगेशन बोर्ड बनाना चाहिये, रेहैंड डैम कांस्ट्रक्शन बोर्ड। हम भारत सरकार से भी रुपया, इन प्रान्तीय सरकारों से भी रुपया लें और जनता से भी लोन प्राप्त कर जल्द से जल्द डैम को बनावें। तो मेरे सुझाव के बारे में तो आपने कुछ कहा नहीं और कहा कि आंकड़ों के जाल में मैं फंस गया। अरे आंकड़ों के जाल में तो हमें फंसाया जाता है । माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि मैं उनके दफ्तर में आऊं । अगर मैं कहीं उनके दफ्तर में पहुंच जाऊं तो कम से कम सौ ग़लतियां उनके रजिस्टरों में इस तरह की निकाल दूंगा।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—ज़रूर आइये, तशरीफ़ लाइये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जहां तक रेट्स का सवाल है, यह बात सही है कि पश्चिमी जिलों और पूर्वी जिलों के पानी के रेट्स में बड़ा अन्तर है और उसको मिटाया जाना चाहिये । जो माननीय भट्ट जी ने तराई भावर के क्षेत्र का जिक्र किया वह ठीक है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मगर कुमायूं डिवीज़न के चार जिलों का जहां तक सवाल है सिंचाई के लिये पानी की बात तो छोड़िये । वहां पीने के लिये भी पानी नहीं मिलता है और दो-दो तीन-तीन मील नीचे खड् में जा कर मातायें और बहने घड़ों में पानी ले जाती हैं। तो कम से कम इसका तो कुछ न कुछ प्रबंध कीजिये।

मैं फिर आपसे कहूंगा कि मैं अपनी बात पर क़ायम हूं और मैंने जो भी आंकड़े दिये हैं मैं उन पर क़ायम हूं । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं कहा था कि पिछले पांच साल में १३ लाख एकड़ ज़मीन सींची गयी ? क्या गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में २ साल में १३ लाख एकड़ भूमि के सींचे जाने का जिक्र नहीं किया था ? क्या कल ही माननीय श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी के सवाल के जवाब में यह नहीं कहा गया था कि १२ लाख ८० हजार एकड़ ज़मीन सींची गयी ? क्या मैं यह ग़लत कह रहा हूं ? फिर क्यों न माननीय मंत्री जी स्वीकार करें कि हमसे ग़लती हुई ? मैं समझता हूं कि यह सदन का परिहास मात्र करना है । यह कोई सरकारी कर्मण्यता का परिचय नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर बड़ी नम्रतापूर्वक माननीय मंत्री जी की योग्यता की सराहना करता हूं । मुझे विश्वास है कि वे भी उन्हीं आदर्शों से प्रेरित हैं जिनसे कि हम लोग प्रेरित हैं।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं कि वे हमारी जलवाहिनियों में प्रचुर मात्रा में जल का प्रवाह करें और हमारे प्रदेश के जो लक्ष किसान हैं उनके कृषि-जीवन को वास्तव में उन्नत करने की चेष्टा करें और उनकी सिंचाई बढ़ाने का उपक्रम करें और अपनी योजनाओं को फलीभूत बनायें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---श्रीमन्, अब समय तो बहुत कम है परन्तु बहुत सी बातें कही गयी हैं। यद्यपि हमारे थोड़े ही सम्मानित सदस्यों को अवसर मिला इस विभाग के संबंध में अपनी राय जाहिर करने का फिर भी जो उन्होंने कहा उसका उत्तर देना हो तो थोड़ा बहुत समय अधिक चाहिये।

अध्यक्ष---आप जारी रख सकते हैं। थोड़ा सा अधिक समय शेष है भी।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं अधिक समय नहीं लूंगा। फिर भी दो तीन बातों पर कुछ कह देना चाहता हूं। एक तो श्री नारायण दत्त जी के संबंध में कहना चाहता हूं और आपकी आज्ञा से यह निवेदन करूं कि उनसे मेरा परिचय है और बड़ा पुराना परिचय है और और यह उस समय से है जब कि सन् १९४२-४३ में मैं नैनी में था। जब यह वहां नैनी में आये थे और इन दस वर्षों के बीच में उनसे अक्सर मुलाकात भी होती रहती है। परन्तु मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि विद्या का उपयोग केवल विवाद में ही नहीं करना चाहिये इससे मनुष्य की प्रतिभा में थोड़ा कुंठन हो जाता है। आपने कहीं कोई वस्तु पकड़ली और इस तरह से उसे करने लगे कि जिससे बड़ी भारी गल्ती हो गई है और गवर्नमेंट निकम्मी हो गयी, मंत्री जी गल्ती स्वीकार करें। इसमें कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं है। रिपोर्ट छपती है, इसमें कोई भूल हो जाय तो किसी भी मंत्री को ठोक करने में आपत्ति नहीं होती और न किसी भी मंत्री की अप्रतिष्ठा हो जाती है और न सरकार की ही। अगर कोई ऐसी भूल है तो माननीय सदस्यों को अधिकार है कि वह ऐसी भूलों को दिखायें जो आगे न होनी चाहिये तो किसी को स्वीकार करने में क्या आपत्ति होगी।

यह सही है जहां तक मैं जानता हूं कि सिंचाई विभाग के संबंध में थोड़ा उनको भ्रम है और वह आंकड़ों के मुताल्लिक़ है। कोई साल भर पहले रिपोर्ट निकली जिसमें लिखा है कि स्टेट के साधनों से एक करोड़ ९० एकड़ लाख जमीन सींची गयी। मैं कहता हूं कि अगर किसी रिपोर्ट में निकला हो तो वह मिसप्रिंट हो सकता है। बजट की कापी मैं देख रहा हूं इसमें २ लाख ५० हजार रुपया रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिये है। बजट के फिगर्स में यकायक दृष्टि पड़ गई, उसमें २० लाख है तो ऐसी ग़लती है, तो विवाद करके तेजी के साथ वह ग़लती साबित करना चाहते हैं तो यह ग़लत बात है।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि ८१ लाख एकड़ के क़रीब यानी ८० लाख ८५ हजार एकड़ जमीन हमारी इर्रीगेबिल है। इर्रीगेबिल से मतलब यह है कि यहां पानी पहुंच सकता है। जितने एरिया में पानी पहुंच जाता है उसमें हर साल सिंचाई नहीं होती है। ५१ में करीब ७१ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हुई और सन् ४६ में तथा उसके बाद ६० लाख एकड़ से ज्यादा जमीन में सिंचाई नहीं हुई है, तो यह जो ७१ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हुई, वह हमारे सिंचाई के साधनों के विस्तार से ही हो सकी है यही इसका अर्थ है।

अब आप यह देखें कि अगर सिंचाई के साधन बढ़ते चलते हैं तो जितनी भूमि सींची जायगी उसकी रिपोर्ट में परिवर्तन होगा। १९५०-५१ में जो भूमि सींची गयी है उसकी रिपोर्ट निकली है तो उससे थोड़ा बहुत ज्यादा निकली होगी तो पिछले वर्ष की रिपोर्ट को घुमाने फिराने से कोई बड़ी भारी गलती साबित की जा रही है। और भाइयों ने जो सुझाव दिये हैं उन पर मैं समझता हूं कि कृतज्ञता पूर्वक सरकार विचार करेगी और जहां तक उसके विभाग की कमजोरी हैं उसको दूर करने में जो सहायता मिलेगी वह ग्राह्य होगी और हम कृतज्ञतापूर्वक

ग्रहण करेंगे । मैं पुनः निवेदन करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आप हमें सुझाव दें और सहायता करें। यह स्पष्ट है कि सरकार सिंचाई के साधनों का विस्तार करना चाहती है । जल जो है वह हमारी भूमि का सिंचन करे, हमारा घर हरा भरा हो, अन्न से, धन धान्य से । और भगवान् करे हम उसमें सफलता प्राप्त करें यही हमारी कामना है ।

अध्यक्ष––माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी––जी नहीं ।

अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि दोनों अनुदानों के अधीन एक-एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९–लेखा शीर्षक १७,१८ और १९ ख-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर) के अन्तर्गत २,८८४६,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०-लेखा शीर्षक–१७,१८, १९ और ६८–सिंचाई और जल-विद्युत स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत २,६३,००,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४–लेखा शीर्षक ९–स्टाम्प

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)––श्रीमान् मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४–लेखा शीर्षक ९–स्टाम्प के अन्तर्गत ४,८३,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इस सिलसिले में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ यह बता देना है कि जो रकम मांगी जा रही है इसमें ज्यादातर वह रकम है जो स्टाम्प की तैयारी और छपाई में पड़ती है। जो डिपार्टमेंट का खर्चा किया जाता है, उसका पारसाल का एस्टीमेट ४,४६,३०० रुपये थे लेकिन इस साल ३७,२०० रुपये की रकम बढ़ गई है, यह रकम महज इस वजह से है कि स्टाम्प विभाग में जो तनख्वाहें वगैरह बढ़ी हैं और स्टाम्प को जो लोग बेचते हैं उनको जो कमीशन वगैरह दिया जाता है उस सिलसिले में यह रकम है ।

जहां तक इस विभाग को आमदनी का ताल्लुक है स्टाम्पस से आमदनी २,४०,००,००० की है और १५ लाख की जो इसमें ज्यादती है वह इस वजह से है कि खयाल किया जाता है कि इस साल कुछ कम्पनीज को रजिस्ट्रेशन से ज्यादा आमदनी की उम्मीद है, इसी वजह से १५ लाख की आमदनी अधिक लगा कर इसमें रखी गई है । मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, और उम्मीद है कि सदन इसको मंजूर करेगा ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)––अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव मैं पेश करता हूं । अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि ३७,२०० रुपये इस अनुदान में पारसाल से अधिक रक्खे गये हैं। अनुदान में यह बतलाया गया है कि इस विभाग में पारसाल या पिछले साल चोरियां अधिक हुई हैं और चोरियां होने के कारण अस्थायी अधीक्षक रक्खे गये हैं और कुछ कर्मचारी रक्खे गये हैं जो चोरियों को बचायेंगे । ६,५०० रुपये इसी में खर्च करने की बात रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, एक तकलीफदेह बात इस बजट में है और वह यह है कि गतवर्ष

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

सेवकगणों के लिये ३,४०० रुपया सिर्फ़ तनख्वाह में खर्च किया गया था। इस वर्ष ३ हजार रुपया खर्च किया जा रहा है। उसमें ४०० रुपये की कमी हो गई है। श्रीमान्, इसके अतिरिक्त अदालतों के स्टाम्प में १२ हजार रुपया अधिक खर्च होगा। स्टाम्प की बिक्री में १३ हजार रुपया अधिक खर्च होगा। इस तरीके से ४ हजार रुपया का खर्चा और अधिक हुआ है। जो अधिक रुपया इस अनुदान में मांगा गया है वह सब उन्हीं बड़े कार्यकर्त्ताओं और अधिकारियों के लिए ही माँगा गपा है। जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनके लिये नहीं मांगा गया है। स्टाम्प के बारे में जनता की खासतौर से जब देश आजाद नहीं हुआ था बहुत दिनों से यह मांग थी कि स्टाम्प पर बहुत ज्यादा पैसा लगता है और गरीब जनता सस्ता न्याय अदालतों से नहीं प्राप्त कर सकती है। श्रीमान् मैं, बड़े अदब से न्याय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप गांव में देखिये कि बहुत शोर है और लोग चिल्लाते हैं। हर शख्स हर दफ्तर में चिट्ठी भेज रहा है कि खेत पर मार-पीट हो रही है और उसके लिये वह अदालत में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और अदालतों में मुकदमे दायर नहीं कर सकते हैं। आपके द्वारा मैं न्याय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि देहात के रहने वाले किसान पैसे के अभाव में अपना मुकदमा अदालत में दाखिल नहीं कर सकते हैं। ऐसी हालत में जब कि सरकार के बजट में २ करोड़ ४० लाख रुपये का फायदा होने वाला है मैं न्याय मंत्री जी से सिफारिश करूंगा कि आप अपनी कीमत को घटाइये और घटाकर न्याय सस्ता कीजिये। उससे स्टाम्प की कीमत कम होगी और गरीब जनता को सस्ता न्याय मिल सकेगा और जनता फायदा उठा सकेगी। साथ ही मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि स्टाम्प की चोरी बहुत होती है। आजमगढ़ में १२ हजार के स्टाम्पों की चोरी हुई। आपके जो सरकारी कर्मचारी हैं वे रोजाना हिसाब नहीं कर पाते हैं। जब कभी मजिस्ट्रेट को फुरसत होती है तो वह विजिट करने जाता है तभी चोरी पकड़ी जाती है और तभी सरकार को पता चलता है। मैं समझता हूं कि यू० पी०.के सारे जिलों की यही हालत होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई मजबूत कदम सरकार इसके लिये उठा रही है जिससे कि यह चोरी बन्द हो जाय?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टाम्प फरोश जो होते हैं, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि, वह २ आना ४ आना ज्यादा हर एक स्टाम्प पर लेते हैं और अगर किसी सरकारी कर्मचारी के पास दरख्वास्त दी जाती है तो कोई सुनवाई नहीं होती है।

तीसरी बात यह है कि स्टाम्प फरोश वही पुराने आदमी होते हैं। जो आदमी गरीब हैं, जो हरिजन हैं और जिनको सरकार उठाना चाहती है उनको भी इसका मौका मिलना चाहिये और उनको भी स्टाम्प फरोश बनाना चाहिये। इसकी ओर मैं न्याय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कितने हरिजन हैं जो स्टाम्प विक्रेता हैं। मेरा ख्याल है कि आजमगढ़ जिले में तो कोई नहीं है और मेरा अन्दाजा है कि हमारे प्रांत के दूसरे हिस्सों को भी यही हालत होगी। श्रीमान, मैं आपके द्वारा न्याय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि स्टाम्प की कीमत घटाइये और जो जिलों के अन्दर चोरी होती है उसको बन्द कीजिये,। छोटे सरकारी कर्मचारी जो काम करते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाइये, हरिजनों को स्टाम्प विक्रेता का स्थान दीजिये। अगर यह काम हो जाय तो मैं समझता हूं कि आपका जो बजट ४ लाख ८३ हजार का है वह सही माने में जनता के लाभ के लिये हो सकता है अन्यथा यह बजट सरकार का ही फायदा करने वाला हो सकता है और जो गरीब जनता है उसका इससे फायदा होने वाला नहीं है।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, उस तरफ से अभी यह कहा गया है कि स्टाम्प की ड्यूटी यहां बहुत ज्यादा है और उसका गरीबों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और निहायत तकलीफ होती है और इसको कम किया जाय। मैं इसके जवाब में यह कहना चाहता

हूं कि अगर हमारे सूबे की स्टाम्प ड्यूटी का मुकाबिला दूसरे प्रदेशों से किया जाय तो मालूम होगा कि वह और जगहों के मुकाबले में यहाँ बहुत कम है। आखिरी बार जब सन् ४३ में स्टाम्प ड्यूटी यहां बढ़ाई गयी थी उस के बाद से कोई बढ़ोत्तरी उसमें आज तक नहीं की गई है और बराबर वही ड्यूटी कायम है। हालांकि सन् ४७ से जब से हमने डीयरनेस एलाउन्स वगैरह अहलकारों को देना शुरू किया उस वक्त से इस महकमें के भी काफी इखराजात बढ़ गये लेकिन कोई इजाफा तबसे इस ड्यूटी में नहीं किया गया है।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि स्टाम्प के बारे में ठीक से मालूमात नहीं रखी जातीं और उसमें चोरी हुआ करती है मैं आप के जरिये से बतलाना चाहता हूं कि हमने २ स्टाम्प आफिसर्स १ मार्च, सन ५१ से नौकर रखे हैं जो मालूम करेंगे कि कहां-कहां स्टाम्प की कमी है और उनके जराये से कमी को पूरा कराया जाता है। इसके साथ ही साथ ७ इंस्पेक्टर हमने स्टाम्प और रजिस्ट्री के लिये रखे हैं जो महीने में २० दिन दौरा करेंगे और मुआयना करेंगे कि जो स्टाम्प ड्यूटी पे की गई है वह कम तो नहीं है और अगर कम है तो वह उसको वसूल करने के जराये अख्तयार करें। साथ ही मैं यह भी बतला दूं कि ३ लाख १८ हजार ३२ रुपये सरकार को इन इन इंस्पेक्टर्स के जरिये से हमको मजीद आमदनी उसे कमी को पूरा कराने से हुई है। लिहाजा मैं अर्ज करूंगा कि इन बातों को देखते हुये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे इस महकमे के बारे में शिकायत की जा सके और यहां के जो स्टाम्प के रेट्स हैं वह न तो ज्यादा हैं और न ऐसे हैं कि जिनके ऊपर एतराज किया जा सके।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में रहने वाली जो गरीब जनता है जो सस्ता न्याय चाहती है और जिसकी ओर से मैंने कहा था उसको माननीय मंत्री जी ठुगकाते चले जा रहे हैं। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि न्याय मंत्री जी, सरकार का न्याय बहुत मंहगा बिक रहा है। सैकड़ों गरीब किसान न्याय चाहते हैं लेकिन वह उस से वंचित रह जाते हैं क्योंकि सरकार सस्ता न्याय नहीं दे सकती है। सरकार अपने को गांधी जी के मार्ग पर चलने वाली कहती है, लेकिन गांधी जी साफ तौर से बराबर कहते थे कि न्याय सस्ता होना चाहिये, लेकिन हमारे न्याय मंत्री जी सस्ता न्याय देने को तैयार नहीं हैं। मैं आप के द्वारा न्याय मंत्री जी से बार-बार कहना चाहता हूं कि आप जनता को सस्ता न्याय दीजिये। इस से आप का भी नाम होगा और आगे आने वाली पीढ़ियां आप को दुआ देंगी। सरकार तो न्याय से और अधिक फायदा उठाती चली जा रही हैं आपने बताया है कि १५ लाख रुपया अधिक होने जा रहा है यह अधिक कैसे हो रहा है आप इस पर ध्यान दें। हर साल सरकार-इतना लाभ उठाती है इस के मानी हैं कि सरकार सस्ता न्याय देना नहीं चाहती। मैंने हरिजनों के बारे में कहा था कि विक्रेता उन को बनाया जाय उस का जवाब भी माननीय मंत्री जी नहीं दे सके।

मंत्री जी इस बात का उत्तर नहीं दे सके कि हमारे सूबे में कितने हरिजन स्टाम्प विक्रेता हैं। इसका उत्तर वह नहीं दे सके कि जहां स्टाम्प विक्रेता ज्यादा पैसे लेता है और उसकी शिकायत की अर्जियां दी जाती हैं तो उन पर क्यों कार्यवाही नहीं होती। मंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि जनता की मांग जो सही है उस पर वह अमल करेंगे। मेरा खयाल है कि बहुत से सम्मानित सदस्य यहां के इस बात को चाहते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने आकर हम लोगों से सबेरे कहा है कि जो १ घंटा समय बढ़ाये जाने की बात थी उसमें उनके साथ अन्याय हुआ है।

अध्यक्ष—आप उस पर टीका नहीं कर सकते।

श्री राम सुन्दर पांडेय—मैं मंत्री जी से फिर प्रर्थना करूंगा कि वह हमारी मांगों को मान लें।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य जनता की तरफ से मांग करते हुये यह भूल जाते हैं कि हम भी जनता के ही नुमाइन्दे हैं। यह उनकी गलतफहमी और नासमझी है। अगर हमको यह यकीन हो कि जो हम टैक्सेज लगा रहे हैं उनसे जनता का या देश का नुक्सान होगा या जनता के ऊपर बेजा दबाव पड़ेगा तो उस पर हम लोग खुद गौर करने के लिये तैयार होते हैं। सन् ४३ में स्टाम्प ड्यूटी में २५ फीसदी इजाफा हुआ। उसके बाद से हर चीज की कीमत और खर्चा बढ़ गया है लेकिन हमने ड्यूटी में इजाफा नहीं किया है। इसलिये जनता के नाम पर एतराज करना किसी तरह से भी दुरुस्त नहीं है।

अध्यक्ष---क्या माननीय रामसुन्दर जी पांडेय अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री राम सुन्दर पांडेय---जी नहीं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४---लेखा शीर्षक ९---स्टाम्प के अधीन ४,८३,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६---लेखा शीर्षक ११---रजिस्ट्री

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६---लेखा शीर्षक ११---रजिस्ट्री के अन्तर्गत १३,३२,८०० रूपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक रजिस्ट्रेशन की आमदनी का ताल्लुक है यह ख्याल है कि इस साल २६,२६,५०० रु० की आमदनी होगी, जबकि पारसाल सिर्फ २४ लाख ७४ हजार थी। खर्चे में भी कमी हुई है। पारसाल यह १३ लाख ७५ हजार था लेकिन इस साल १३ लाख ३२ हजार है। इसकी वजह यह है कि बहुत से दफ्तर जहां आमदनी काफ़ी नहीं है वे बन्द कर दिये गये हैं। कुछ ऐसे दफ्तर भी हैं जहां सबरजिस्ट्रार के बजाय एक रजिस्ट्रेशन क्लर्क होगा जिसको २० रु० माहवार मजीद दिया जायगा और वह वही काम करेगा जो सबरजिस्ट्रार करता रहा है। इन वजूहात से इस साल इखराजात कम हो गये हैं और आमदनी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है।

एक बात और इस सिलसिले में अर्ज कर दूं कि कुछ जिलों से यह तजवीज गवर्नमेंट के सामने आई थी कि रजिस्ट्रारों को जो एल-एल० बी० हैं उनको मजिस्ट्रेटी के भी अख्तियारात दिये जायं। इस पर गवर्नमेंट ने अमल किया और बहुत से जिलों को अख्तियारात दे दिये गये और अब भी कई जगहों पर सब रजिस्ट्रार अपनी और जिम्मेदारियों के अलावा मजिस्ट्रेटी का काम भी अंजाम देते हैं। हमें कलेक्टरों ने लिखा है कि उनका काम काबिल इत्मीनान है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इसके मुताल्लिक कोई आखिरी फैसला नहीं किया है और वह देख रही है कि आया उनको यह जो मजीद जिम्मेदारी दी गई है उसको वह क्योंकर अंजाम दे सकते हैं। अगर वे अपनी जिम्मेदारी को सही तौर पर अंजाम देते हैं तो इस मौजूदा एक्सपेरीमेंट को और आगे बढ़ायेंगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कोई आखिरी पालिसी नहीं बनाई है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ कहना नहीं है। मैं सदन से यह दरख्वास्त करूंगा कि यह मांग स्वीकृत की जाय।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

जहां तक रजिस्ट्रारों का ताल्लुक है यह देखा जाता है कि दो तरीके से रजिस्ट्री की जाती है। एक तो वह है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कानूनों के जरिये से होती है। जिसमें रजिस्ट्रार की जरूरत नहीं होती। दूसरी वह होती है जिसमें रजिस्ट्रार की जरूरत होती है और परमानेण्ट रिकार्ड रखा जाता है। जहां तक कानूनगो का संबंध है अगर कोई कानूनगो किसी काश्तकारी के डाक्यूमेंट को अटेस्ट कर दे तो वह रजिस्ट्रार के मुकाबिले में समझा जाता है। इसका नतीजा यह हुआ कि २१ मई सन् ५२ के पहिले के डाक्यूमेंटस् और सैटिलमेंटस् जो नाजायज करार दे दिये गये थे पटवारियों ने और कानूनगो ने प्रोवीयस डेट्स में टेस्ट कर दिये और इस तरह से हजारों रुपया कमाया। जहां तक इस ग्रांट का ताल्लुक है और कानूनगोओं से अटेस्टेशन का ताल्लुक है मैं माननीय अध्यक्ष आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि कानूनगो से यह अधिकार बिलकुल हटा लिया जाय, खत्म कर लिया जाय। जहां तक रजिस्ट्रारों का संबंध है रजिस्ट्रार लोग कामर्स के लिहाज से नहीं रखे गये थे। वे तो इस ख्याल से रखे गये थे कि यह काम अलग हो जाय और पब्लिक को हर तरह से आराम मिले। थोड़ी सी फीस भी इसीलिये रख दी गई थी कि गवर्नमेंट रिकार्ड भी रख सके। अगर आपका ध्यान रजिस्ट्रार आफिस की ओर जाय तो वहां की हालत आपको बड़ी गंभीर मिलेगी। वहां जो एक दो सौ रुपया फीस ली जाती है इसके अलावा जो पिटीशन राइटर्स हैं वे रजिस्ट्रार के लिये पहिले से ही फीस तय कर लेते हैं और अमूमन १५ फीसदी उनके लिये फिक्जड रेट सा होता है। इस तरीके से नाजायज फायदा वहां लोग उठा रहे हैं। यह भी देखा जाता है कि लास्ट आवर सब रजिस्ट्रारों के लिये बहुत इंपोरटेंट होता है। उस वक्त अगर कोई आदमी मौके पर रजिस्ट्री कराने आजाय तो वे लोग सैकड़ों रुपया मांगते हैं और जो अदा नहीं करता है उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। जो बीमार होता है या औरत होती है अथवा सबरजिस्ट्रार को कहीं किसी गांव में जाना होता है तो उनमें भी बड़े मोल-तोल से काम होता है। इस मामले में भी बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि जितने सब रजिस्ट्रार यू० पी० में हैं कुछ सौ में एक या दो ऐसे मिलेंगे जो ईमानदार होते हैं नहीं तो अधिक डिसआनेस्ट (बेईमान) होते हैं। अब ऐसी हालत में जब कि सरकार ने अपना यह सिद्धान्त बना रखा है कि हम जुडिशिअरी को सेपरेशन करने जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में सबरजिस्ट्रार को सेकण्ड क्लास मैजिस्ट्रेसी का पावर दे देना कहां तक ठीक है। और सरकार जो सेकण्ड क्लास मैजिस्ट्रेसी का पावर उनको देती है तो जो आमदनी उनको हो रही थी, जो रिश्वत चल रही थी, सबरजिस्ट्रेशन आफिस को उससे अधिक रुपया मिलने लगेगा। ऐसी हालत में अगर आप यह समझते हैं कि सब रजिस्ट्रार को जुडिशियरी और सेकण्ड क्लास मैजिस्ट्रेसी की पावर देने से वे काफी अच्छी तरह से काम कर सकेंगे तो यह मुमकिन नहीं है।

यह भी देखना है कि सरकार का जो टेस्ट वर्क्स का काम कर रहे हैं वे किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर देखा जाय कि वे ज्यादा से ज्यादा केसेज को डिस्पोज आफ करते हैं तो मैं समझता हूं कि जुडिशिअल मैजिस्ट्रेट जिनको सारे दिन इस तरह के केसेज डिस्पोज आफ करने होते हैं वे परेशान हो जाते हैं और पूरा केस डिस्पोज आफ नहीं कर पाते। अगर यह समझा जाता है कि सबरजिस्ट्रार ज्यादा से ज्यादा केसेज का फैसला कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसा समझना हम लोगों की भूल होगी। उनको अगर यह वर्क दिया जाय तो कोई भी आदमी दो वर्क नहीं कर सकता है। रजिस्ट्रेशन का वर्क और मैजिस्ट्रेसी का वर्क दोनों का होना तो बिलकुल इम्पासिबिल है। अगर सब रजिस्ट्रार को सेकन्ड क्लास मैजिस्ट्रेसी पावर दी जाती है तो वहां जो रजिस्ट्री कराने के लिये आते हैं उनकी वहां भीड़ जमा रहती है और जब कोई आदमी रजिस्ट्री कराने के लिये जाता है तो वहां कहा जाता है कि अभी रजिस्ट्रार साहब मुकदमा देख रहे हैं। तो इस तरह से रजिस्ट्री कराने वालों को बड़ी दिक्कत और परेशानी होती है। मैं समझता हूं कि सब रजिस्ट्रार के पास काम न हो तो उनको

[श्री सैयद अली जहीर]

मैजिस्ट्रेसी का काम न देकर पंचायतों का काम या कोआपरेटिव इंसपेक्टर वगैरह का काम दे दिया जाय तो उससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जब आप जुडिशियरी को सेपरेट ब्रांच बनाने जा रहे हैं, या जुडिशिअरी को अलग करने जा रहे हैं तो ऐसी हालत में अगर उनको सेकण्ड क्लास मैजिस्ट्रेसी की पावर दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि आप जनता को और अंधेरे में ढकेल रहे हैं। इतना कहते हुये मैं अपने कटौती का प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवदान सिंह (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, यह मुहकमा सरकार को आमदनी का मुहकमा है और सरकार को इस महकमे से आमदनी भी अच्छी-खासी होती है। इसलिये सरकार को चाहिये कि जिस मुकदमे से उसको आमदनी होती है उससे संबंधित जनता की तकलीफों का ज्यादा खयाल करे। सरकार ने पारसाल मेरे यहां के एक रजिस्ट्रेशन आफिस को जो इगलास में था इस बिना पर तोड़ दिया कि उससे उसको आमदनी नहीं होती है। यह दफ्तर बहुत पुराना दफ्तर है और लगभग साठ-सत्तर साल से मुनाफा के साथ चलता आ रहा है। सन् १९५० में सिर्फ आठ महीने घाटे से चला और इसका कारण यह था कि सरकार ने जब जमींदारी उन्मूलन कानून चल रहा था तमाम ट्रान्सफर्स रोक दिये थे। इस नीति के फलस्वरूप घाटा हुआ लेकिन उसके बाद फिर फायदा हुआ और आज तक बराबर हो रहा है। मैंने आनरेबिल मिनिस्टर साहब से इस बात लिये जब बहुत कुछ कहा तो वे इस बात के लिये तैयार हो गये कि इनक्वायरी के बाद फिर वहां रजिस्ट्रेशन आफिस हो जायगा लेकिन आज डेढ़ साल बीत जाने पर भी सरकार की तरफ से कुछ ख्याल नहीं किया गया है। अभी तक सरकार की तरफ से इनक्वायरी हो ही रही है और कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज कल सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके कानों में मैल जमा हो गयी है जिससे वे सुन नहीं पाते हैं। इसलिये सरकार से अपील करता हूं कि वह इसकी तरफ जल्द से जल्द ध्यान दे, क्योंकि वहां पर लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिये तीस तीस मील तक जाना पड़ता है। रास्ते में लोगों को दो दो दिन लग जाते हैं। साथ में आठ-आठ दस-दस आदमी जाते हैं। इस तरह उनका खर्च भी ज्यादा होता है और अपने साथ बड़ी बडी रक़में ले जाते हैं उसका जोखिम भी रहता है। और जब वहां फायदा हो रहा है तो कोई वजह नहीं है कि यह दफ्तर तोड़ दिया जाय। इसके अलावा मैंने देखा कि बजट में एक स्कीम निकाली गयी है कि पूरे वक्त के लिये जहां काम न हो वहां आप एक कम वक्त के लिये आदमी मुकर्रर कर सकें। इस पर भी आप गौर करें और दफ्तर रजिस्ट्रारी को फिर से चालू करने की कोशिश करें। इन्क्वायरी जो चल रही है उसको एक्सपीडायट करें। आप चाहते हैं कि रेड टेपिज्म (दीर्घसूजता) दूर हो तो आपको उसके लिये कोई कदम उठाना चाहिये लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उनकी रफ्तार वही है जिससे जनता में असंतोष पैदा होता है।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, हमारे मेम्बर अपोजीशन की तवज्जह सब रजिस्ट्रारों की रिश्वत की तरफ गयी है। बहर हाल यह चीज ऐसी है जिसको मेरे ख्याल से इस सदन का कोई मेम्बर न होगा जिसने कभी न कभी सुना न होगा। यह एक शोहरत दे दी गयी है और यह एक ऐसा रवाज हो गया है जिससे कोई शख्स सिवाय एक दो को छोड़ कर बचता ही नहीं है। मगर इस मामले में, जैसे और सब मामलात हैं, जहां ऐसे इल्जाम होते हैं वहां गवर्नमेंट की पोजीशन नाजुक होती है और गवर्नमेंट को इस किस्म की बातों पर कोई ऐक्शन लेना मुमकिन नहीं होता। मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर किसी सब रजिस्ट्रार के मुताल्लिक़ कोई इतला गवर्नमेंट में आवे और उसका पता चले तो मैं उनकी पूरी इंक्वायरी करने के लिये तैयार हूं। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इसके मुताल्लिक गुजिश्ता चन्द सालों में करीब १० मुकदमे हमने मुख्तलिफ सब रजिस्ट्रारों पर चलाये और पूरे तौर से प्रासीक्यूशन किया गया और जो कुछ मुमकिन था किया गया। लेकिन कुछ इत्तफाक ऐसा है कि वह दस के दसों मुकदमे छूट गये। कुछ तो इब्तदाई अदालत से और अगर इब्तदाई अदालत

से सजा हो गयी तो अपील से छूट गये । लेकिन इसके बावजूद डिपार्टमेंट ने बहुत से मामलों में डिसिप्लिनरी ऐक्शन लिया । लेकिन आप जानते हैं कि उसके लिये भी जरूरत होती है कि हमारे पास उसका सबूत हो। तो मैं इस सदन के सामने इस बात का यकीन दिलाता हूं कि मेरी यह पूरी कोशिश बराबर रहेगी कि यह जो सब रजिस्ट्रारों पर बदनामी और धब्बा है और उसके मुताल्लिक़ एक आम यकीन है कि वह लोग बेईमानी करते हैं, उसका कुछ न कुछ हल होना चाहिये और पूरी कोशिश यह होगी कि वह ईमानदार रहें और अगर किसी के खिलाफ़ कोई सबूत हो तो उसको सख्त से सख्त सजा देने के लिये गवर्नमेंट हर वक्त तैयार रहेगी ।

यह भी कहा गया है कि जो सब रजिस्ट्रार साहबान ऐसे हैं जिनको मुकदमों के अख्तियारात दे दिये गये हैं वे मुकदमों में ज्यादा वक्त खर्च करते हैं और रजिस्ट्री के लिये जब कोई आदमी आता है तो वह टाल देते हैं। इसके मुताल्लिक़ मैं एलान करता हूं कि उनका पहला फर्ज रजिस्ट्री करना है और पब्लिक जो आती है उसको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिये और महज जो बाक़ी वक्त बचता है और समझा जाता है कि पूरा वक्त वह रजिस्ट्री में सर्फ नहीं कर सकते और बाकी वक्त फालतू बैठे रहते हैं, उसके लिये यह उनको हिदायत दी गयी है कि वे अदालती काम करें । अगर इस किस्म की शिकायत है कि कोई सब रजिस्ट्रार ऐसी कार्यवाही करते हैं जिससे पब्लिक को तकलीफ और जहमत होती है, तो मेरे ख्याल में वे इस काबिल नहीं हैं कि उनको अख्तियारात अदालती दिये जायं और ऐसे लोगों की अगर मुझे इत्तिला मिलेगी, तो फौरन् तहकीकात के बाद हर तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ करने के लिये तैयार रहूंगा ।

जो कानूनगो की रजिस्ट्री का जिक्र हुआ, मेरा ख्याल है कि उसका ताल्लुक़ इस बजट से नहीं है और वह दूसरी चीज है । असली मानों में जो सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्ट्री होती है उसीका ताल्लुक़ इस वक्त है और वह बिलकुल एक मुख्तलिफ चीज है । उसका जिक्र यहां नहीं आना चाहिये ।

मैं इगलास के दफ्तर के मुताल्लिक़ यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह मामला गवर्नमेंट के जेरे गौर है और जहां तक मैंने कागजात देखें हैं , मालूम यह होता है कि वहां की हालत यह जरूर है कि रिपोर्ट आई थी कि आमदनी कम होती है और ८-१० महीने आमदनी कम भी हुई लेकिन अमूमन आमदनी वहां पर काफी होती है । मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द अगर यह समझा जायगा कि वहां जरूरत है तो वहां पर दफ्तर कायम कर देंगे ।

श्री कमला सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सब रजिस्ट्रारों के बीच में जो करप्शन हो रहा है सरकार उसको दूर करने की कोशिश करेगी । लेकिन जहां तक क्रिमिनल केसेज का ताल्लुक़ है उसके मुताल्लिक़ जो हमारे न्याय मंत्री ने एक्सप्लेनेशन दिया है वह संतोष-जनक नहीं है क्योंकि दो रथ एक साथ नहीं चल सकते । अगर आप यह भी चाहते हैं कि केसेज भी जल्द से जल्द डिसपोज आफ़ हों और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन का भी वर्क हो जाय तो ये दोनों चीजें असम्भव हैं । और अगर आप इसी ख्याल से दस केसेज या बीस केसेज किसी के पास भेजें और रजिस्ट्रार रजिस्ट्री के कामों में लगा रहे और वहां जितने आदमी उस केस के मुताल्लिक़ जायं और जो गवाह वगैरह जायं वे दिन भर वहां बैठे रहें और शाम को वापस चले आयें तो यह भी मैं नहीं समझता कि कहां तक उचित होगा । इससे जनता भी परेशान होगी और गवाहान को भी परेशानी होती है । तो अगर आप चाहते हैं कि केसेज का डिस्पोजल भी जल्द हो और रजिस्ट्रेशन का काम भी हो, पब्लिक को आराम भी मिले और कम कास्ट (खर्च) पर केसेज का डिस्पोजल हो तो ये सब चीजें नामुमकिन हैं । ऐसी हालत में

[श्री कमला सिंह]

मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जहां तक सब रजिस्ट्रार्स को मैजिस्टीरियल पावर्स देने का संबंध है यह खत्म कर देना चाहिये । मगर सुना यहां तक जा रहा है कि फ़र्स्ट क्लास पावर्स भी सरकार उनको देने का विचार कर रही है । ऐसी हालत में, चूंकि संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं लेना चाहता ।

अध्यक्ष--(श्री सैयद अली जहीर से) मैं समझता हूं कि आप को कुछ कहना नहीं है ।

श्री सैयद अली जहीर--जी, मुझे कुछ कहना नहीं है ।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६--लेखा शीर्षक ११--रजिस्ट्री के अन्तर्गत १३,३२,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
२४ जुलाई, १९५२ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७–८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२७ पर)

विवरण-पत्र

जिला	जंगल का क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	दर्जा १ का जंगल (वर्गमीलों में)	दर्जा २ का जंगल (वर्गमीलों में)
(१)	(२)	(३)	(४)
अलमोड़ा	१,२३२	३५६	७१०
नैनीताल	१,८३४	८३	२२५
गढ़वाल	२,५१६	१,४२२	४८४
टिहरी-गढ़वाल	२,५५६	..	..

संसद भवन

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २ २३० पर)

डिप्टी कलेक्टरों की सूची जो स्थानापन्न जिलाधीश हैं

क्रम संख्या	नाम	जिला
१	श्री आरिफ अली शाह	अल्मोड़ा
२	श्री एस० वी० आइजेक्स	हरदोई
३	श्री वी० पी० शुक्ल	प्रतापगढ़
४	श्री एस० एन० निगम	गोंडा
५	श्री बृज पाल सिंह	आजमगढ़
६	श्री जी० एस० चूड़ामनि	रामपुर
७	श्री एन० पी० चटर्जी	बहराइच

उत्तर प्रदेश विधान सभा

डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस की सूची जो स्थानापन्न सुपरिंटेण्डेंट पुलिस हैं

क्रम संख्या	नाम	तैनाती
१	श्री अवध नारायण सिंह	गोंडा
२	श्री अनवर हसन खां	जौनपुर
३	श्री कृपाल सिंह (द्वितीय)	रामपुर
४	श्री दौलतराम निगम	इटावा
५	श्री रामकुमार गोयल	अलीगढ़
६	श्री मानिक लाल खरे	सीतापुर
७	श्री भोला नाथ भल्ला	बाराबंकी
८	श्री मुख्तार सिंह	खेरी
९	श्री रघुनाथ सिंह यादव	जालौन
१०	श्री याला मोहीउद्दीन शाह	कानपुर (असिस्टेन्ट सुपरिं०)
११	श्री समरेन्द्र नाथ घोष	प्रतापगढ़
१२	श्री आलमुकुन्द शर्मा	उन्नाव
१३	श्री हरनाम सिंह	बस्ती
१४	श्री अर्जन सिंह	कानपुर (सिटी)
१५	श्री तेज सिंह	बदायूं
१६	श्री राम नारायण सिंह (प्रथम)	मुजफ्फरनगर
१७	श्री हरपाल सिंह	एटा
१८	श्री जंग बहादुर सिंह	मुरादाबाद

स्थानापन्न डिप्टी सुपरिण्टेंडेंट पुलिस की सूची

क्रम संख्या	नाम	तैनाती
१	श्री जगदीश स्वरूप	मेरठ
२	श्री ललिता प्रसाद पांडे	बनारस
३	श्री आर० पी० पैनोली	नैनीताँल
४	श्री जे० डी० डोवल	देहरादून
५	श्री करम सिंह	फैजाबाद
६	श्री इंतिजार हुसैन	मेरठ
७	श्री नासिर अहमद खां	देवरिया
८	श्री चंद्रिका बख्श सिंह	जालौन
९	श्री दीनानाथ	कानपुर
१०	श्री मुहम्मद अजीम खां	फतेहपुर
११	श्री सी० एस० रावत	अल्मोड़ा
१२	श्री राम नाथ सिंह	इलाहाबाद
१३	श्री मुहम्मद आफताफ हुसैन	रामपुर
१४	श्री अब्दुल नईम सिद्दीकी	प्रतापगढ़
१५	श्री धीरज सिंह	(छुट्टी.पर)
१६	श्री मुहम्मद सादिक	सुल्तानपुर
१७	श्री रामगति सिंह	आज़मगढ़
१८	श्री त्रिभुवन दत्त शर्मा	जौनपुर
१९	श्री शंकर लाल	मैनपुरी
२०	श्री कबीर अहमद खां	बनारस
२१	श्री अर्जुन सिंह (द्वितीय)	इलाहाबाद
२२	श्री नारायण सिंह	हरदोई
२३.	श्री खुरशेद अली खां	बाराबंकी
२४	श्री राम बहादुर सिंह	सीतापुर
२५	श्री जोगेन्द्र शंकर माथुर	सहारनपुर
२६	श्री शेर अली खां	बदायूं
२७	श्री सुरेन्द्र कुमार	कानपुर
२८	श्री सुखबीर सिंह रथी	बरेली
२९	श्री मोहिन्द्र सिंह	इटावा
३०	श्री लोचन सिंह	फर्रुखाबाद

क्रम संख्या	नाम	तैनाती
३१	श्री वेद सिंह	मथुरा
३२	श्री दलेल सिंह	कानपुर
३३	श्री आनन्द किशोर जोशी	गढ़वाल
३४	श्री राम ध्यान सिंह	गोरखपुर
३५	श्री सरदार हरबंश सिंह	अलीगढ़
३६	श्री रामनारायण सिंह (द्वितीय)	शाहजहांपुर
३७	श्री बशीर हुसैन	मुरादाबाद
३८	श्री रामलखन सिंह	बलिया
३९	श्री किशन सिंह रावत	टेहरी गढ़वाल
४०	श्री सरदार इकबाल सिंह	इटावा
४१	श्री सतीश चन्द्र	मेरठ
४२	श्री छैल विहारी वर्मा	पीलीभीत
४३	श्री अजसार हुसेन	लखनऊ
४४	श्री अजब सिंह वर्मा	आगरा
४५	श्री इन्द्र धवज पुनेथा	अलीगढ़
४६	श्री कुंजबिहारी लाल दीक्षित	रामपुर
४७	श्री इन्द्र पाल सिंह	सहारनपुर
४८	श्री राम स्वरूप शर्मा	मुरादाबाद
४९	श्री रामनारायण वर्मा	मुजफ्फर नगर
५०	श्री महेश चन्द्र जौहरी	अलीगढ़
५१	श्री केदार राय	बस्ती
५२	श्री विष्णु प्रसाद	आगरा
५३	श्री नरेन्द्र नाथ मिश्र	आजमगढ़
५४	श्री कुल भूषण सिंहल	बदायूं
५५	श्री विश्वम्भर नारायण सिंह	फ़ैजाबाद

स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टरों की सूची जो डिवीजन अफ़सर हैं

क्रम संख्या	नाम	जिला
१	श्री विक्रम सिंह	बिजनौर
२	श्री मुहम्मद बशीर अहमद खां	मैनपुरी
३	श्री चित्र सिंह नेगी	देहरादून
४	श्री महिपाल गुप्त	बदायूं
५	श्री सुन्दर लाल	फर्रुखाबाद
६	श्री मुहम्मद सिद्दीक खां	कानपुर
७	श्री राम नारायण सिंह	सुल्तानपुर
७	श्री अब्बास हैदर अन्सारी	सुल्तानपुर
८	श्री हुजूरुद्दीन अहमद	हमीरपुर
१०	श्री अजबीर सिंह	हमीरपुर
११	श्री राम करन सिंह	बाराबंकी
१२	श्री राम करन सिंह	बाराबंकी
१२	श्री द्वारिका प्रसाद गुप्त	सीतापुर
१३	श्री विश्वम्भर नाथ खन्ना	बस्ती
१४	श्री सैयद अहमद	बस्ती
१५	श्री अजपाल सिंह (द्वितीय)	एटा
१६	श्री ठाकुर प्रसाद सिंह	देवरिया
१७	श्री मुहम्मद अब्बास जैदी	मुरादाबाद
१८	श्री अब्दुल जमील खां	बलिया
१९	श्री ज्वाला सिंह	बलिया
२०	श्री बुद्ध राम	गोरखपुर
२१	श्री मुहम्मद सैफुल्ला खां	उन्नाव
२२	श्री ओंकार सहाय	लखनऊ
२३	श्री आत्मगोविन्द सिंह	पीलीभीत
२४	श्री राम नन्दन प्रसाद	बनारस
२५	श्री कृपाशंकर	मिर्जापुर
२६	श्री प्रताप सिंह भंडारी	बहराइच
२७	श्री बी० एन० प्रसाद	इलाहाबाद
२९	श्री तुफ़ैल अहमद	बदायूं

क्रम संख्या	नाम	जिला
३०	श्री मोहन सिंह चन्द	अल्मोड़ा]
३१	श्री बद्री दत्त भंडारी	अल्मोड़ा
३२	श्री देश राज सिंह	अलीगढ़
३३	श्री एस० पी० निगम	बाराबंकी
३४	श्री हशमत अली खां	बरेली
३५	श्री अनवार हुसैन आविदी	हरदोई
३६	श्री कुन्दन सिंह मल	हरदोई

विधान सभा सचिवालय